

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

चौथी वार्षिक रिपोर्ट

वित्त वर्ष 2024-2025

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (संस्था) के बारे में

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 को 28 मार्च, 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और यह 19 अप्रैल, 2021 से प्रभावी हो गया है। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (संस्था) की स्थापना भारत में दीर्घकालिक अवसंरचना वित्तपोषण के विकास में सहयोग करने के लिए एक विकास वित्तीय संस्था (डीएफआई) के रूप में की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 8 मार्च, 2022 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि संस्था को आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45एल और 45एन के तहत क्रमशः अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (एआईएफआई) के रूप में आरबीआई द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाएगा। संस्था ने 29 दिसंबर, 2022 से अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। इसके अलावा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 10 सितंबर, 2024 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से संस्था को सार्वजनिक वित्तीय संस्था (पीएफआई) के रूप में अधिसूचित किया है।

संस्था के विकासात्मक और वित्तीय दोनों उद्देश्य हैं। विकासात्मक उद्देश्य में भारत में या भारत के बाहर केंद्र और राज्य सरकारों, विनियामकों, वित्तीय संस्थानों, संस्थागत निवेशकों और ऐसे अन्य प्रासंगिक हितधारकों के साथ समन्वय करना शामिल है, ताकि घरेलू बॉन्ड और डेरिवेटिव बाजारों सहित भारत में दीर्घकालिक अनाश्रयी अवसंरचना वित्तपोषण के विकास में सहयोग करने के लिए सुसंगत संस्थानों के निर्माण और सुधार को सुविधाजनक बनाया जा सके। वित्तीय उद्देश्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देना या निवेश करना और भारत में स्थित या आंशिक रूप से भारत में स्थित अवसंरचना परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेशकों और संस्थागत निवेशकों से निवेश आकर्षित करना शामिल है, ताकि सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

दृष्टिकोण :

हमारा लक्ष्य भारत के परिवर्तनशील विकास हेतु बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण को उत्प्रेरित करते हुए प्रभावी निवेश का विश्व स्तर परमान्यता प्राप्त प्रबल प्रदाता बनना है।

मिशन :

हमारा मिशन नवाचार, पर्यावरण और स्थिरता पर जोर देने के साथ बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए प्रमुख प्रवर्तक बनना है।

हमारा दृष्टिकोण

संस्था की स्थापना के पीछे मुख्य दृष्टिकोण भारत में अवसंरचना के क्षेत्र की दीर्घकालिक वित्तपोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित एक समर्पित और विशिष्ट संस्था स्थापित करना है। हमारा लक्ष्य अधिनियम में उल्लिखित सक्षमताओं, विशेष प्रतिभा, मजबूत तकनीकी क्षमताओं और मजबूत अभिशासन का लाभ उठाकर ऐसा करना है। संस्था अभिनव वित्तपोषण साधनों और गहन बॉन्ड और डेरिवेटिव बाजारों के विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी - अवसंरचना निधियन में सहयोग करने के साथ-साथ वित्तपोषण और आंकड़ा - संचालित जोखिम प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देगी ।

अवसंरचना विकास आर्थिक वृद्धि और विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है, और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के समय पर और कुशल कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए निधियन का एक विश्वसनीय स्रोत आवश्यक है। इस प्रकार, संस्था का लक्ष्य भारत को अपने महत्वाकांक्षी अवसंरचना के विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने में पूरी जिम्मेदारी से और स्थायी तरीके से एक प्रमुख भागीदार बनना है।

संस्था का महत्व

संस्था का महत्व अवसंरचना वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और निधियन का और अधिक स्थायी स्रोत प्रदान करने की इसकी क्षमता में निहित है। इससे न केवल आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, बल्कि परियोजना जीवनचक्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाते हुए देश में बुनियादी ढांचे के विकास की दक्षता और पारदर्शिता में भी सुधार लाना है ।

संस्था अवसंरचना वित्तपोषण के लिए बांड, ऋण और डेरिवेटिव के एक गहन और तरल बाजार को विकसित करने की दिशा में भी काम करेगी। यह विशेष रूप से सुसंगत इलेक्ट्रॉनिक और बातचीत आधारित बाजारों के विकास की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे निष्पक्ष और सुलभ व्यापार और विनिमय संभव हो सकेगा।

अंततः, इस संस्था की स्थापना से भारतीय अर्थव्यवस्था को अनेक व्यापक लाभ मिलने की उम्मीद है। व्यापक अवसंरचना वित्तपोषण को बढ़ावा देने से देश में समग्र निवेश माहौल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उच्च-मात्रा वित्तपोषण के लिए अधिक आकर्षक और व्यवहार्य विकल्प उपलब्ध होगा।

यह संस्था अवसंरचना क्षेत्र के विकास में सहयोग देने के लिए आवश्यक वित्तपोषण, विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकी और वैश्लेषिकी क्षमता प्रदान करके भारत को अपने कठिन अवसंरचनात्मक संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उत्पाद और सेवाएँ

संस्था से अपेक्षा की जाती है कि वह अवसंरचना परियोजनाओं के जीवन चक्र में एक सहायक, प्रौद्योगिकी-सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करे, जो अवसंरचना वित्तपोषण के लिए प्रदाता, सक्षमकर्ता और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे। संस्था भारत में पूरी तरह या आंशिक रूप से स्थित बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र के निवेशकों और संस्थागत निवेशकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देने, निवेश करने और निवेश आकर्षित करने की दिशा में काम करेगी। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण सूची में परिवहन और रसद (सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे, अंतर्देशीय जलमार्ग), ऊर्जा, जल और स्वच्छता, संचार और सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना शामिल हैं।

अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए दिया जाने वाला वित्तपोषण, लागू होने पर नैबफिड उधार दर (एन एल आर) के अधीन होगा, और समय और बाजार की मांग के साथ विस्तारित होते हुए, निम्नलिखित प्रकार का होगा:

- सावधि ऋण (ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड, आदि)

- बांड या डिबेंचर
- गारंटी (बोली बांड, जुटाव/अग्रिम भुगतान गारंटी, कार्य-निष्पादन गारंटी)
- चुकौती आश्वासन पत्र (कैपेक्स एलसी)

इसके अतिरिक्त, संस्था निवेश ट्रस्टों, बॉन्ड सदस्यता सेवाओं, परियोजना विकास के लिए विशिष्ट संरचित उत्पादों और ईएसजी-केंद्रित ऋण के माध्यम से इक्विटी निवेश के अवसर प्रदान करेगी।

अपने विकासात्मक उद्देश्यों के अनुरूप, संस्था घरेलू पूंजी बांड, विदेशी मुद्रा बांड और ग्रीन बॉन्ड सहित विभिन्न बॉन्ड और डेरिवेटिव बाजारों के विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है - साथ ही निवेशक सुरक्षा और मजबूत न्यायनिर्णयन प्रणालियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है।

संस्था केंद्र और राज्य सरकारों, विनियामकों, वितीय संस्थानों, संस्थागत निवेशकों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय करेगी, ताकि परियोजना जीवनचक्र में प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए डेटा-संचालित मूल्यांकन, ऋण निगरानी और आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाकर कई संस्थागत क्षमताओं का विस्तार किया जा सके। यह नीति की सिफारिश भी करेगी और सरकारी एजेंसियों और निवेशकों के बीच सेतु का काम करेगी।

निदेशक मंडल (यथा 19 जून 2025)

1. श्री. मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन, केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक (संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय)
2. श्रीमती. गुरनीत तेज (DIN:07047188), केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक, (संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)
3. श्रीमती. अरुणा सुंदरराजन, स्वतंत्र निदेशक
4. श्री. बी. श्रीराम, स्वतंत्र निदेशक
5. श्री. टी. एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक
6. श्री. एल. वी. प्रभाकर, स्वतंत्र निदेशक
7. श्री. एन. एस. कन्नन, स्वतंत्र निदेशक
8. श्री. सुरेश पटेल, स्वतंत्र निदेशक
9. श्री. राजकिरण राय जी., प्रबंध निदेशक
10. श्री. बी. एस. वेंकटेश, उप प्रबंध निदेशक - मुख्य जोखिम अधिकारी
11. श्रीमती. मोनिका कालिया, उप प्रबंध निदेशक - मुख्य वित्तीय अधिकारी
12. श्री. सैमुअल जोसेफ जेबराज, उप प्रबंध निदेशक - ऋण और परियोजना वित्त

बोर्ड समितियां (यथा 19 जून 2025)

नामांकन और पारिश्रमिक समिति

श्रीमती. अरुणा सुंदरराजन, अध्यक्ष
 श्री. बी. श्रीराम
 श्री. टी. एन. मनोहरन
 श्री. एल.वी. प्रभाकर
 श्री. मनोज मुत्ताथिल अध्यक्ष

हितधारक संबंध समिति

श्री. सुरेश पटेल, अध्यक्ष
 श्री. टी. एन. मनोहरन
 श्रीमती. मोनिका कालिया
 श्री. सैमुअल जोसेफ जेबराज

लेखा परीक्षा समिति

श्री. टी. एन. मनोहरन, अध्यक्ष
 श्रीमती. अरुणा सुंदरराजन
 श्री. एल.वी. प्रभाकर
 श्री. एन.एस. कन्नन

आईटी रणनीति समिति

श्री. एन.एस. कन्नन, अध्यक्ष
 श्री. बी. श्रीराम
 श्री. सुरेश पटेल
 श्री. बी.एस. वेंकटेश

जोखिम प्रबंधन समिति

श्री. बी. श्रीराम, अध्यक्ष
 श्रीमती. अरुणा सुंदरराजन
 श्री. एल.वी. प्रभाकर
 श्री. राजकिरण राय जी.

धोखाधड़ी की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेष समिति

श्री. सुरेश पटेल, अध्यक्ष
 श्री. टी.एन. मनोहरन
 श्री. एन.एस. कन्नन
 श्री. राजकिरण राय जी.
 श्री. बी.एस. वेंकटेश

कार्यकारी समिति

श्री. राजकिरण राय जी., अध्यक्ष
 श्री. एल.वी. प्रभाकर
 श्री. एन.एस. कन्नन
 श्री. सुरेश पटेल

इरादतन चूककर्ता की पहचान के लिए समीक्षा समिति

प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष
 कोई भी दो स्वतंत्र निदेशक

सामान्य जानकारी**कार्यालय का पता:**

द कैपिटल, ए विंग, 15वीं मंजिल- 1503,

जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,

बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

टेलीफोन नंबर 022 4104 2000

वेबसाइट: <https://nabfid.org>

ईमेल: contact@nabfid.org

सांविधिक लेखापरीक्षक:

मेसर्स सी एन के एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,

एफआरएन: 101961डब्ल्यू/डब्ल्यू100036

मिस्त्री भवन, तीसरी मंजिल, दिनशॉ वच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400030,

रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट:

एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)

सी 101, 247 पार्क, एल बी एस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई - 400083

डिबेंचर ट्रस्टियों का विवरण

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड

द रूबी, द्वितीय तल, एसडब्ल्यू, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर पश्चिम, मुंबई- 400 028

टेलीफोन: 022 6230 0451

ई-मेल आईडी: debenturetrustee@axistrustee.in

वेबसाइट: www.axistrustee.in

कंपनी सचिव:

सुश्री ऐश्वर्या म्हात्रे

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (संस्था) की चौथी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में खुशी हो रही है।

वित्त वर्ष 2025 के लिए वित्तीय प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2025 के दौरान, संस्था के संचालन ने मजबूत प्रदर्शन किया है। 31 मार्च, 2025 को संस्था के तुलन पत्र का आकार 83,209 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023-24: 55,129 करोड़ रुपये) था, जिसमें 56,620 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023-24: 35,342 करोड़ रुपये) का उधार पोर्टफोलियो बकाया था। संस्था की कुल उधारी 1,00,000 करोड़ रुपये थी। 48,302 करोड़ रुपये में कुल 11,935 करोड़ रुपये की बैंक उधारी और कुल 36,367 करोड़ रुपये की जारी गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ शामिल हैं, जिनमें से 17,940 करोड़ रुपये की अवधि 10 वर्ष, 14,516 करोड़ रुपये की अवधि 15 वर्ष और 3,911 करोड़ रुपये की अवधि 20 वर्ष है। अपरिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं और जारी किए गए व्यय को पूंजीकृत बांड की अवधि में परिशोधित किया जाएगा। 474.82 करोड़ रुपये की आकस्मिक देनदारी उधारकर्ताओं के पास बकाया गैर-निधि सुविधाओं से संबंधित है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, संस्था ने वित्त वर्ष 2023-24 में 2,601 करोड़ रुपये के मुकाबले 5,208 करोड़ रुपये की कुल आय दर्ज की। 5,039 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24: 2,499 करोड़ रुपये) और अन्य आय 169 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023-24: 102 करोड़ रुपये) है। चालू वर्ष के दौरान, संस्था ने अंतर्निहित वित्तीय साधनों के खिलाफ 19,750 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष - 24,500 करोड़ रुपये) की कल्पित राशि का भारतीय रुपया (आई एन आर) ब्याज दर स्वैप किया है। 31 मार्च 2025 तक व्युत्पन्न कल्पित मूल्य बढ़कर 44,250 करोड़ रुपये हो गया। 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, लाभ और हानि खाते में अंतर्निहित परिसंपत्ति / देनदारियों के एफवी से उत्पन्न 13.79 करोड़ रुपये और बचाव (हेज) किए गए उपकरणों के उचित मूल्य प्रभाव के बाजार भाव पर दर्शाना (एमटीएम) लाभ शामिल हैं। वर्ष के लिए समेकित ब्याज व्यय रु। 2,725 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24: 805 करोड़ रुपये), यह वृद्धि वित्तीय वर्ष के दौरान उठाए गए कर्ज के कारण हुई। परिसंपत्ति की गुणवत्ता अच्छी रही है और उधारकर्ताओं की रेटिंग में कोई गिरावट नहीं आई है। तदनुसार, सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ ("जीएनपीए") शून्य हैं और

लाभ और हानि खाते में केवल मानक परिसंपत्ति का प्रावधान किया गया है। वर्ष के दौरान, संस्था का कर के बाद लाभ 2,191.02 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023-24: 1,601.64 करोड़ रुपये) था। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक का परिणामी आस्तियों पर प्रतिलाभ ("आरओए") ~ 3.48% और इक्विटी पर प्रतिलाभ ("आरओई") ~ 9.11% था।

पूंजी संरचना

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 5 के अनुसार, संस्था की अधिकृत शेयर पूंजी 1,00,000 करोड़ रुपये होगी, जिसे प्रति 10 रुपये के पूर्णतः चुकता दस हजार करोड़ शेयरों में विभाजित किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022 में, भारत सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई 7 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के अनुसार, संस्था के 10 रुपये के अंकित मूल्य के 20,000 करोड़ रुपये के पूर्णतः चुकता शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर केंद्र सरकार को आवंटित किए गए थे। आज की तारीख में, संस्था की 100% शेयरधारिता भारत सरकार के पास है।

अनुदान

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 21 के अनुसार 31 मार्च, 2022 को भारत सरकार से 5,000 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। अनुदान राशि को 6 जुलाई, 2023 के रिजर्व बैंक के स्पष्टीकरण के अनुरूप संस्था की टियर I पूंजी के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। अनुदान राशि को वित्त वर्ष 2025 के दौरान सावधि जमा में निवेश करना जारी रखा जाता है और अनुदान राशि पर अर्जित ब्याज का उपयोग उधार दर को कम करने के लिए किया जाता है, जिससे अनुदान प्रदान किए जाने वाले उद्देश्य की पूर्ति होती है।

लाभांश

संस्था की स्थापना अवसंरचना वित्तपोषण के व्यवसाय को आगे बढ़ाने और उससे जुड़े या उससे संबंधित मामलों के लिए की गई है। चूंकि संस्था अपने संचालन के शुरुआती वर्षों में है, इसलिए यह आवश्यक और विवेक सम्मत दृष्टिकोण होगा कि संस्था वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ

को अपने आरक्षित और अधिशेष में वापस लगाए और इस तरह विकास के लिए अपनी पूंजी को संवर्धित करे। 30 अप्रैल, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल ने यह विवेक सम्मत माना था कि संस्था को अपनी पूरी आय को आरक्षित निधि और अधिशेष में वापस लगाना चाहिए ताकि संस्था के विनियोजन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूंजी बढ़ायी जाए। तदनुसार, संस्था के निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कोई लाभान्श घोषित नहीं किया है।

आरक्षित निधि में स्थानांतरण

संस्था ने राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 24 के अनुसार एक आरक्षित निधि की स्थापना की गई है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान संस्था ने लाभ में से 438.20 करोड़ रुपये की राशि आरक्षित निधि में हस्तांतरित की है।

कारोबारी गतिविधियां

यथा 31 मार्च, 2025 मंजूरी पोर्टफोलियो का सारांश नीचे दिया गया है:

	यथा 31 मार्च, 2025 राशि (करोड़ रुपए में)
अंतिम मंजूरी (आरंभ से संचयी)	2,03,029
बकाया निधि आधारित बही (निवेश को छोड़कर)	56,620
बकाया गैर-निधि आधारित बही	474.82
निवेश (एनसीडी और इनविट यूनिट)	2,820.73

वर्ग	संस्वीकृत राशि राशि (करोड़ रुपए में)	% संस्वीकृति
यातायात और लॉजिस्टिक्स	89,636	44.15%
ऊर्जा	82,632	40.70%
संचार	12,783	6.30%
सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना	12,365	6.09%
जल एवं स्वच्छता	5,613	2.76%
कुल	2,03,029	100%

विकासात्मक उद्देश्य

विकासात्मक उद्देश्य के तहत, संस्था विभिन्न पहलों पर काम कर रही है, जिसमें बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) और इसी तरह के संस्थानों - घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के साथ सहयोग और जुड़ाव, जलवायु स्थिरता को बढ़ावा देने वाली अवसंरचना परियोजनाओं के सह-वित्तपोषण / सह-ऋण देने के लिए, संस्था के उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए नवोन्मेषी वित्तपोषण उपकरणों का विकास, आदि शामिल हैं।

संस्था, सार्वजनिक-निजी क्षेत्र भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए लेनदेन सलाहकार सेवाएं (टीएएस) प्रदान कर रही है, जिससे बैंकयोग्य परियोजना पाइपलाइन के निर्माण में सुविधा हो रही है। संस्था अवसंरचना क्षेत्र के बॉन्ड की अंडरराइटिंग/सब्सक्राइबिंग करके बॉन्ड बाजारों को भी मजबूत कर रही है।

इसके अलावा संस्था सह-प्रायोजक/एंकर निवेशक के रूप में कार्य करते हुए केंद्र/राज्य सरकार के परिसंपत्ति मुद्राकरण कार्यक्रमों को सुविधाजनक बना रही है। इसने भारतीय अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए वैश्विक विकासात्मक पूंजी तक पहुंच बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ सहयोग करके मिश्रित/रियायती वित्त संरचनाओं के माध्यम से निवेश को आकर्षित करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) के साथ मान्यता के लिए प्रत्यक्ष पहुंच इकाई के रूप में संस्था की भी सिफारिश की है। जीसीएफ बोर्ड के साथ मान्यता आवेदन प्रक्रियाधीन है।

संस्था ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विनियामकों और अन्य हितधारकों के साथ विभिन्न पहलों पर इनपुट साझा करके नीति सिफारिश की पहल की है, मसलन बॉन्ड जारीकर्ताओं/प्रदाताओं के बीच स्वीकार्यता में सुधार के लिए आंशिक ऋण वृद्धि दिशा-निर्देशों पर सुझाव/निविष्टि प्रदान करना; बीओटी परियोजनाओं के लिए मॉडल रियायत समझौतों पर सुझाव, अन्य के अलावा। संस्था ने स्थिरता उपायों की दिशा में भी कदम उठाए हैं और पर्यावरण और सामाजिक (ईएंडएस) नीति के साथ-साथ सहायक ईएंडएस प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) तंत्र को लागू किया है और ईएंडएस जोखिम मूल्यांकन के लिए अपने क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली के साथ एकीकृत किया है।

संस्था ने ज्ञान प्रसार सत्रों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं और 'विकसित भारत 2027 के लिए प्रमुख प्रवर्तक के रूप में बुनियादी ढाँचा, मुनि बॉन्ड सहित कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजारों को खोलना, हरित वित्तपोषण और एमडीबी का भारतीय बुनियादी ढाँचे पर कब्जा' विषयों पर अपना पहला बुनियादी ढाँचा सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें नियामकों, सरकारी निकायों, बैंकिंग उद्योग और अन्य हितधारकों ने अच्छी तरह से भाग लिया। सम्मेलन में 3 मुख्य वक्ता सत्र, फायरसाइड चैट और नियामक निकायों, राज्य और केंद्र सरकारों, बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग के प्रतिष्ठित वक्ताओं द्वारा पैनल चर्चाएँ शामिल थीं। इसके अलावा, संस्था ने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) / नगर निगमों के लिए 'विकसित भारत 2047 में यूएलबी की भूमिका, यूएलबी के वित्त / संसाधन संरचना में सुधार और अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ नेट जीरो 2070 की ओर यूएलबी की भूमिका' विषयों पर क्षमता निर्माण कार्यशाला भी आयोजित की थी। संस्था ने यूएलबी/नगर निगमों द्वारा कार्यान्वित अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अपने कार्यक्रम आधारित ऋण उत्पाद का भी शुभारंभ किया।

ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण

संस्था की स्थापना राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के तहत की गई है और तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(जी) के साथ धारा 186 के प्रावधान दिए गए ऋणों, दी गई गारंटी या प्रदान की गई प्रतिभूतियों से संबंधित संस्था पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए, इस रिपोर्ट में उपरोक्त धारा के तहत आवश्यक प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

सहायक, अनुषंगी और संयुक्त उद्यम कंपनियां

इस रिपोर्ट की तिथि तक संस्था के पास कोई सहायक, अनुषंगी और संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

संस्था की वर्तमान स्थिति और उसके भविष्य के संचालन को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और ठोस आदेश

विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और/या ठोस आदेश पारित नहीं किया गया है, जो संस्था की चालू स्थिति या भविष्य के संचालन को प्रभावित करता हो।

वर्ष के दौरान दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के अंतर्गत किए गए आवेदन या लंबित किसी कार्यवाही का विवरण तथा वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति

वित्त वर्ष 2025 के दौरान, संस्था ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में कोई आवेदन दायर नहीं किया है।

एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण और उसके कारणों का ब्योरा

वित्त वर्ष 2025 के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था के साथ एकमुश्त निपटान का कोई घटना नहीं हुई।

संस्था की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले ठोस परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

संस्था की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी ठोस परिवर्तन या प्रतिबद्धताएं नहीं हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत, जिससे यह वित्तीय विवरण संबंधित हैं, और इस रिपोर्ट की तारीख के दौरान घटित हुई हैं।

निदेशक मंडल और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की संरचना में परिवर्तन

संस्था के निदेशक मंडल की संरचना राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 6 के अनुसार है, जिसे इसके अंतर्गत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के साथ पढ़ा जाएगा।

2023-2024 की वार्षिक रिपोर्ट में 21 मई, 2024 तक संस्था के निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तनों को शामिल किया गया था। 22 मई, 2024 से 19 जून, 2025 के दौरान संस्था के निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तनों का विवरण निम्नलिखित है:

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने अपनी अधिसूचना एफ संख्या 18/7(iii)/2022-II-I दिनांक 6 अगस्त, 2024 के माध्यम से सूचित किया था कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय को डॉ. भूषण कुमार सिन्हा (डीआईएन:08135512), पूर्व संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के स्थान पर संस्था के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है। यह नियुक्ति 06 अगस्त, 2025 से और भारत सरकार के अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।
2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना के अनुसार और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने श्री के.वी. कामथ को पदभार ग्रहण करने की तिथि (अर्थात् 29 अक्टूबर, 2021) से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, संस्था के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया था। तदनुसार, श्री के.वी. कामथ ने तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया और 28 अक्टूबर, 2024 को कार्य समय समाप्त होने से संस्था के अध्यक्ष नहीं रहे।
3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने अपनी अधिसूचना एफ संख्या 15/10/2021-आईएफ-1 दिनांक 6 जून, 2025 के माध्यम से 9 जून, 2025 को ई-मेल के माध्यम से प्राप्त किया था जिसमें बताया गया था कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने सुश्री. गुरनीत तेज (डीआईएन: 07047188), संयुक्त सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग को श्री राजीव सिंह ठाकुर (डीआईएन: 02631653), सलाहकार, नीति आयोग के स्थान पर संस्था के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है जो 06 जून 2025 से अगले आदेश तक प्रभावी है।

इसके अलावा, श्रीमती. ऐश्वर्या म्हात्रे, कंपनी सचिव और संस्था की अनुपालन अधिकारी, ने इस्तीफा दे दिया है और वह 19 अगस्त 2025 को व्यापार के घंटे समाप्त होने के समय से संस्था की सेवाओं से मुक्त हो जाएंगी।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा की है कि वे राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक सामान्य नियम, 2022 और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को लागू सीमा तक पूरा करते हैं, जिन्हें निदेशक मंडल ने 21 अप्रैल, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में नोट किया था।

वित्तीय वर्ष के दौरान और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नियुक्त स्वतंत्र निदेशक(को) की ईमानदारी, विशेषज्ञता और अनुभव (दक्षता सहित)

वर्ष के दौरान, नए स्वतंत्र निदेशक(को) की नियुक्ति का कोई दृष्टांत नहीं था। संस्था का बोर्ड इस बात की पुष्टि करता है और उसकी राय है कि संस्था के बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त ईमानदारी, विशेषज्ञता और अनुभव (दक्षता सहित) है।

आचार संहिता

संस्था के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित आचार संहिता है। उक्त संहिता संस्था की वेबसाइट <https://nabfid.org/investors> पर उपलब्ध है। सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 के तहत निर्धारित आचार संहिता

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं के अनुसार, संस्था ने अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए आचरण संहिता और प्रक्रिया तथा नामित व्यक्तियों और उनके निकटतम संबंधियों द्वारा व्यापार के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता को अपनाया है।

निदेशक मंडल की बैठकें

वित्त वर्ष 2025 के दौरान, संस्था के निदेशक मंडल की बारह (12) बैठकें क्रमशः 16 अप्रैल, 2024, 21 मई, 2024, 18 जून, 2024, 29 जुलाई, 2024, 20 सितंबर, 2024, 23 अक्टूबर, 2024, 29 नवंबर, 2024, 16 दिसंबर, 2024, 23 दिसंबर, 2024, 29 जनवरी, 2025, 13 मार्च, 2025 और 21 मार्च, 2025 को आयोजित की गईं।

कॉर्पोरेट अभिशासन और अनुपालन

संस्था कॉर्पोरेट अभिशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और निरंतर प्रयास कर रही है। संगठन के कामकाज में पारदर्शिता, निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करने के लिए संस्था ने कॉर्पोरेट अभिशासन और अनुपालन के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं को सक्रिय रूप से अपनाया है। संस्था के पास कानूनों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से स्पष्ट नीतियां और नियंत्रण हैं। संस्था का अनुपालन ढांचा अनुपालन जोखिमों की मजबूत पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक संरचित है। प्रासंगिक बने रहने और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए नीतियों का निरंतर मूल्यांकन और अद्यतन करना एक सतत प्रयास है। संस्था की कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट और प्रमाणपत्र क्रमशः अनुलग्नक - 1 और अनुलग्नक - 2 के रूप में इस निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

लेखापरीक्षक

मेसर्स सीएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या 101961W/W-100036) को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संस्था का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। उक्त लेखापरीक्षक ने लेखा परीक्षा की है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है और इसलिए, प्रबंधन के अभ्यावेदन की आवश्यकता नहीं है।

सचिवीय लेखापरीक्षक और सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

विनियमन 24ए(1) के अनुसार, जो अब भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 62M द्वारा शासित है, मेसर्स अल्विन जे एंड कंपनी, कंपनी सचिव, (फर्म पंजीकरण संख्या P2010MH02150) को वित्त वर्ष 2025 के लिए सचिवीय ऑडिट करने के लिए नियुक्त किया गया था। सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट इस निदेशक की रिपोर्ट के साथ अनुबंध-3 के रूप में संलग्न है। रिपोर्ट में लेखापरीक्षक द्वारा अपने पेशेवर दायित्व के निर्वहन में उनके द्वारा किए गए अस्वीकरण के अलावा कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण नहीं किया गया है।

वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार, संस्था ने सेबी विनियमों, परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार सभी लागू अनुपालनों के लिए वित्त वर्ष 2025 के लिए सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त की है। वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों (यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) को प्रस्तुत की गई है और यह स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर संस्था की वेबसाइट www.nabfid.org पर उपलब्ध है।

लागत अभिलेखों का रखरखाव

संस्था की स्थापना राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के तहत की गई है और तदनुसार उसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की घटनाएं, यदि कोई हों

संस्था की स्थापना राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के तहत की गई है और तदनुसार, धारा 143(12) का प्रावधान संस्था पर लागू नहीं होता है। हालाँकि, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षक ने लेखापरीक्षा समिति को धोखाधड़ी की किसी भी घटना की सूचना नहीं दी है।

आंतरिक नियंत्रण और इसकी पर्याप्तता

बैंक के पास अपने वित्तीय विवरणों के संबंध में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाएं हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं। ये नियंत्रण और प्रक्रियाएं विभिन्न नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रमाणन के माध्यम से संचालित होती हैं। वित्तीय जानकारी की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता का पता लगाने के लिए बैंक इन नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता की जांच करता है।

संबंधित पक्ष लेन-देन

संस्था के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित संबंधित पक्ष लेनदेन नीति है। लेखांकन मानक AS-18 के तहत आवश्यक संबंधित पक्ष लेनदेन वित्तीय विवरणों के लेखा नोटों में रिपोर्ट किए जाते हैं।

जोखिम प्रबंधन

निदेशक मंडल, संस्था द्वारा उठाए गए सभी जोखिमों की निगरानी करता है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) इकाई-व्यापी जोखिमों की निगरानी और एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। आरएमसी विभिन्न जोखिम प्रकारों के लिए सीमाओं के विरुद्ध संस्था की जोखिम स्थितियों की समीक्षा करती है और साथ ही विभिन्न जोखिम प्रकारों के प्रबंधन के लिए गठित विभिन्न कार्यकारी स्तर की समितियों के संचालन की देखरेख करती है। उद्यम जोखिम प्रबंधन और जोखिम-वहन क्षमता ढांचा (ईआरएम और आरएएफ) समन्वित तरीके से विभिन्न पहचाने गए जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करता है और ऐसे पहचाने गए जोखिम प्रकारों के लिए संस्था की जोखिम-वहन क्षमता को निर्धारित करता है। यह रणनीतिक, सामरिक और लेन-देन संबंधी व्यावसायिक निर्णयों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर विचार करते हुए सैद्धांतिक स्तर जोखिम-वहन क्षमता का विवरण प्रदान करता है। इनका मूल्यांकन कुछ प्रमुख प्रभाव क्षेत्रों जैसे कि पूंजी पर्याप्तता, ऋण जोखिम, एकाग्रता जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम, परिचालन जोखिम (धोखाधड़ी जोखिम सहित), आईटी सुरक्षा जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम, अनुपालन जोखिम और रणनीतिक जोखिम में किया जाता है। बोर्ड ने प्रत्येक प्रमुख जोखिम प्रकार के प्रबंधन के लिए अभिशासी ढांचे का निर्माण करने वाली नीतियों/ढांचे को मंजूरी दी है, जैसे कि ऋण नीति, निवेश नीति, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति, ऋण मूल्य निर्धारण ढांचा, आईसीएपी नीति, तनाव परीक्षण नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, आउटसोर्सिंग नीति, व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन और आपदा रिकवरी नीति, सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन नीति, मॉडल जोखिम प्रबंधन नीति और सूचना सुरक्षा नीति स्थापित की गई है और उनका कार्यान्वयन जारी है। विभिन्न जोखिमों के स्वतंत्र मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए संस्था में विभिन्न विभाग स्थापित किए गए हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक जानकारी

संस्था के पास कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नीति के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम,

निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, संस्था ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण और उससे जुड़े या उससे संबंधित मामलों के लिए आंतरिक समिति का भी गठन किया है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

a) वर्ष में प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या (FY 2025): शून्य

b) वर्ष के दौरान निपटायी गई शिकायतों की संख्या(FY 2025): शून्य

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

संस्था की स्थापना राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के तहत की गई है और तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधान कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ लागू नहीं होते हैं। इसलिए, इस रिपोर्ट में उक्त धारा के तहत आवश्यक प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

जमाराशियां

संस्था की स्थापना राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के तहत की गई है और तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और 74 के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(v) और (vi) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसलिए, इस रिपोर्ट में उक्त धारा के तहत आवश्यक प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

संस्था की स्थापना राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के तहत की गई है और तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संबंध में प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

कार्य-निष्पादन मूल्यांकन

संस्था के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्य-निष्पादन मूल्यांकन ढांचा है। निदेशकों, बोर्ड, बोर्ड के अध्यक्ष और बोर्ड समितियों के लिए मूल्यांकन क्रमशः निदेशकों, बोर्ड, बोर्ड के अध्यक्ष और बोर्ड

समितियों के लिए विभिन्न प्रश्नावलियों के परिचालन के माध्यम से किया जाता है। प्रदर्शन का मूल्यांकन बोर्ड/समितियों की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और दायित्वों, बोर्ड/समितियों की चर्चाओं की प्रासंगिकता, रणनीतिक मुद्दों पर ध्यान, प्रमुख क्षेत्रों में प्रदर्शन, कार्यकारी प्रबंधन को प्रतिक्रिया प्रदान करने और प्रबंधन और बोर्ड/समितियों के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का आकलन करने से संबंधित चुनिंदा मापदंडों पर किया जाता है जो बोर्ड के लिए प्रभावी रूप से और उचित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक है। वित्त वर्ष 2025 के लिए कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर आयोजित की गई थी, जिसकी समीक्षा नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक, अलग स्वतंत्र निदेशक बैठक और बोर्ड की बैठक में की गई थी।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

संस्था के पास सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक गवर्निंग ढांचा है। संस्था, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी को जिम्मेदारी से और पारदर्शी तरीके से प्रकट कर रही है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान, कुल 93 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 92 को उचित जानकारी या प्रतिक्रिया प्रदान करके निपटाया गया। शेष आवेदन का भी आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर जवाब दिया गया। इसके अलावा, 21 आरटीआई अपीलें दायर की गईं, जिनमें से 31 मार्च, 2025 तक 20 का निपटारा कर दिया गया। शेष अपील का निपटारा इसकी प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर किया गया।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

संस्था में राजभाषा विभाग है जो भारत सरकार की राजभाषा नीति से संबंधित प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान राजभाषा के उपयोग को बढ़ाने पर जोर दिया गया।

वित्त वर्ष 2025 के दौरान:

1. संस्था ने वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया।
2. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 4 बैठकें आयोजित की गईं ।

3. राजभाषा कार्यशालाएं, राजभाषा पखवाड़ा और हिंदी दिवस कार्यक्रम आयोजित किए गए।
4. संसदीय राजभाषा समिति द्वारा संस्था का निरीक्षण किया गया और यह कार्य सुचारु रूप से संपन्न हुआ।
5. नियमित अंतराल पर राजभाषा पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

सतर्कता बढ़ाना

संस्था ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को मजबूत करने, सभी परिचालन क्षेत्रों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक सतर्क ढांचा स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यू. दिनेश शानबाग को भारत सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से संस्था के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में नियुक्त किया है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी वी सी) के सामान्य अधीक्षण के तहत बैंक में सतर्कता प्रशासन के लिए सतर्कता विभाग का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जाता है। सतर्कता विभाग बैंक के अधिकारियों के सतर्कता संबंधी सभी मामलों को देखता है। सतर्कता विभाग सतर्कता प्रशासन के सभी 3 कार्यों जैसे निवारक, दंडात्मक और निगरानी सतर्कता को संभालता है, जिसका उद्देश्य संगठन में प्रबंधकीय दक्षता और प्रभावशीलता के स्तर को बढ़ाना है। डीएफएस, डीओपीटी, सीवीसी द्वारा जारी परिपत्रों, दिशा-निर्देशों और निर्देशों आदि के सारांश को शामिल करने वाली जानकारी को समय-समय पर निवारक सतर्कता के अन्य संबंधित विषयों के साथ-साथ क्षेत्रीय पदाधिकारियों/कार्यालयों को परिचालित किए जाते हैं।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के दौरान निवारक सतर्कता और सामान्य जागरूकता पर क्विज़, वॉकथॉन, जांच अधिकारियों, पीठासीन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्टाफ सदस्यों के लिए कार्यशालाओं सहित विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

कर्मचारियों का विवरण

यथा 31 मार्च, 2025 को संस्था में 170 कर्मचारी थे। क्षमता निर्माण के एक भाग के रूप में, संस्था ने विभिन्न बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अधिकारियों को नामित किया था, जैसे विश्लेषक के लिए एनआईबीएम में इंडक्शन ट्रेनिंग, बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) और एनआईबीएम के माध्यम से सीएक्सओ प्रशिक्षण, एफआईएमएमडीए

प्रशिक्षण, आईएसबी, हैदराबाद में नेतृत्व प्रशिक्षण आदि। परियोजना और बुनियादी ढांचे के वित्त, जोखिम आदि के क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए अनिवार्य ई-लर्निंग मॉड्यूल/प्रमाणन भी शुरू किया गया है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

निदेशक मंडल अपनी सर्वोत्तम जानकारी और क्षमता के अनुसार यह व्यक्त करता है कि:

1. वार्षिक लेखों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया तथा महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण दिया गया।
2. उन्होंने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में संस्था के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए संस्था के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।
3. उन्होंने संस्था की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के साथ पठित इसके अंतर्गत बनाए गए लागू नियमों और विनियमों और अन्य लागू नियामक प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।
4. उन्होंने वार्षिक खातों को कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किया है।
5. उन्होंने संस्थान द्वारा पालन करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्यरत हैं।

6. उन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

अभिस्वीकृति

संस्था भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से प्राप्त बहुमूल्य सहयोग के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहती है। संस्था विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, अन्य संस्थाओं तथा संस्था से जुड़े प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए समर्थन और सहयोग के लिए भी अपना आभार व्यक्त करना चाहती है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

दिनांक : 19 जून 2025

स्थान : मुंबई

श्री. राजकिरण राय जी.

प्रबंध निदेशक

(डीआईएन: 07427647)

निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में घोषणा

मैं पुष्टि करता हूँ कि सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

दिनांक : 19 जून 2025

स्थान : मुंबई

श्री. राजकिरण राय जी.

प्रबंध निदेशक

(डीआईएन: 07427647)

अनुबंध - 1

कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट अभिशासन का दर्शन

संस्था कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं के उच्चतम स्तर को परिभाषित करने, उनका पालन करने और उनका अभ्यास करने के लिए प्रतिबद्ध है और निरंतर प्रयास कर रही है। कॉर्पोरेट **अभिशासन** पर संस्था का दर्शन व्यवसाय रणनीतियों की देखरेख करता है और सभी हितधारकों के लिए राजकोषीय जवाबदेही, नैतिक कॉर्पोरेट व्यवहार और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। संस्था ने अपने गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर को स्टॉक एक्सचेंजों यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध किया है और इसे 20 जून, 2023 से उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई माना जाता है। संस्था अपने सभी परिचालनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, खुलासे करने और हितधारक मूल्य संवर्धन के उद्देश्य से राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक, अधिनियम 2021 के नियमों और विनियमों और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 सहित अन्य लागू सांविधिक प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

2. निदेशक मंडल और बोर्ड बैठकों का ब्योरा

वित्त वर्ष 2025 के दौरान संस्था के निदेशक मंडल की बारह (12) बैठकें क्रमशः 16 अप्रैल, 2024, 21 मई, 2024, 18 जून, 2024, 29 जुलाई, 2024, 20 सितंबर, 2024, 23 अक्टूबर, 2024, 29 नवंबर, 2024, 16 दिसंबर, 2024, 23 दिसंबर, 2024, 29 जनवरी, 2025, 13 मार्च, 2025 और 21 मार्च, 2025 को आयोजित की गईं। 31 मार्च, 2025 तक निदेशक द्वारा बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति, पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति और अन्य निदेशक पदों और बोर्ड समितियों की सदस्यता का विवरण निम्नांकित है:

निदेशक का नाम और डीआईएन	कब से निदेशक	वर्ग	बोर्ड बैठक		क्या 18 जून, 2024 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम सभा में भाग लिया	अन्य निदेशक पदों की संख्या 3	अन्य सूचीबद्ध इकाई का नाम जहां कोई व्यक्ति निदेशक है और निदेशक पद की श्रेणी		अन्य समिति की संख्या सदस्यता (अध्यक्षता) ⁴
			Held	Attended			कंपनी का नाम	निदेशक पद की श्रेणी	
श्री कुंदापुर वामन कामत (DIN:00043501) (28 अक्टूबर 2024 तक) ⁸	29 अक्टूबर 2021	अध्यक्ष	6	6	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री मनोज मुतथिल अय्यप्पन (डीआईएन: 10733238) ⁷ 06 अगस्त, 2024 से	06 अगस्त 2024	सरकारी नामित निदेशक	8	7	लागू नहीं	2	बैंक ऑफ इंडिया	नामिती निदेशक	1(0)
सुश्री गुरनीत तेज (डीआईएन: 07047188) (06 जून 2025 से)	06 जून 2025	सरकारी नामित निदेशक	--	--	लागू नहीं	3	--	--	--
सुश्री अरुणा सुंदरराजन	10 अप्रैल 2022		12	12	हाँ	5	एल एंड टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड		5(1)

(डीआईएन: 03523267)		स्वतंत्र निदेशक					इन्फो एज (इंडिया) लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	
							डेल्हिवरी लिमिटेड		
श्री बी. श्रीराम (डीआईएन: 02993708)	05 जून 2022	स्वतंत्र निदेशक	12	12	हाँ	6	टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	4(1)
							निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड		
							आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड		
							टीवीएस सप्लाय चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड		
श्री टी.एन. मनोहरन (डीआईएन: 01186248)	10 अप्रैल 2022	स्वतंत्र निदेशक	12	12	हाँ	2	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	1(1)
							महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड		
श्री एल.वी. प्रभाकर (डीआईएन: 08110715)	18 अक्टूबर 2023	स्वतंत्र निदेशक	12	12	हाँ	2	कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	1(0)
							इंडसइंड बैंक लिमिटेड		
श्री एन.एस. कन्नन (डीआईएन: 00066009)	18 अक्टूबर 2023	स्वतंत्र निदेशक	12	12	हाँ	3	विप्रो लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	3(2)

श्री सुरेश पटेल (डीआईएन: 07202263)	18 अक्टूबर 2023	स्वतंत्र निदेशक	12	12	हाँ	3	कृष्णा इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	1(1)
श्री राजकिरण राय जी. (डीआईएन: 07427647)	08 अगस्त 2022	प्रबन्ध निदेशक	12	12	हाँ	0	--	--	--
श्री बी.एस. वेंकटेश (डीआईएन: 08489577)	19 सितंबर 2022	उप प्रबन्ध निदेशक - मुख्य जोखिम अधिकारी	12	12	हाँ	0	--	--	--
सुश्री मोनिका कालिया (डीआईएन: 08579733)	16 नवंबर 2022	उप प्रबन्ध निदेशक - मुख्य वित्तीय अधिकारी	12	12	हाँ	0	--	--	--
श्री सैमुअल जोसेफ जेबराज (डीआईएन: 02262530)	06 अप्रैल 2023	उप प्रबन्ध निदेशक - उधार और परियोजना वित्त	12	11	हाँ	0	--	--	--

डॉ भूषण कुमार सिन्हा (डीआईएन: 08135512) (06 अगस्त 2024 तक) ⁷	25 मई 2023	सरकारी नामित निदेशक	4	3	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सुश्री सुमिता डावरा (डीआईएन: 01005516) (26 अप्रैल 2024 तक) ⁵	08 नवंबर 2021	सरकारी नामित निदेशक	1	1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री राजीव सिंह ठाकुर (डीआईएन: 02631653) (25 मई 2023 तक) ⁶	26 अप्रैल 2024	सरकारी नामित निदेशक	11	3	हाँ	1	--	--	--

नोट :

- कोई भी निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं
- किसी भी निदेशक के पास संस्था की प्रतिभूतियाँ या परिवर्तनीय उपकरण नहीं हैं।

3. इसमें गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियाँ और इक्विटी सूचीबद्ध संस्थाएँ शामिल हैं, लेकिन धारा 8 कंपनियाँ, विदेशी कंपनियाँ और ऋण सूचीबद्ध संस्थाएँ शामिल नहीं हैं। प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक के निदेशक पदों की संख्या समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के तहत निर्धारित सीमाओं के भीतर है।
4. सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध दोनों सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति में सदस्यता/अध्यक्षता पर विचार किया गया है और उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध संस्थाओं को बाहर रखा गया है। सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की समिति सदस्यता (अध्यक्षता सहित) की संख्या संस्था के सभी निदेशकों के लिए सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के तहत निर्धारित सीमाओं के भीतर थी।
5. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने 29 अप्रैल, 2024 को ई-मेल के माध्यम से प्राप्त अपनी अधिसूचना एफ संख्या 15/10/2021-आईएफ-1 दिनांक 26 अप्रैल, 2024 के माध्यम से सूचित किया था कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने श्री राजीव सिंह ठाकुर (डीआईएन: 02631653) अतिरिक्त सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग को सुश्री सुमिता डावरा (डीआईएन: 01005516) सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय के स्थान पर संस्था के बोर्ड में निदेशक के रूप में 26 अप्रैल, 2024 से और अगले आदेश तक नामित किया था।
6. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने अपनी अधिसूचना एफ संख्या 18/7(iii)/2022-II-I दिनांक 6 अगस्त, 2024 के माध्यम से सूचित किया था कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय को डॉ. भूषण कुमार सिन्हा (डीआईएन:08135512), संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के स्थान पर संस्था के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है। यह नियुक्ति 06 अगस्त, 2025 से और भारत सरकार के अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।

7. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना के अनुसार तथा राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने श्री के.वी. कामथ को पदभार ग्रहण करने की तिथि (अर्थात् 29 अक्टूबर, 2021) से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, संस्था के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया था। तदनुसार, श्री के.वी. कामथ ने तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया तथा 28 अक्टूबर, 2024 को कार्य समय समाप्त होने से संस्था के अध्यक्ष नहीं रहे।
8. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने अपनी अधिसूचना) एफ संख्या 15/10/2021-आईएफ-1 दिनांक 6 जून, 2025 के माध्यम से 9 जून, 2025 को ई-मेल के माध्यम से प्राप्त किया था जिसमें बताया गया था कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने सुश्री गुरनीत तेज (डीआईएन: 07047188), संयुक्त सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग को श्री राजीव सिंह ठाकुर (डीआईएन: 02631653), सलाहकार, नीति आयोग के स्थान पर संस्था के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है।

3. मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताएं

निदेशकों की प्रोफाइल (योग्यता सहित) संस्थान की वेबसाइट nabfid.org/board पर उपलब्ध है। संस्था के मौजूदा निदेशकों के पास मौजूद मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता का विवरण इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	विशेषज्ञता का क्षेत्र
सुश्री अरुणा सुंदरराजन	लोक प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी, शासन, जोखिम और वित्त
श्री बी. श्रीराम	बैंकिंग, वित्त, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान और निपटान प्रणाली, ऋण और जोखिम, कोषागार, दिवाला और दिवालियापन
श्री टी.एन. मनोहरन	लेखा और वित्त, कराधान, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन और जोखिम
श्री एल.वी. प्रभाकर	बैंकिंग, वित्त और लेखा, जोखिम प्रबंधन, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा वित्तपोषण, धन उगाहना और ऋण वित्तपोषण
श्री एन.एस. कन्नन	वित्त और लेखा, बैंकिंग, बीमा, रणनीति और कॉर्पोरेट योजना, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रतिभूति और अर्थशास्त्र, जोखिम प्रबंधन
श्री सुरेश पटेल	बैंकिंग, शासन, कानून, भुगतान और निपटान प्रणाली, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त और लेखा
श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन	शासन और नेतृत्व, बैंकिंग, एसएमई ऋण, वित्तीय विश्लेषण, व्यापार वित्त, जोखिम प्रबंधन, तनावग्रस्त खाता प्रबंधन और ऋण संचालन
सुश्री गुरनीत तेज	लोक प्रशासन, महिला एवं बाल विकास, शहरी विकास
श्री राजकिरण राय जी.	बैंकिंग और वित्त, कृषि वित्त, औद्योगिक वित्त और मानव संसाधन
श्री बी.एस. वेंकटेश	जोखिम प्रबंधन, बैंकिंग और वित्त

सुश्री मोनिका कालिया	बैंकिंग और वित्त, लेखा और वित्त, कराधान, आंतरिक लेखापरीक्षा, जोखिम प्रबंधन, कोषागार और विदेशी मुद्रा, निवेशक संबंध, अनुपालन और कॉर्पोरेट प्रशासन
श्री सैमुअल जोसेफ जेबराज	लेखा, बैंकिंग, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, जोखिम, वित्त, आईटी, बिक्री और विपणन, प्रशासन और कॉर्पोरेट प्रशासन

4. निदेशकों का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन

संस्थ के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रदर्शन मूल्यांकन ढांचा मौजूद है। निदेशकों की रिपोर्ट में इसका विवरण दिया गया है।

5. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

स्वतंत्र निदेशकों को संस्था में उनकी भूमिकाओं, अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ-साथ उद्योग की प्रकृति और संस्था के व्यापार मॉडल से निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति के समय प्रेरण कार्यक्रम, निदेशक विकास कार्यक्रम और उद्योग अवलोकन, प्रमुख नियामक विकास, रणनीति और प्रदर्शन पर प्रस्तुतियों के माध्यम से परिचित कराया जाता है, जो पूरे वर्ष आयोजित बोर्ड/समिति की बैठकों के दौरान निदेशकों के समक्ष रखे जाते हैं। संस्था नए निदेशक को उद्योग की गतिशीलता से परिचित कराता है ताकि उन्हें सार्थक विचार-विमर्श करने और सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सके। संस्था ने परिचय कार्यक्रम का विवरण संस्था की वेबसाइट <https://nabfid.org/uploads/files/careers/announcements/Familiarisation-programmes-to-Independent-Directors.pdf> पर भी उपलब्ध है।

6. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मिकों का पारिश्रमिक

संस्था के पास राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक, अधिनियम, 2021 के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित मुआवजा नीति है, जिसे इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा, गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने के मानदंड संस्था की वेबसाइट <https://nabfid.org/uploads/files/careers/announcements/Criteria-of-making-payments-to-Non-executive-Directors.pdf> पर उपलब्ध हैं।

वित्त वर्ष 2025 के दौरान बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रत्येक गैर-कार्यकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक के अलावा) को भुगतान की गई कुल बैठक फीस और पारिश्रमिक की जानकारी निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

क्रम सं.	नाम	सिटींग फीस (राशि रु. में)	पारिश्रमिक (राशि रु. में)
1.	श्री के.वी. कामथ	11,00,000	Nil
2.	सुश्री अरुणा सुंदरराजन	38,00,000	26,75,342
3.	श्री बी श्रीराम	39,00,000	26,75,342
4.	श्री टी.एन. मनोहरन	33,00,000	26,75,342
5.	श्री एल.वी. प्रभाकर	54,00,000	26,75,342
6.	श्री एन.एस. कन्नन	42,00,000	26,75,342
7.	श्री सुरेश पटेल	39,00,000	26,75,342
कुल		2,56,00,000	160,52,052

वित्त वर्ष 2025 के दौरान, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अनुसार, पूर्णकालिक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को कुल 13,04,65,528 रुपये का पारिश्रमिक (लाभ सहित) का भुगतान किया गया।

7. निदेशक मंडल की समितियाँ:

I. लेखापरीक्षा समिति :

संस्था ने राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक, अधिनियम, 2021 के साथ-साथ इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), विनियम 2015 के अनुसार, जहां तक लागू हो, लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है।

लेखापरीक्षा समिति राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक, अधिनियम, सामान्य विनियम , 2022 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), विनियम 2015 के अनुसार, जहां तक लागू हो, कार्य करती है और कर्तव्यों का निर्वहन करती है।

वित्त वर्ष 2025 के दौरान समिति की छह बैठकें 16 अप्रैल, 2024, 21 मई, 2024, 29 जुलाई, 2024, 19 सितंबर, 2024, 23 अक्टूबर, 2024 और 29 जनवरी, 2025 को आयोजित की गईं। समिति की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

सदस्य का नाम	बैठकों में उपस्थित की संख्या
श्री टी.एन मनोहरन, अध्यक्ष	6/6
सुश्री अरुणा सुंदरराजन	6/6
श्री एल.वी. प्रभाकर	6/6
श्री एन.एस. कन्नन	6/6
सुश्री सुमिता डावरा (26 अप्रैल, 2024 तक)*	0/1

*संस्था के बोर्ड से हटने के बाद, सुश्री सुमिता डावरा 26 अप्रैल, 2024 से समिति की सदस्य नहीं रहेंगी।

II. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:

संस्था ने राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और बैंक अधिनियम, 2021 के अनुरूप नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (समिति) का गठन किया है, जिसे इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियम 2015 के साथ लागू सीमा तक पढ़ा जा सकता है।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक के सामान्य विनियम, 2022 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियम, 2015 के अनुरूप, जहां तक लागू हो, कार्य करती है और कर्तव्यों का निर्वहन करती है।

वित्त वर्ष 2025 के दौरान समिति की बारह (12) बैठकें 16 अप्रैल, 2024, 21 मई, 2024, 07 जून, 2024, 14 जून, 2024, 23 जुलाई, 2024, 18 सितंबर, 2024, 27 नवंबर, 2024, 28 नवंबर, 2024, 17 जनवरी, 2025, 12 फरवरी, 2025, 24 फरवरी, 2025 और 21 मार्च, 2025 को आयोजित की गईं। समिति की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

सदस्य का नाम	बैठकों में उपस्थित की संख्या
सुश्री अरुणा सुंदरराजन, अध्यक्ष	12/12
श्री बी श्रीराम	12/12
श्री टी.एन. मनोहरन	12/12
श्री एल.वी. प्रभाकर (17 अप्रैल, 2024 से) *	11/11
डॉ. भूषण कुमार सिन्हा (06 अगस्त 2024 तक)*	4/5
श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन (30 नवंबर, 2024 से)*	3/4

* संस्था के बोर्ड से हटने के बाद, श्री भूषण कुमार सिन्हा 06 अगस्त, 2024 से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे। बोर्ड ने 16 अप्रैल, 2024 को अपनी बैठक में समिति का पुनर्गठन किया, जिसके तहत श्री एल.वी. प्रभाकर को 17 अप्रैल, 2024 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसके अलावा, बोर्ड ने 29 नवंबर, 2024 को अपनी बैठक में समिति का पुनर्गठन किया, जिसके तहत श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन को 30 नवंबर, 2024 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

III. जोखिम प्रबंधन समिति

संस्था ने राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के अनुरूप जोखिम प्रबंधन समिति (समिति) का गठन किया है, जो इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियम 2015 के साथ लागू सीमा तक पढ़ा जा सकता है।

जोखिम प्रबंधन समिति राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक सामान्य विनियम, 2022 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियम 2015 के अनुसार कार्य करती है और कर्तव्यों का निर्वहन करती है, जहाँ तक लागू हो। जोखिम प्रबंधन समिति संस्था में जोखिम प्रबंधन की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। यह विभिन्न तंत्रों के माध्यम से संस्था के जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा और निगरानी करता है। यह संस्था के जोखिम स्तरों की निगरानी के लिए पहचाने गए विभिन्न उपायों की सीमाओं के माध्यम से समग्र जोखिम वहन-क्षमता को परिभाषित करता है।

वित्त वर्ष 2025 के दौरान समिति की आठ (8) बैठकें 15 अप्रैल, 2024, 21 मई, 2024, 23 जुलाई, 2024, 20 सितंबर, 2024, 21 अक्टूबर, 2024, 28 नवंबर, 2024, 22 जनवरी, 2025 और 11 मार्च, 2025 को आयोजित की गईं। समिति की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

सदस्य का नाम	बैठकों में उपस्थित की संख्या
श्री बी. श्रीराम, अध्यक्ष	8/8
श्री के.वी. कामथ (28 अक्टूबर, 2024 तक) #	5/5
सुश्री अरुणा सुंदरराजन	8/8
श्री एल.वी. प्रभाकर	8/8
श्री राजकिरण राय जी.	8/8

#संस्था के बोर्ड से हटने के बाद, श्री के.वी. कामथ के 28 अक्टूबर, 2024 से समिति का सदस्य नहीं रहने पर।

IV. आई टी रणनीति समिति

संस्था ने रिजर्व बैंक के लागू परिपत्र के अनुरूप आईटी रणनीति समिति (समिति) का गठन किया है।

आईटी रणनीति समिति, आईटी संचालन समिति और सूचना सुरक्षा समिति समय-समय पर संशोधित आरबीआई परिपत्र के अनुसार कार्य करती हैं और कर्तव्यों का निर्वहन करती हैं। आईटी रणनीति समिति आईटी रणनीति की तैयारी में मार्गदर्शन प्रदान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि एक प्रभावी आईटी रणनीतिक नियोजन प्रक्रिया लागू हो। इसके अलावा यह सुनिश्चित करती है कि आईटी रणनीति अपने व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में संस्था की समग्र रणनीति के साथ संरेखित हो।

वित्त वर्ष 2025 के दौरान समिति की आठ बैठकें 15 अप्रैल, 2024, 24 जुलाई, 2024, 19 सितंबर, 2024, 21 अक्टूबर, 2024, 27 नवंबर, 2024, 14 दिसंबर, 2024, 21 दिसंबर, 2024 और 24 जनवरी, 2025 को आयोजित की गईं। समिति की संरचना और

वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

सदस्य का नाम	बैठकों में उपस्थित की संख्या
श्री एन.एस. कन्नन, अध्यक्ष	8/8
श्री बी. श्रीराम	8/8
श्री सुरेश पटेल	8/8
श्री बी.एस. वैकटेश	8/8

V. हितधारक संबंध समिति

संस्था ने 19 जुलाई, 2023 से प्रभावी रूप से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के प्रावधानों के अनुरूप हितधारक संबंध समिति का गठन किया है। हितधारक संबंध समिति उक्त सूचीबद्धता विनियमों के अनुरूप कार्य करती है और कर्तव्यों का निर्वहन करती है। हितधारक संबंध समिति शेयरधारक, डिबेंचर धारकों और अन्य प्रतिभूति धारकों के हितों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करती है।

संस्था का कंपनी सचिव सूचीबद्धता विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान, कोई भी निवेशक शिकायत प्राप्त नहीं हुई और इस प्रकार वित्त वर्ष 2025 के अंत तक कोई भी शिकायत लंबित नहीं थी।

वित्त वर्ष 2025 के दौरान, समिति की एक (1) बैठक 24 जुलाई, 2024 को आयोजित की गई थी। समिति की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

सदस्य का नाम	बैठकों में उपस्थित की संख्या
श्री सुरेश पटेल, अध्यक्ष	1/1
श्री टी.एन. मनोहरन	1/1
सुश्री मोनिका कालिया	1/1
श्री सैमुअल जोसेफ जेबराज	1/1

VI. कार्यकारी समिति

संस्था ने राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुरूप कार्यकारी समिति (समिति) का गठन किया है।

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक सामान्य विनियम, 2022 के विनियमन 7(1) के अनुसार, बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले ऐसे सामान्य या विशेष निर्देशों के अधीन, कार्यकारी समिति बोर्ड की क्षमता के भीतर किसी भी मामले से निपट सकती है। कार्यकारी समिति समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करती है। कार्यकारी समिति संस्था में सर्वोच्च ऋण अनुमोदन प्राधिकरण है जो निचले स्तर के ऋण स्वीकृति प्राधिकरणों को सौंपी गई सीमाओं से अधिक ऋण जोखिमों की समीक्षा और अनुमोदन करती है।

वित्त वर्ष 2025 के दौरान समिति की सत्रह (17) बैठकें 10 जून 2024, 24 जून 2024, 28 जून 2024, 29 जुलाई 2024, 30 अगस्त 2024, 19 सितंबर 2024, 11 अक्टूबर 2024, 28 अक्टूबर 2024, 29 नवंबर 2024, 13 दिसंबर 2024, 23 दिसंबर 2024, 06 जनवरी 2025, 29 जनवरी 2025, 18 फरवरी 2025, 10-11 मार्च 2025, 18 मार्च 2025 और 28 मार्च 2025 को आयोजित की गईं। समिति की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

सदस्य का नाम	बैठकों में उपस्थित की संख्या
अध्यक्ष श्री राजकिरण राय जी	17/17
श्री एल.वी. प्रभाकर	17/17
सुश्री एन.एस. कन्नन	15/17
श्री सुरेश पटेल	17/17

8. अन्य समितियाँ

उपर्युक्त के अतिरिक्त, बोर्ड ने समय-समय पर विभिन्न आंतरिक प्रबंधन स्तर की समितियों का गठन किया है जैसे कि ऋण एवं व्यय अनुमोदन समिति 1, ऋण एवं व्यय अनुमोदन समिति 2, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति, निवेश समिति, कोषागार निवेश समिति, संसाधन जुटाने के लिए समिति, परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति, व्यवसाय निरंतरता एवं आपदा

रिकवरी प्रबंधन संचालन समिति, आईटी संचालन समिति, सूचना सुरक्षा समिति, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मानव संसाधन समिति, धोखाधड़ी निगरानी समिति, जानबूझकर चूककर्ता की पहचान करने वाली समिति, प्रकटीकरण समिति, जीआरसी समिति, अनुपालन निरीक्षण समिति, आचार समिति, डेटा सत्यापन समिति, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति आदि

9. स्वतंत्र निदेशकों की अलग से बैठक

वित्त वर्ष 2025 के दौरान, संस्था के स्वतंत्र निदेशकों की बैठक 16 अप्रैल, 2024 को गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना आयोजित की गई थी।

10. सामान्य बैठकों का ब्योरा

संस्था के गठन के बाद से आयोजित वार्षिक आम सभाओं (एजीएम) का विवरण निम्नलिखित है:

एजीएम	वर्ष	बैठक आयोजित करने का दिन और तारीख	समय	स्थान	विशेष संकल्प
तीसरी एजीएम	2023-24	18 जून 2024	03:30 अपराह्न	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों से बैठक आयोजित की गई	शून्य
दूसरी एजीएम	2022-23	17 जुलाई 2023	10:00 प्रातः	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों से बैठक आयोजित की गई	शून्य

पहली एजीएम	2021-22	09 दिसंबर 2022	11:00 प्रातः	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों से बैठक आयोजित की गई	शून्य
---------------	---------	-------------------	-----------------	--	-------

वित्त वर्ष 2025 के दौरान, संस्था ने शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त करने के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया था।

11. सामान्य शेयरधारकों की जानकारी

- आगामी वार्षिक आम सभा का ब्योरा:

वार्षिक आम सभा	दिन और तारीख	समय
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों से चौथी वार्षिक आम सभा	मंगलवार, जुलाई 29, 2025	पूर्वाह्न 10:00 बजे

- वित्तीय वर्ष: 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025
- लाभांश भुगतान तिथि: लागू नहीं, क्योंकि निदेशक मंडल द्वारा कोई लाभांश का भुगतान या अनुशंसा नहीं की गई है।
- प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज का नाम और पता जहां सूचीबद्ध इकाई की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं और ऐसे प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज को वार्षिक सूचीकरण शुल्क के भुगतान के बारे में पुष्टि: संस्था के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

1. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,

बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

स्क्रिप कोड: NABFID

2. बीएसई लिमिटेड

फ़िरोज़ जीजीभोय टावर्स,
दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001
स्क्रिप कोड: 974906

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उक्त स्टॉक एक्सचेंजों के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया गया है।

- **स्टॉक कोड:** संस्था के इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, इसलिए स्टॉक कोड लागू नहीं है। 31 मार्च, 2025 तक, संस्था के पास स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध 6 सक्रिय ISIN हैं।
- पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक महीने के दौरान बाजार मूल्य डेटा - उच्च, निम्न: लागू नहीं
- **बीएसई सेंसेक्स, क्रिसिल इंडेक्स आदि जैसे व्यापक-आधारित सूचकांकों की तुलना में प्रदर्शन:** लागू नहीं
- **ट्रेडिंग से निलंबित प्रतिभूतियों का विवरण:** लागू नहीं
- **शेयर हस्तांतरण प्रणाली:** संस्था एक इक्विटी सूचीबद्ध इकाई नहीं है। संस्था के शेयर भारत के राष्ट्रपति को केवल डीमैट फॉर्म में जारी किए गए थे। संस्था ने MUFG इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा, संस्था के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध थे और केवल डीमैट फॉर्म में जारी किए गए थे।
- **शेयरधारिता का वितरण:** संस्था की 100% शेयरधारिता भारत सरकार के पास है।

- **शेयरों का डीमैटरियलाइजेशन और चलनिधि :** संस्था एक इक्विटी सूचीबद्ध इकाई नहीं है। इसके अलावा, संस्था द्वारा जारी किए गए गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में हैं।
- **बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें या अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें या वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव:** लागू नहीं।
- **कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियाँ:** कमोडिटी मूल्य जोखिम संस्था की गतिविधि से सीधे उत्पन्न नहीं होता है। हालाँकि, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाले जोखिम को प्रबंधित करने के लिए, संस्था ने ऐसी नीति अपनाई है जिसमें मुद्रा जोखिम प्रबंधन, बेंचमार्किंग, हेजिंग और जोखिम की भूख, अनुमेय उपकरण, हेजिंग नीति, जोखिम प्रबंधन समिति और ट्रेजरी समूह की संरचना, रिपोर्टिंग प्रक्रिया आदि के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। 31 मार्च, 2025 तक, संस्था के पास विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों/देनदारियों में कोई जोखिम नहीं है।
- **संयंत्र अवस्थिति:** लागू नहीं
- **पत्राचार का पता:** राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (संस्था) - द कैपिटल, ए विंग, 15वीं मंजिल - 1503, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051
टेलीफोन - 02241042000
ई-मेल आईडी: contact@nabfid.org
वेबसाइट: www.nabfid.org
- **संस्था द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग:** वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, संस्था को विभिन्न सुविधाओं के लिए सभी प्रमुख रेटिंग एजेंसियों जैसे आईसीआरए, क्रिसिल, केयर और इंडिया रेटिंग से एएए/स्थिर (स्थिर दृष्टिकोण के साथ ट्रिपल ए) की क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हुई है।

12. संचार के साधन

संस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षित खाते, निदेशकों की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट शामिल है, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सदस्यों और अन्य पात्र लोगों को प्रसारित की जाती है। संस्था अपने हितधारकों के साथ वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठक, समाचार पत्रों और आधिकारिक वेबसाइट यानी www.nabfid.org के माध्यम से प्रकटीकरण के माध्यम से संवाद करती है। सूचीबद्धता विनियमों के तहत आवश्यक/निर्धारित वित्तीय और अन्य जानकारी और विभिन्न अनुपालन स्टॉक एक्सचेंजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं और संस्था की वेबसाइट के अलावा उनकी संबंधित वेबसाइटों पर भी उपलब्ध हैं। संस्था के तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, नवभारत टाइम्स और लोकसत्ता में प्रकाशित होते हैं और बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। संस्था ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान 28 अक्टूबर, 2024 को मुंबई में आयोजित बुनियादी ढांचे और विकास के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय बैंक की निवेशक बैठक में संस्थागत निवेशकों के सामने एक प्रस्तुति दी है।

13. अन्य प्रकटन

- महत्वपूर्ण रूप से संबंधित पक्ष लेन-देन के बारे में प्रकटीकरण, जो सूचीबद्ध इकाई के हितों के साथ संभावित टकराव हो : संबंधित पक्षों के साथ कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं है जिसका संस्था के हितों के साथ टकराव हो।
- पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा संस्था पर लगाए गए गैर-अनुपालन, दंड या प्रतिबंधों का विवरण: पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा संस्था पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया।
- सतर्कता तंत्र/व्हिसिल ब्लोअर नीति की स्थापना का विवरण, तथा इस बात की पुष्टि कि किसी भी कार्मिक को ऑडिट समिति तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया है: व्हिसल

ब्लोअर नीति तैयार की गई है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान, किसी भी कार्मिक को ऑडिट समिति तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया। वर्ष के दौरान कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

- **अधिदेशी आवश्यकताओं के अनुपालन और गैर-अधिदेशी आवश्यकताओं को अपनाने का विवरण:** संस्था ने 20 जून, 2023 को स्टॉक एक्सचेंजों पर अपने पहले गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर को सूचीबद्ध किया है। संस्था ने उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई होने के नाते लागू सीमा तक सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। संस्था ने सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 16 से विनियमन 27 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के साथ लागू सीमा तक (31 मार्च, 2025 तक 'अनुपालन या स्पष्टीकरण' के आधार पर लागू और उसके बाद अनिवार्य आधार पर) अनुपालन किया है ।
- **सांविधिक लेखापरीक्षकों के लिए शुल्क:** वित्त वर्ष 2025 के दौरान, प्रमाणीकरण और त्रैमासिक सीमित समीक्षा, कर लेखापरीक्षा, लिस्टिंग विनियमन रिपोर्ट शुल्क सहित अन्य लेखापरीक्षा से संबंधित सेवाओं सहित सांविधिक लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा शुल्क 60,04,000 रुपये था।
- **सूचीबद्ध इकाई द्वारा उन फर्मों/कंपनियों को ऋण की प्रकृति में 'ऋण और अग्रिम' का खुलासा, जिनमें निदेशकों की रुचि है, नाम और राशि के अनुसार:** बशर्ते कि यह आवश्यकता सूचीबद्ध बैंकों को छोड़कर सभी सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू होगी: लागू नहीं
- **जहां बोर्ड ने संबंधित वित्तीय वर्ष में बोर्ड की किसी समिति की कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की है, जो अनिवार्य रूप से आवश्यक है:** बोर्ड की समितियों की सभी सिफारिशें बोर्ड ने स्वीकार कर ली हैं, जो अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं।
- **वेब-लिंक जहां "महत्वपूर्ण" सहायक कंपनियों के निर्धारण की नीति का खुलासा किया गया है:** संस्था की कोई सहायक कंपनी नहीं है और इसलिए यह लागू नहीं है।

- वेब-लिंक जहां संबंधित पक्ष लेनदेन से निपटने की नीति का खुलासा किया गया है: यह नीति संस्था की वेबसाइट <https://nabfid.org/policy-on-dealing-with-related-party-transactions> पर उपलब्ध है।
- विनियमन 32(7ए) के तहत निर्दिष्ट अधिमान्य आबंटन या योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के उपयोग का विवरण: लागू नहीं
- प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से प्रमाण पत्र कि कंपनी के किसी भी बोर्ड सदस्य को सेबी/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी ऐसे सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है: प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी मेसर्स एल्विन एंड जे ने सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) रेगुलेशन, 2015 के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसमें पुष्टि की गई है कि संस्था के बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी ऐसे सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है। प्रमाण पत्र अनुलग्नक - 4 के रूप में संलग्न है।
- निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में राशि का हस्तांतरण: लागू नहीं।
- डीमैट उचंत खाते/अप्रत्यावश्यक उचंत खाते के संबंध में प्रकटीकरण: वित्त वर्ष 2025 के लिए डीमैट उचंत खाते/अप्रत्यावश्यक उचंत खाते में कोई शेयर नहीं था।
- सूचीबद्ध इकाई की महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों का विवरण; जिसमें निगमन की तिथि और स्थान तथा ऐसी सहायक कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों के नाम और नियुक्ति की तिथि शामिल है: संस्था की कोई सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए यह लागू नहीं है।
- पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से वरिष्ठ प्रबंधन में हुए बदलावों सहित उनका विवरण: 31 मार्च, 2025 तक कुल 16 वरिष्ठ प्रबंधन थे। संगठनात्मक परिवर्तनों के अनुसार, 6 वरिष्ठ प्रबंधन समाप्त हो गए और 3 अधिकारियों की पहचान वरिष्ठ प्रबंधन के रूप में की गई।
- सूचीबद्ध संस्थाओं को बाध्य करने वाले कुछ प्रकार के समझौतों का प्रकटीकरण: लागू नहीं

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन का प्रमाणपत्र

प्रति,

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (संस्था) के सदस्यगण,

- हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक ("संस्था") द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि विनियम 15 से 27, विनियम 62 के उप-विनियमन (1ए) के खंड (ए) से (आई) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') की अनुसूची V के पैरा सी, डी और ई में निर्धारित है, जहां तक वे राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के साथ पठित नियमों और विनियमों के साथ असंगत नहीं हैं।
- कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों और उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही संस्था के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।
- हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि संस्था ने उपर्युक्त सूचीबद्धता विनियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, जहां तक वे राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के साथ-साथ उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पठित नियमों और विनियमों के साथ असंगत नहीं हैं।

4. हम आगे यह भी कहते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो संस्था की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है, न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने संस्था के कार्यों का संचालन किया है।

स्थान : मुंबई

दिनांक : 19 जून 2025

कार्यालय का पता :

एनेक्स-103, डिंपल आर्केड,

आशा नगर, कांदिवली (पूर्व),

मुंबई 400101

एल्विन जे एंड कंपनी

कंपनी सचिव

[एल्विन डि'सूजा, एफसीएस.5559]

[पार्टनर]

[प्रैक्टिस सर्टिफिकेट नंबर 5137]

[यूडीआईएन F005559G000633516]

अनुबंध -3

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के विनियम 24ए के अनुसार (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015]

प्रति,

सदस्य,

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (संस्था)

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (जिसे आगे “संस्था” कहा जाएगा) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखापरीक्षा किया है।

सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई कि हमें कॉर्पोरेट आचरण/ सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्राप्त हुआ।

संस्था के सांविधिक रजिस्ट्रों, पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक, दाखिल किए गए फॉर्म और रिटर्न तथा संस्था द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान संस्था, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, संस्था ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष को शामिल करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि संस्था ने उचित बोर्ड प्रक्रियाओं का पालन किया है और अपेक्षित अनुपालन तंत्र को उस सीमा तक, उस तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन स्थापित किया है:

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए संस्था द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक, दाखिल किए गए फॉर्मों और रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों

के अनुसार जांच की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियम - संस्था पर लागू सीमा तक;
- (ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके तहत बनाए गए नियम - संस्था पर लागू सीमा तक;
- (iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम - संस्था पर लागू सीमा तक;
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार के संबंध में अनुपालन के लिए - संस्था पर लागू सीमा तक;
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश, समय-समय पर यथा संशोधित - **संस्था के सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में संस्था पर लागू सीमा तक:**

क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 - **समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं;**

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 - **संस्था पर लागू सीमा तक;**

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 - **समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं;**

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021- **समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं;**

- ड) कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इश्यू रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 1993 - समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं;
- च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2021 - समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं;
- छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 - समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं;
- ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम 1993 - संस्था पर लागू सीमा तक;
- झ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 - संस्था पर लागू सीमा तक;
- ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियमन, 2018 - संस्था पर लागू सीमा तक;
- (vi) संस्था पर लागू अन्य विशिष्ट व्यवसाय/उद्योग संबंधी कानून - राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम 2021(नैबफिड अधिनियम), नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जनरल रूल्स, 2022, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक सामान्य विनियम, 2022 और अन्य लागू सामान्य कानून, नियम, विनियम और दिशानिर्देश।

हमने निम्नलिखित लागू खंडों (clauses) के अनुपालन की भी जांच की है:

- (क) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा निदेशक मंडल की बैठक (एसएस-1) के संबंध में जारी सचिवीय मानक; और

(ख) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों पर लागू सीमा तक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, संस्थान ने निम्नलिखित अवलोकन को छोड़कर, अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और मानकों के उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन किया है:

वित्त वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 11 अक्टूबर, 2024 को अपने पत्र संदर्भ संख्या DOS. ARG. संख्या S5229/08.16.008/2024-25 के माध्यम से पाया है कि संस्था वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए वैधानिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति के संबंध में नैबफिड अधिनियम की धारा 26 के प्रावधानों की आवश्यकता का अनुपालन करने में विफल रही है। इस संबंध में, संस्था ने नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए अवलोकनों के लिए 25 नवंबर, 2024 को अपने पत्र के माध्यम से अपना जवाब प्रस्तुत किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि -

(क) संस्था के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशक, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे नैबफिड अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए;

(ख) बोर्ड और बोर्ड समितियों की बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना, जिसमें अल्पकालीन सूचना भी शामिल है, दी जाती है, तथा एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं, तथा बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है;

(ग) बोर्ड और उसकी समिति की बैठकों में लिए गए सभी निर्णय, निदेशक मंडल या बोर्ड की समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किए गए अनुसार कार्यान्वित किए गए, जैसा भी मामला हो, और असहमत सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया गया।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि संस्था में इसके आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं, ताकि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित किया जा सके। जैसा कि बताया गया है, संस्था ने विभिन्न सांविधिक /नियामक प्राधिकरणों से प्राप्त संचार का उचित तरीके से उत्तर दिया है, जिसमें जहाँ भी आवश्यक पाया गया, सुधारात्मक उपायों के लिए कार्रवाई शुरू करना शामिल है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं/कार्रवाइयां हुई हैं , जिनका उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और मानकों के अनुसरण में संस्थान के कार्यों पर बड़ा असर पड़ा:

1. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एकल या एकाधिक श्रृंखलाओं में कुल 50,000 करोड़ रुपये तक के संसाधन जुटाने के लिए दीर्घकालिक बांड जारी करने हेतु 21 मई, 2024 को आयोजित संस्था के निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदन प्राप्त किया गया।
2. संस्थान की संसाधन जुटाने संबंधी समिति की 27 जून, 2024 को सम्पन्न हुई बैठक में 1,00,000 रुपये अंकित मूल्य के डिबेंचर पर सूचीबद्ध, असुरक्षित, रेटेड, मोचनीय, कर योग्य, गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों को जारी करके कुल 5000 करोड़ रुपये तक की धनराशि जुटाने के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया।
3. संस्था की संसाधन जुटाने संबंधी समिति की 4 जुलाई, 2024 को सम्पन्न हुई बैठक में 5,00,000 असुरक्षित, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, मोचनीय बांडों को डिबेंचर के रूप में आवंटित करने के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया, जिसका कुल अंकित मूल्य 5000 करोड़ रुपये है।

4. संस्था की संसाधन जुटाने संबंधी समिति की 7 अगस्त, 2024 को सम्पन्न हुई बैठक में कुल 5000 करोड़ रुपये तक प्रति 1,00,000 रुपये के अंकित मूल्य वाले डिबेंचर पर सूचीबद्ध, असुरक्षित, रेटेड, मोचनीय, कर योग्य, गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया।
5. संस्था की संसाधन जुटाने संबंधी समिति की 13 अगस्त, 2024 को सम्पन्न हुई बैठक में 3,91,080 असुरक्षित, गैर-परिवर्तनीय, करयोग्य, मोचनीय बांडों को डिबेंचर के रूप में आवंटित करने के लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया, जिसका कुल अंकित मूल्य 3,910.80 करोड़ रुपये है।

स्थान : मुंबई

दिनांक : 19 जून 2025

कार्यालय का पता :

एनेक्स-103, डिंपल आर्केड,

आशा नगर, कांदिवली (पूर्व),

मुंबई 400101

एल्विन जे एंड कंपनी

कंपनी सचिव

[एल्विन डि'सूजा, एफसीएस.5559]

[पार्टनर]

[प्रैक्टिस सर्टिफिकेट नंबर 5137]

[यूडीआईएन F005559G000633472]

नोट: इस रिपोर्ट को हमारे समदिनांकित पत्र के साथ पढ़ा जाए, जो अनुबंध ए' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

अनुबंध ए

प्रति,

सदस्य गण,

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (संस्था)

हमारी समदिनांकित सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी इस पत्र के साथ पढ़ी जाए।

1. राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (जिसे आगे "संस्था" कहा जाएगा) पर लागू सभी कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन संस्था के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करने के उद्देश्य से नमूना जांच के आधार पर अभिलेखों और प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
2. लागू कानूनों के सचिवीय और अन्य अभिलेखों का रखरखाव संस्था के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम संस्था द्वारा बनाए गए और हमें दिए गए प्रासंगिक अभिलेखों के लेखापरीक्षा के आधार पर सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करें, साथ ही जहां आवश्यक हो, स्पष्टीकरण भी दें।
3. हमने सचिवीय और अन्य कानूनी अभिलेखों, कानूनी अनुपालन तंत्र और कॉर्पोरेट आचरण की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए समुचित रूप से लेखापरीक्षा की प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करने के उद्देश्य से हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
4. हमने संस्था के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

5. जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, हमने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू कानूनों, कानूनों के अनुपालन, नियमों और विनियमों तथा प्रमुख घटनाओं की सूची पर प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो संस्था की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है, न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने संस्था के मामलों का संचालन किया है।

स्थान : मुंबई

दिनांक : 19 जून 2025

कार्यालय का पता :

एनेक्स-103, डिंपल आर्केड,
आशा नगर, कांदिवली (पूर्व),
मुंबई 400101

एल्विन जे एंड कंपनी

कंपनी सचिव

[एल्विन डि'सूजा, एफसीएस.5559]

[पार्टनर]

[प्रैक्टिस सर्टिफिकेट नंबर 5137]

[यूडीआईएन F005559G000633472]

अनुबंध -4

निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाण पत्र

[सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V के खंड C के उप-खंड (10)(i) के साथ पठित विनियम 15(2) के अनुसार]

प्रति ,

सदस्य गण,

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (संस्था)

द कैपिटल, ए विंग, 15वीं मंजिल - 1503,

जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा

(पूर्व), मुंबई - 400051

हमने राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (संस्था) के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्ट्रारों, रिकॉर्डों, फॉर्मों, रिटर्न और प्रकटीकरणों की जांच की है, जिसका कार्यालय द कैपिटल, ए विंग, 15वीं मंजिल - 1503, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051 (जिसे आगे 'संस्था' कहा जाएगा) में है, जो इस प्रमाण पत्र को जारी करने के उद्देश्य से संस्था द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किए गए थे, जो कि लागू सीमा तक भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V के खंड सी के उप-खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 15 (2) के अनुसार है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और यथावश्यक सत्यापन (www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित) तथा संस्था द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए नीचे बताए गए संस्था के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या किसी अन्य ऐसे सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	डी आई एन	पदनाम	नियुक्ति की तारीख
1	श्री कुन्दपुर वामन कामथ	00043501	अध्यक्ष	29/10/2021
2	सुश्री अरुणा सुंदरराजन	03523267	स्वतंत्र निदेशक	10/04/2022
3	श्री बी श्रीराम	02993708	स्वतंत्र निदेशक	05/06/2022
4	श्री टी. एन. मनोहरन	01186248	स्वतंत्र निदेशक	10/04/2022
5	श्री एल. वी. प्रभाकर	08110715	स्वतंत्र निदेशक	18/10/2023
6	श्री एन.एस. कन्नन	00066009	स्वतंत्र निदेशक	18/10/2023
7	श्री सुरेश पटेल	07202263	स्वतंत्र निदेशक	18/10/2023
8	श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन	10733238	सरकारी नामित निदेशक	06/08/2024
9	डॉ भूषण कुमार सिन्हा	08135512	सरकारी नामित निदेशक	25/05/2023
10	सुश्री सुमिता डावरा	01005516	सरकारी नामित निदेशक	08/11/2021
11	श्री राजीव सिंह ठाकुर	02631653	सरकारी नामित निदेशक	26-04-2024
12	श्री राजकिरण राय जी.	07427647	प्रबन्ध निदेशक	08/08/2022
13	श्री बी. एस. वेंकटेश	08489577	उप प्रबन्ध निदेशक- मुख्य जोखिम अधिकारी	19/09/2022
14	सुश्री मोनिका कालिया	08579733	उप प्रबन्ध निदेशक- मुख्य वित्तीय अधिकारी	16/11/2022
15	श्री सैमुअल जोसेफ जेबराज	02262530	उप प्रबन्ध निदेशक- उधार और परियोजना वित्त	06/04/2023

नोट :

1. श्री कुंदापुर वामन कामथ का कार्यकाल 28/10/2024 को पूरा हुआ।
2. श्री मनोज मुत्तथिल अय्यप्पन को डॉ. भूषण कुमार सिन्हा के स्थान पर 06/08/2024 को सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया गया।
3. श्री राजीव सिंह ठाकुर को सुश्री सुमिता डावरा के स्थान पर 26/04/2024 को सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया गया।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना संस्था के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो संस्था की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा संस्था के कार्य का संचालन करने की दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में है।

स्थान : मुंबई

तारीख : 19 जून 2025

एल्विन जे एंड कंपनी

कंपनी सचिव

कार्यालय का पता :

एनेक्स-103, डिंपल आर्केड

आशा नगर, कांदिवली (पूर्व),

मुंबई 400101

[एल्विन डि'सूजा, एफसीएस 5559]

[पार्टनर]

[प्रैक्टिस सर्टिफिकेट नंबर 5137]

[यूडीआईएन: F005559G000633494]

अनुलग्नक - 5

- स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
- 31 मार्च 2025 तक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति को,
वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट,

राय

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक ('संस्था') के संलग्न वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक का बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (जिसे आगे 'वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित किया गया है)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक अधिनियम, 2021 ('अधिनियम') की धारा 25 के साथ राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक सामान्य नियम, 2022 के नियम 9 और भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए आवश्यक तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं ('आरबीआई दिशानिर्देश') और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक, 31 मार्च 2025 तक संस्थान की स्थिति, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसका लाभ और नकदी प्रवाह।

राय का आधार

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों ('एसए') के अनुसार वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया। उन एसए के तहत हमारी जिम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा अनुभाग के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे दिया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी की गई आचार संहिता के अनुसार संस्थान से स्वतंत्र हैं। अधिनियम के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी किए गए लागू परिपत्रों, निर्देशों और दिशा-निर्देशों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ-साथ हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि

हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है

क्र. सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	हमारे ऑडिट में मामले को कैसे संबोधित किया गया
1.	सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियाँ और वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग पर मैनुअल नियंत्रण हाल ही में संस्थान ने निम्नलिखित प्रणालियों को क्रियान्वित/स्थानांतरित किया है: - वित्तीय लेनदेन रिकॉर्ड करने के लिए ओरेकल प्रणाली। - फंड आधारित और गैर-फंड आधारित पोर्टफोलियो के लिए ऋण प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस)। - ट्रेजरी परिचालन के लिए फिनेकल ट्रेजरी (एफटी)। संस्था की वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रणालियाँ उपरोक्त प्रणालियों के प्रभावी कामकाज पर अत्यधिक निर्भर हैं।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ इस प्रकार हैं: - हमने संस्थान की आईटी प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए वांछित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और नमूना जांचों की योजना बनाई, डिजाइन की और उन्हें क्रियान्वित किया। - हमने लेखापरीक्षा से संबंधित सिस्टम द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों के लिए प्रमुख स्वचालित और मैनुअल नियंत्रणों तथा तर्क का भी परीक्षण किया; इसमें क्षतिपूर्ति नियंत्रणों या वैकल्पिक प्रक्रियाओं का परीक्षण भी शामिल था, ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या कोई ऐसे अनसुलझे आईटी जोखिम हैं, जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक रूप से प्रभाव डालेंगे। - हमने संस्थान द्वारा पोस्ट की गई मैनुअल प्रविष्टियों का स्वतंत्र सत्यापन भी किया

क्र. सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	हमारे ऑडिट में मामले को कैसे संबोधित किया गया
	वर्तमान में ये प्रणालियाँ कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में हैं और अभी तक स्थिर नहीं हुई हैं, फिर भी यह जोखिम बना हुआ है कि इन प्रणालियों में खामियों के कारण वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग रिकॉर्ड में गलत विवरण हो सकता है। संस्थान के प्रबंधन ने उपरोक्त जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक मैनुअल नियंत्रण लागू किए हैं। यह देखते हुए कि वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग इन आईटी प्रणालियों और मैनुअल नियंत्रणों पर अत्यधिक निर्भर है, हमने इसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना है।	हैं, क्योंकि सिस्टम संबंधी समस्याएं/त्रुटियाँ या तो हमारे द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई थीं या प्रबंधन द्वारा उनकी समीक्षा के भाग के रूप में पहचानी गई थीं। - हमने आईटी प्रणाली से उत्पन्न डेटा की सटीकता को सत्यापित करने के लिए मूलभूत परीक्षण, विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं आदि जैसी स्वतंत्र वैकल्पिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं भी अपनाई हैं। - सुधार की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जानकारी जब भी मिलती है, तो संस्थान के प्रबंधन को सूचित कर दिया जाता है और जहां आवश्यक हो, संस्थान द्वारा की गई कार्रवाई की पर्याप्तता की समीक्षा हमारे लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के भाग के रूप में समय-समय पर की जाती है।
2.	आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) और ऋण एवं अग्रिम पर प्रावधान कृपया ऋणों पर अनुसूची संख्या IV और अन्य गैर-वित्तीय देयताओं (प्रावधानों सहित) पर अनुसूची XIV देखें। संस्था का प्रबंधन परिसंपत्ति वर्गीकरण और आय निर्धारण के लिए मैनुअल नियंत्रण के	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण, तथा आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान के संबंध में मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं शामिल थीं। विशेष रूप से: हमने संस्थान की आंतरिक नीतियों, आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन करने में

क्र. सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	हमारे ऑडिट में मामले को कैसे संबोधित किया गया
	साथ-साथ आंशिक रूप से अपनी आईटी प्रणालियों पर निर्भर करता है। संस्था अपने शासी ढांचे के अनुसार निष्पादित और अनर्जक अग्रिमों/निवेशों के लिए प्रावधान करती है, जिसमें आरबीआई के दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित न्यूनतम प्रावधान स्तरों के अधीन और उनके द्वारा निर्देशित हानि की मात्रा का प्रबंधन का आकलन शामिल है। वर्तमान में, संस्थान द्वारा वसूली के रिकॉर्ड के आधार पर किसी भी उधारकर्ता को गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी प्रासंगिक विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन, संस्थान में भौतिकता, जटिलता और वर्तमान प्रक्रियाओं के कारण एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला है, जिसके लिए कुछ मैनुअल हस्तक्षेप, प्रबंधन अनुमान और निर्णय की आवश्यकता होती है।	संस्थान की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन और समझा है; - हमने प्रयुक्त प्रमुख आईटी प्रणालियों/अनुप्रयोगों के साथ-साथ प्रासंगिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का सत्यापन किया है, जिसमें आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण, अग्रिमों से संबंधित प्रावधान और आरबीआई द्वारा जारी अन्य नियामक दिशानिर्देशों और संस्थान की आंतरिक नीतियों के अनुपालन के संबंध में मैनुअल प्रक्रिया और मैनुअल नियंत्रण की भागीदारी शामिल है; - हमने दर्ज की गई राशियों की वैधता, ऋण दस्तावेजीकरण, खातों के विवरण की जांच, तथा आरबीआई के लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रिमों से संबंधित आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान के अनुपालन की जांच करने के लिए नमूना जांच की है। - हमने विशिष्ट क्षेत्रों पर मूल्यांकनकर्ताओं, वकीलों, समवर्ती लेखा परीक्षकों आदि जैसे बाहरी विशेषज्ञों द्वारा किए गए कार्यों पर भी भरोसा किया है; - हमने संस्थान की आंतरिक नीतियों, परिपत्रों और आरबीआई के निर्देशों के अनुसार बनाए रखे जाने वाले प्रावधान की स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए मूलभूत लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं अपनाईं।

क्र. सं.	मुख्य लेखापरीक्षा मामले	हमारे ऑडिट में मामले को कैसे संबोधित किया गया
		सुधार की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जानकारी जब भी मिलती है, तो संस्थान के प्रबंधन को सूचित कर दिया जाता है और जहां आवश्यक हो, संस्थान द्वारा की गई कार्रवाई की पर्याप्तता की हमारे द्वारा लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के भाग के रूप में समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

संस्थान का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट शामिल नहीं है। संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब अन्य जानकारी उपलब्ध हो तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों से भौतिक रूप से असंगत है, या लेखापरीक्षा में या अन्यथा प्राप्त हमारी जानकारी भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, और यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस अन्य सूचना में कोई गलत विवरण है, तो हमें इस मामले को शासन के प्रभारी लोगों को बताना होगा। और प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के तहत लागू आवश्यक कार्रवाई करें।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारियां

संस्थान का प्रबंधन और निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में जिम्मेदार है, जो राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक अधिनियम, 2021 ('अधिनियम') की धारा 25 के साथ राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक सामान्य नियम, 2022 के नियम 9 और भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए अपेक्षित तरीके से संस्थान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं ("आरबीआई दिशानिर्देश") और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जिसमें भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखांकन मानक शामिल हैं।

इस जिम्मेदारी में संस्थान की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और आकलन करना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, संस्था का प्रबंधन और निदेशक मंडल संस्था की चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू संस्था से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू संस्था के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि संस्था का प्रबंधन और निदेशक मंडल संस्था को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखें, या ऐसा करने के अलावा उनके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल संस्थान की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा एक भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन वित्तीय विवरणों के

आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करें और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या संस्था के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- संस्थान के प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- और निदेशक मंडल द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो संस्था की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण संस्था चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, तथा यह भी देखें कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में, जिनमें लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है, शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य मामले

2024 को समाप्त वर्ष के लिए संस्थान के वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण पूर्ववर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया था, जिन्होंने 16 अप्रैल 2024 को अपरिवर्तित राय व्यक्त की थी।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

(A) नियम, 2022 के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- i. हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषप्रद पाया है।
- ii. संस्था के जो लेन-देन हमारे संज्ञान में आए हैं, वे संस्था की शक्तियों के अंतर्गत हैं।
- iii. हमारी राय में, संस्था द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।

- iv. इस रिपोर्ट में प्रस्तुत बैलेंस शीट, लाभ-हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं ;
- v. हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

(B) "वैधानिक लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्व" पर दिनांक 17 मार्च, 2020 के पत्र संख्या डीओएस.एआरजी. संख्या 6270/08.91.001/2019- 20" के अनुसार, जिसे आरबीआई द्वारा जारी दिनांक 19 मई, 2020 के बाद के संचार के साथ पढ़ा जाए, हम उपरोक्त पत्र में निर्दिष्ट मामलों पर आगे निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:

- a. हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।
- b. वित्तीय लेनदेन या ऐसे मामलों पर कोई टिप्पणी या अवलोकन नहीं है जिसका संस्थान के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
- c. खातों के रखरखाव और उससे संबंधित अन्य मामलों के संबंध में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।
- d. संस्थान के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में अधिक जानकारी के लिए, 'अनुलग्नक ए' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

सीएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या 101961W/W100036

मनीष संपत

साथी

सदस्यता संख्या 101684

यूडीआईएन: 25101684BMMLMC1276

स्थान: मुंबई

दिनांक: 30 अप्रैल, 2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की सम तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक ए

भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") के पत्र DOS.ARG. सं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (संशोधित) ("आरबीआई संचार") द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण और विकास बैंक ('संस्था') के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-परीक्षण किया है , जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए संस्था के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षण के साथ संयुक्त है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए निदेशक मंडल की जिम्मेदारियां

संस्थान का प्रबंधन और निदेशक मंडल, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संस्थान द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो संस्थान की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जैसा कि राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक अधिनियम, 2021 ('अधिनियम') के तहत राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक सामान्य नियम, 2022 के नियम 9 के साथ पढ़ा गया है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में संस्थान के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करें। हमने अपना ऑडिट ICAI द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शन नोट और ऑडिटिंग के मानकों ('मानकों') के अनुसार किया, जो वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनानी चाहिए और उसे निष्पादित करना चाहिए कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुए थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएँ निष्पादित करना शामिल है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण कमज़ोरी के जोखिम का आकलन करना, तथा आंके गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में संस्थान के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

ए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में संस्था के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय विवरण के संदर्भ में संस्था के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो

- 1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, संस्था की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं;
- 2) यह उचित आश्वासन प्रदान करना कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, तथा संस्था की प्राप्तियाँ और व्यय केवल संस्था के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा
- 3) संस्थान की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

हमारी राय

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कोषागार, ऋण परिचालन और मानव संसाधन से संबंधित कुछ प्रक्रियाओं को छोड़कर, जिनके लिए दस्तावेजीकरण को सुदृढ़ और अद्यतन करने की आवश्यकता है, संस्था ने सभी मामलों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली बनाए रखी है और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संस्था द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित थे।

सीएनके एंड एसोसिएट्स एलएलपी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

फर्म पंजीकरण संख्या 101961W/W100036

मनीष संपत

साथी

आईसीएआई एम. नं. 101684

यूडीआईएन: 25101684BMMLMC1276

स्थान: मुंबई

दिनांक: 30 अप्रैल, 2025

31 मार्च, 2025 तक लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण

National Bank for Financing Infrastructure and Development

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

Balance Sheet as on March 31, 2025 / मार्च 31, 2025 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

	Sch	As on March 31, 2025 (FY 2025) (Audited)	As on March 31, 2024 (FY 2024) (Audited)
Assets/ आस्तियां			
Financial Assets/ वित्तीय आस्तियां			
1. Cash in Hand and Balances with the Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक के पास हाथ में नकदी और अतिशेष	I	0.03	0.03
2. Balances with Banks / बैंकों के पास अतिशेष	II	20,175.91	18,215.74
3. Derivative Financial Instruments / व्युत्पन्न वित्तीय साधन	III	814.47	129.81
4. Loans / ऋण	IV	56,620.10	35,342.38
5. Investments / विनिधान	V	4319.55	100.00
6. Other Financial Assets (to be specified) / अन्य वित्तीय आस्तियां (विनिर्दिष्ट करने के लिए)	VI	1220.78	1,298.96
Non-Financial Assets/ गैर वित्तीय आस्तियां			
1. Property, Plant and Equipment / संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	VII	11.23	10.37
2. Goodwill / सद्भावना		-	-
3. Other Intangible Assets / अन्य अमूर्त संपत्ति	VIII	9.66	14.02
4. Current Tax Assets / वर्तमान कर आस्तियां		-	-
5. Deferred Tax Assets / आस्थगित कर आस्तियां		-	-
6. Other Non-Financial Assets (to be specified) / अन्य गैर-वित्तीय आस्तियां (विनिर्दिष्ट करने के लिए)	IX	37.72	17.38
Total Assets / कुल आस्तियां		<u>83,209.45</u>	<u>55,128.69</u>
Equity and Liabilities / साधारण शेयर और देनदारियां			
Financial Liabilities / वित्तीय देनदारियां			
1. Deposits / जमा राशियां	X	-	-
2. Borrowings / उधार	XI	11,934.92	5,550.00
3. Debt Securities / ऋण प्रतिभूतियां	XII	37,190.47	19,668.80
4. Derivatives Financial Instruments / व्युत्पन्न वित्तीय उपस्करों		-	-
5. Other Financial Liabilities (to be specified) / अन्य वित्तीय देनदारियां (विनिर्दिष्ट करने के लिए)	XIII	2,774.13	1,284.68
Non-Financial Liabilities/ गैर वित्तीय देनदारियां			
1. Current Tax Liabilities/ वर्तमान कर देनदारियां		-	-
2. Deferred Tax Liabilities/ आस्थगित कर देनदारियां		-	-
3. Other Non-Financial Liabilities (incl. provisions) /अन्य गैर वित्तीय देनदारियां (उपबंध सहित) विनिर्दिष्ट करने के लिए)	XIV	305.43	177.81
Total Liabilities/ कुल देनदारियां		<u>52,204.95</u>	<u>26,681.29</u>

	Sch	As on March 31, 2025 (FY 2025)	As on March 31, 2024 (FY 2024)
		(Audited)	(Audited)
Shareholders' Fund/ शेयरधारकों की निधि			
a. Share Capital/ शेयर पूँजी	XV	20,000.00	20,000.00
b. Reserves and Surplus / भंडार और अधिअतिशेष	XVI	11,004.50	8,447.40
Total/ कुल		31,004.50	28,447.40
Total Equity and Liabilities / कुल साधारण शेयर और देनदारियां		<u>83,209.45</u>	<u>55,128.69</u>
Contingent Liabilities / आकस्मिक देनदारियां	XVII	474.82	665.52

As per our report of even date / सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

For C N K & Associates LLP
/ कृते सी एन के & एसोसिएट्स एलएलपी
Chartered Accountants
/ सनदी लेखाकार
FRN / फर्म पंजीकरण संख्या
101961W/ W100036

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

Manish Sampat
/ मनीष संपत
Partner
/ साझेदार
M.No./ सदस्यता संख्या 101684

T. N. Manoharan
/ टी.एन. मनोहरन
(Director)
/ (निदेशक)
DIN: 01186248

Rajkiran Rai G
/ राज किरण राय जि
(Managing Director)
/ (प्रबंध संचालक)
DIN: 07427647

Monika Kalia
/ मोनिका कालिया
(DMD-CFO)
/ (डीएमडी-सीएफओ)
DIN:08579733

Place: Mumbai/
स्थान – मुंबई
Date: 30 April, 2025
दिनांक: 30 अप्रैल, 2025

Samuel Joseph Jebaraj
/ शमूएल जोसफ जेबराज
(DMD-L&PF)
/ (डीएमडी-एल एंड पीएफ)
DIN: 02262530

B. S. Venkatesha
/ बी. एस. वेंकटेशा
(DMD-CRO)
/ (डीएमडी-सीआरओ)
DIN: 08489577

Behzad Bhesania
/ बेहज़ाद भेसानिया
(EVP-Head Finance)
/ (विभाग प्रमुख, वित्त)

Schedule I: Cash in Hand and Balances with the Reserve Bank of India /

अनुसूची-1: भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नकद राशि तथा अतिशेष

(Rs. in Crore) / (राशि रु करोड़ में)

	As on March 31, 2025 (FY 2025)	As on March 31, 2024 (FY 2024)
	(Audited)	(Audited)
1. Cash in Hand / उपलब्ध नकद राशि	-	-
2. Balances with the Reserve Bank of India / भारतीय रिजर्व बैंक के पास अतिशेष	0.03	0.03
Total (1+2)/ कुल (1+2)	0.03	0.03

Schedule II: Balances with Banks/ अनुसूची-2: बैंकों के पास अतिशेष

(Rs. in Crores) / (राशि रु करोड़ में)

	As on March 31, 2025 (FY 2025)	As on March 31, 2024 (FY 2024)
	(Audited)	(Audited)
1. In India/ भारत में		
a. in current accounts / चालू खातों में	2.51	15.11
b. in other deposit accounts / अन्य जमा खातों में (*)	20,173.40	18,200.63
2. Outside India/ भारत के बाहर		
a. in current accounts/ चालू खातों में	-	-
b. in other deposit accounts/ अन्य जमा खातों में	-	-
Total (1+2)/ कुल (1+2)	20,175.91	18,215.74

(*) Includes fixed Deposit of earmarked Grant funds and accruals thereon Rs. 823.67 crores (F.Y. 24 Rs. 152.80).

(Refer Disclosures - Note 19) / इसमें निश्चित जमा शामिल है जो कि विशिष्ट अनुदान फंड और उस पर प्राप्ति के तहत है, रु. 823.67 करोड़ (वित्तीय वर्ष 24 रु.152.80)। (दर्शनों का संदर्भ - नोट 19)

Schedule III: Derivative Financial Instruments/ अनुसूची-3: व्युत्पन्न वित्तीय उपस्करों

(Rs. in Crores) / (राशि रु करोड़ में)

	As on March 31, 2025 (FY 2025)			As on March 31, 2024 (FY 2024)		
	(Audited)			(Audited)		
Part I/ भाग I	Notional amounts	Fair Value Liabilities	Fair Value Assets	Notional amounts	Fair Value Liabilities	Fair Value Assets
(i) Currency Derivatives:/ मुद्रा व्युत्पन्न:	-	-	-	-	-	-
-Spot and Forwards / हाजिर और वायदा	-	-	-	-	-	-
-Currency Futures / मुद्रा वायदे के सौदे	-	-	-	-	-	-
-Currency Swaps / मुद्रा अदला-बदली	-	-	-	-	-	-
-Options Purchased/ खरीदे गए विकल्प	-	-	-	-	-	-
-Options Sold (written) / बिक्री विकल्प (लिखित)	-	-	-	-	-	-

	As on March 31, 2025 (FY 2025) (Audited)			As on March 31, 2024 (FY 2024) (Audited)		
-Others/ अन्य	-	-	-	-	-	-
Subtotal (i)/ उप-योग(i)	-	-	-	-	-	-
(ii) Interest Rate Derivatives / ब्याज दर व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
Forward Rate Agreements and Interest Rate Swaps / वायदा दर करार और ब्याज दर अदला-बदली	44,250.00	-	814.47	24,500.00	-	129.81
-Options Purchased/ खरीदे गए विकल्प	-	-	-	-	-	-
-Options Sold (written) / बिक्री विकल्प(लिखित)	-	-	-	-	-	-
-Futures/फ्यूचर्स	-	-	-	-	-	-
-Others/ अन्य	-	-	-	-	-	-
Subtotal(ii)/ उप-योग(ii)	44,250.00	-	814.47	24,500.00	-	129.81
(iii) Credit Derivatives/ ऋण व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
(iv) Equity Linked Derivatives/ साधारण शेयर से संबद्ध व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
(v) Other Derivatives (Please specify)/ अन्य व्युत्पन्न (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
Total Derivative / कुल व्युत्पन्न Financial Instruments / वित्तीय लिखत (i) +(ii) +(iii) +(iv) +(v)	44,250.00	-	814.47	24,500.00	-	129.81
Part II /भागII						
Included in above (Part I) are derivatives held for hedging and risk management purposes as follows:/ बचाव व्यवस्था और जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए उपर्युक्त में शामिल (भाग I) व्युत्पन्न निम्नानुसार हैं:	-	-	-	-	-	-
(i) Fair value hedging: / उचित मूल्य बचाव व्यवस्था:	-	-	-	-	-	-
- Currency derivatives/ मुद्रा व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
- Interest rate derivatives/ ब्याज दर व्युत्पन्न	44,250.00	-	814.47	24,500.00	-	129.81
- Credit Derivatives/ प्रत्यय व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-

	As on March 31, 2025 (FY 2025) (Audited)			As on March 31, 2024 (FY 2024) (Audited)		
- Equity Linked Derivatives / साधारण शेयर से संबद्ध व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
- Others/ अन्य	-	-	-	-	-	-
Subtotal (i)/ उप-योग(i)	44,250.00	-	814.47	24,500.00	-	129.81
(ii) Cash Flow Hedge: / नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था:	-	-	-	-	-	-
- Currency Derivatives/ मुद्रा व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
- Interest rate Derivatives/ब्याज दर व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
- Credit Derivatives / प्रत्यय व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
- Equity Linked Derivatives / साधारण शेयर से संबद्ध व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
- Others/ अन्य	-	-	-	-	-	-
Subtotal (ii)/ उप-योग(ii)	-	-	-	-	-	-
(iii)Net Investment Hedging/ निवल विनिधान बचाव व्यवस्था	-	-	-	-	-	-
(iv)Undesignated Derivatives:/ अनामित व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
Total Derivative Financial Instruments / कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखत	44,250.00	-	814.47	24,500.00	-	129.81
(i) +(ii) +(iii) +(iv)						

(*) (Refer Disclosures - Note 19) / (देखें प्रकटीकरण - नोट 19)

Schedule IV: Loans [Net of specific provisions i.e. provisions for Non-Performing Assets]

/ अनुसूची-4: ऋण [विशिष्ट प्रावधानों का योग अर्थात् अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान]

(Rs. in Crores) / (राशि रु करोड़ में)

	As on March 31, 2025 (FY 2025) (Audited)	As on March 31, 2024 (FY 2024) (Audited)
1. a. Bill purchased, and bills discounted / खरीदे गए बिल और मितिकाटा बिल	-	-
b. Loans repayable on demand/ मांग पर प्रतिदेय ऋण	-	-
c. Term loans/ मीयादी ऋण	56,620.10	35,342.38
d. Others / अन्य	-	-
Subtotal (1)/ उप-योग(I)	56,620.10	35,342.38
2. a. Secured by tangible assets/ मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत	46,945.10	27,342.38
b. Secured by intangible assets/ अमूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत	-	-
c. Secured by bank/government guarantee/ बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा प्रतिभूत	-	-
d. Unsecured/ प्रतिभूति रहित	9,675.00	8,000.00

	As on March 31, 2025 (FY 2025) (Audited)	As on March 31, 2024 (FY 2024) (Audited)
Subtotal (2)/ उप-योग (2)	56,620.10	35,342.38
3. a. Loans in India / भारत में ऋण	56,620.10	35,342.38
b. Loans outside India/ भारत के बाहर ऋण	-	-
Subtotal (3) / उप-योग (3)	56,620.10	35,342.38
Subtotal (1), (2) and (3) should tally with each other. / उप-योग (1), (2) और (3) एक दूसरे से मेल खाना चाहिए	56,620.10	35,342.38

Schedule V: Investments [net of provisions for depreciation and non-performing investments]

/ अनुसूची-5: विनिधान [मूल्यहास और अनर्जक विनिधान के लिए उपबंधों का योग]

(Rs. in Crores) / (राशि रु करोड़ में)

	As on March 31, 2025 (FY 2025) (Audited)	As on March 31, 2024 (FY 2024) (Audited)
1. Investment in India/ भारत में विनिधान		
a. Securities of Central and State Governments / केंद्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	-	-
b. Shares of banks and financial institutions / बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयर	-	-
c. Bonds, debentures and other securities of banks and financial institutions / बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियां	1,498.82	-
d. Units of Mutual Funds and Other units / म्यूचुअल फंड की इकाइयां और अन्य इकाइयां	-	-
e. Shares, bonds, debentures and other securities of other entities / अन्य इकाइयों के शेयर, बॉण्ड, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियां	2,820.73	100.00
f. Investment in Subsidiaries, associate, and joint ventures / सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के विनिधान	-	-
g. Others (to be specified) / अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
Subtotal (1)/ उप-योग (1)	4,319.55	100.00
2. Investment outside India/ भारत के बाहर विनिधान		
a. Government securities / सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
b. Subsidiaries, associates and joint ventures / सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम	-	-
c. Others (to be specified) / अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
Subtotal (2)/ उप-योग (2)	-	-
Total (1+2)/ कुल (1+2)	4,319.55	100.00

Schedule VI : Other financial assets/ अनुसूची-6: अन्य वित्तीय आस्तियां

(Rs. in Crores) / (राशि रु करोड़ में)

	As on March 31, 2025 (FY 2025) (Audited)	As on March 31, 2024 (FY 2024) (Audited)
1. Receivables / प्राप्य राशि	3.60	-
2. Receivables in respect of insurance claims/बीमा दावे से संबंधित प्राप्य राशि	-	-
3. Others / अन्य	1,217.18	1,298.96
<i>Interest Accrued / अर्जित ब्याज</i>	1,217.18	1,249.51
<i>Variation Margin Placed / भिन्नता मार्जिन रखा गया</i>	-	49.45
Total / कुल	1,220.78	1,298.96

Schedule VII : Property, plant and equipment [Net of Depreciation]

/ अनुसूची-7: संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (मूल्यहास का शुद्ध)

(Rs. in Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	As on March 31, 2025 (FY 2025) (Audited)	As on March 31, 2024 (FY 2024) (Audited)
1. Properties/ संपत्ति		
a. At cost as on 31st March of the preceding year / पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	-	-
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
c. Deductions during the year/ वर्ष के दौरान कटौती	-	-
d. Depreciation to date/ आज तक मूल्यहास	-	-
2. Plant and equipment/ संयंत्र और उपस्कर		
a. At cost as on 31st March of the preceding year / पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	-	-
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
c. Deductions during the year/ वर्ष के दौरान कटौती	-	-
d. Depreciation to date/ आज तक मूल्यहास	-	-
3. Other fixed assets/ अन्य निर्धारित आस्तियां		
a. At cost as on 31st March of the preceding year / पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	13.68	1.88
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	6.60	11.82
c. Deductions during the year/ वर्ष के दौरान कटौती	-	0.02
d. Depreciation to date/ आज तक मूल्यहास	9.05	3.31
Total (1+2+3) / कुल (1+2+3)	11.23	10.37

Schedule VIII: Other Intangible Assets/ अनुसूची-8: अन्य अमूर्त आस्तियां

(Rs. in Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	As on March 31, 2025 (FY 2025) (Audited)	As on March 31, 2024 (FY 2024) (Audited)
1. Others Intangible Assets / अन्य अमूर्त आस्तियां (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)		
a. At cost as on 31st March of the preceding year / पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	14.90	0.26
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.75	14.64
c. Deductions during the year/ वर्ष के दौरान कटौती	-	-
d. Depreciation to date/ आज तक मूल्यहास	5.99	0.88
Total/ कुल	9.66	14.02

Schedule IX: Other non-financial assets/ अनुसूची-9: अन्य गैर वित्तीय आस्तियां

(Rs. in Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	As on March 31, 2025 (FY 2025) (Audited)	As on March 31, 2024 (FY 2024) (Audited)
1. Advances given for procurement of Property, Plant and Equipment / संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के उपापन के लिए दिए गए अग्रिम	-	-
2. Prepaid expenses/ पूर्वसंदत्त व्यय	2.07	0.45
3. Others (major items given below) / अन्य (प्रमुख नीचे निर्दिष्ट है)	35.65	16.93
<i>NCD issue expenses capitalised / एनसीडी खर्च पूंजीकृत</i>	<i>27.74</i>	<i>13.98</i>
<i>Others / अन्य</i>	<i>7.91</i>	<i>2.95</i>
Total (1+2+3)/ कुल (1+2+3)	37.72	17.38

Schedule X: Deposits/ अनुसूची-10: जमा

(Rs. in Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	As on March 31, 2025 (FY 2025) (Audited)	As on March 31, 2024 (FY 2024) (Audited)
1. From Banks/ बैंकों से	-	-
2. From Others (to be specified) / अन्य से (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
Total (1+2)/ कुल (1+2+3)	-	-

Schedule XI : Borrowings/ अनुसूची-11: उधार

(Rs. in Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	As on March 31, 2025 (FY 2025) (Audited)	As on March 31, 2024 (FY 2024) (Audited)
1. Borrowings in India/ भारत में उधार	-	-
a. From Reserve Bank of India/ भारतीय रिज़र्व बैंक से	-	-
b. From Government of India/ भारत सरकार से	-	-
c. Term Loans from Banks/ बैंकों से मीयादी ऋण	11,224.92	5,550.00
d. Term Money Borrowings/ मियादी मुद्रा उधार	-	-
e. Others- Overdraft / अन्य से -ओवरड्राफ्ट	710.00	-
Subtotal (1) / उप-योग (1)	11,934.92	5,550.00
2. Borrowings outside India/ भारत के बाहर उधार	-	-
a. Multilateral/Bilateral Organisations (to be specified) / बहुपक्षीय/द्विपक्षीय संगठन (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
b. Other Development Financial Institutions (to be specified) / अन्य विकास वित्तीय संस्थाएं (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
Subtotal (2)/ उप-योग (2)	-	-
Total (1 + 2)/ कुल (1+2)	11,934.92	5,550.00

Schedule XII : Debt securities / अनुसूची-12: ऋण प्रतिभूतियां

(Rs. in Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	As on March 31, 2025 (FY 2025) (Audited)	As on March 31, 2024 (FY 2024) (Audited)
1. Debt securities issued in India / भारत में जारी ऋण प्रतिभूतियां		
a. Bonds and debentures/ बॉण्ड और डिबेंचर (*)	37,190.47	19,668.80
b. Commercial paper/ वाणिज्यिक पेपर	-	-
c. Certificate of deposits/ जमा राशि का प्रमाणपत्र	-	-
d. Others (to be specified)/ अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
Subtotal (1) / उप-योग (1)	37,190.47	19,668.80
2. Debt Securities issued outside India/ भारत के बाहर ऋण प्रतिभूतियां		
a. Bonds and debentures/ बॉण्ड और डिबेंचर	-	-
b. Others (to be specified)/ अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
Subtotal (2) / उप-योग (2)	-	-
Total (1 + 2) / कुल (1+2)	37,190.47	19,668.80

(*) Includes fair value of Hedge Bonds of Rs. 823.67 crores (F.Y. 24 Rs. 152.80) / हैज बांड्स का उचित मूल्य शामिल है, जो कि रुपये 823.67 करोड़ (वित्तीय वर्ष 24 रुपये 152.80) है।

Schedule XIII: Other financial liabilities / अनुसूची-13: अन्य वित्तीय देनदारियां

(Rs. in Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	As on March 31, 2025 (FY 2025) (Audited)	As on March 31, 2024 (FY 2024) (Audited)
1. Interest accrued / प्रोदभूत ब्याज	2,059.06	1,159.80
2. Unpaid Dividend / असंदत्त लाभांश	-	-
3. Unpaid matured debentures and interest accrued thereon / असंदत्त परिपक्व डिबेंचर और उस पर प्रोदभूत ब्याज	-	-
4. Others (major items specified below) / अन्य (प्रमुख नीचे निर्दिष्ट है)	715.07	124.88
<i>Variation Margin Received / भिन्नता मार्जिन प्राप्त हुआ</i>	715.07	124.88
Total (1+2+3+4)/ कुल (1+2+3+4)	2,774.13	1,284.68

Schedule XIV: Other Non-Financial Liabilities (including provision) / अनुसूची-14: अन्य गैर-वित्तीय देनदारियां (उपबंधों सहित)

(Rs. in Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	As on March 31, 2025 (FY 2025) (Audited)	As on March 31, 2024 (FY 2024) (Audited)
1. Revenue received in advance/ अग्रिम में प्राप्त राजस्व	2.00	0.71
2. Provisions / उपबंध	285.91	142.85
3. Others (major items specified below)/ अन्य (प्रमुख नीचे निर्दिष्ट है)	17.52	34.25
<i>TDS and GST related/ टीडीएस और जीएसटी से संबंधित</i>	9.52	11.71
<i>Employee Contribution and related liabilities / कर्मचारी योगदान और संबंधित देनदारियां</i>	1.78	0.48
<i>Sundry Creditor/ विविध क्रेडिटर्स</i>	2.73	20.18
<i>Lease equalisation reserve/ लीज इक्वलाइजेशन रिजर्व</i>	2.00	0.72
<i>Others / अन्य</i>	1.49	1.16
Total (1+2+3)/ कुल (1+2+3)	305.43	177.81

Schedule XV: Share capital/ अनुसूची-15: शेयर पूंजी

(Rs. in Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	As on March 31, 2025 (FY 2025) (Audited)	As on March 31, 2024 (FY 2024) (Audited)
1. Authorized Capital/ प्राधिकृत पूंजी		
a. Equity Share Capital (1,00,00,00,00,000 Shares of Rs.10/- each) / साधारण शेयर पूंजी (1,00,00,00,00,000 रुपये के शेयर 10/- प्रत्येक)	1,00,000.00	1,00,000.00
2. Issued, Subscribed and Paid-up Capital: / जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी	-	-
a. Equity Share Capital (20,00,00,00,00,000 Shares of Rs.10/- each fully paid up) / साधारण शेयर पूंजी (20,00,00,00,00,000 रुपये के शेयर 10/- प्रत्येक पूरी तरह से चुकता)	20,000.00	20,000.00
Total share capital/ कुल शेयर पूंजी	20,000.00	20,000.00

Schedule XVI : Reserves and Surplus/ अनुसूची-16: आरक्षित और अधिशेष

(Rs. in Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	As on March 31, 2025 (FY 2025)	As on March 31, 2024 (FY 2024)
	(Audited)	(Audited)
1. Reserve fund/ आरक्षित निधि		
Created under Section 24 of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021 / राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 24 के अंतर्गत सृजित		
a. Opening Balance/ प्रारंभिक अतिशेष	553.55	233.22
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	438.20	320.33
c. Utilisations during the year/ वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
d. Closing Balance/ अंतिम अतिशेष	991.75	553.55
2. Capital Reserve/ आरक्षित पूंजी		
a. Opening Balance/ प्रारंभिक अतिशेष	5,679.67	5,295.05
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन (*)	366.08	384.62
c. Utilisations during the year/ वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
d. Closing Balance/ अंतिम अतिशेष	6,045.75	5,679.67
3. Investment Reserve/ आरक्षित विनिधान		
a. Opening Balance/ प्रारंभिक अतिशेष	-	-
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
c. Utilisations during the year/ वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
d. Closing Balance/ अंतिम अतिशेष	-	-
4. Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961/ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन निर्मित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित		
a. Opening Balance/ प्रारंभिक अतिशेष	-	-
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
c. Utilisations during the year/ वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
d. Closing Balance/ अंतिम अतिशेष	-	-
5. Revaluation Reserves/ पुनर्मूल्यन आरक्षित		
a. Opening Balance/ प्रारंभिक अतिशेष	-	-
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
c. Utilisations during the year/ वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
d. Closing Balance/ अंतिम अतिशेष	-	-
6. General Reserve/ सामान्य आरक्षित		
a. Opening Balance/ प्रारंभिक अतिशेष	-	-
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
c. Utilisations during the year/ वर्ष के दौरान उपयोग	-	-

	As on March 31, 2025 (FY 2025) (Audited)	As on March 31, 2024 (FY 2024) (Audited)
d. Closing Balance/ अंतिम अतिशेष	-	-
7. Balance in Statement of Profit & Loss Account / लाभ और हानि खाते के विवरण में अतिशेष		
a. Opening Balance/ प्रारंभिक अतिशेष	2,214.18	932.87
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन (**)	1,752.82	1,281.31
c. Utilisations during the year/ वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
d. Closing Balance/ अंतिम अतिशेष	3,967.00	2,214.18
8. Other specific reserves (to be specified)/ अन्य विशेष आरक्षित (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)		
a. Opening Balance/ प्रारंभिक अतिशेष	-	-
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
c. Utilisations during the year/ वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
d. Closing Balance/ अंतिम अतिशेष	-	-
Total Reserves and Surplus/ कुल आरक्षित और अधिशेष	11,004.50	8,447.40

(*) Pertains to interest accrued on fixed deposit placed of earmarked Grant funds. (Refer note 19 of disclosure) / विशिष्ट अनुदान निधियों पर रखी गई निश्चित जमा पर अर्जित ब्याज से संबंधित है। (खुलासे के नोट 19 को देखें)

(**) Profit net of appropriations to Statutory Reserves created under Section 24 of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021 / राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास अधिनियम, 2021 के धारा 24 के तहत बनाए गए वैधानिक आवंटनों के लिए नेट लाभा.

Schedule XVII : Contingent liabilities/ अनुसूची-17: आकस्मिक देयताएं

(Rs. in Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	As on March 31, 2025 (FY 2025) (Audited)	As on March 31, 2024 (FY 2024) (Audited)
1. Claims against the institution not acknowledged as debts / संस्था के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	-	-
2. On account of guarantees / Letters of Credit / प्रत्याभूतियों/प्रत्यय पत्रों के लेखे	474.82	665.52
3. On account of forward Contracts / अग्रिम संविदाओं के लेखे (*)	-	-
4. On account of underwriting commitments / हामीदारी प्रतिबद्धता के लेखे	-	-
5. On account of uncalled monies on partly paid shares, debentures / आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों, डिबेंचर पर अनावश्यक धन के लेखे	-	-
6. Other items for which the institution is contingently liable (to be specified) / अन्य मदें जिनके लिए संस्था आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है (विनिर्दिष्ट की जाए)	-	-
Total / कुल	474.82	665.52

(*) Refer Note-8 of Disclosures

National Bank for Financing Infrastructure and Development

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

Statement of Profit and Loss for the Year Ended March 31, 2025

/ मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(Rs. in Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

		March 31, 2025 (FY 2025) (Audited)	March 31, 2024 (FY 2024) (Audited)
Income/ आय			
Interest and discount / ब्याज और बट्टा	XVIII	4,973.26	2,495.78
Fees and commission income / शुल्क और कमीशन आय		8.85	2.47
Net gain/(loss) on sale of investments / विनिधान की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)	XIX	57.15	0.56
Other Income / अन्य आय	XX	169.08	101.91
Total income / कुल आय		<u>5,208.34</u>	<u>2,600.72</u>
Expenditure/ व्यय			
Finance Cost / वित्तीय लागत	XXI	2,724.97	805.00
Fees and commission expense / शुल्क और कमीशन व्यय		1.15	0.29
Provisions/ (Reversal) on financial assets / वित्तीय आस्तियों पर उपबंध/ उलट	XXII	101.25	101.59
Employee benefits / कर्मचारी लाभ	XXIII	99.36	37.01
Depreciation and impairment on property, plant and equipment / संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर मूल्यहास और हानि		5.74	3.12
Amortisation and impairment of intangible assets/ अमूर्त संपत्ति का क्रमिक अपाकरण और हानि		5.11	0.80
Other expenses/ अन्य व्यय	XXIV	79.74	51.27
Total expenses/ कुल व्यय		<u>3,017.32</u>	<u>999.08</u>
Net profit / (loss) before taxes and exceptional items / करों और असाधारण मदों से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)		2,191.02	1,601.64
Exceptional items / असाधारण मद			
Net profit / (loss) before taxes / करों से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)		<u>2,191.02</u>	<u>1,601.64</u>
Tax expenses/ कर व्यय		-	-
i. Current tax/ वर्तमान कर		-	-
ii. Deferred tax/ आस्थगित कर		-	-
Net Profit / (loss) after tax for the period/ अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ / (हानि)		<u>2,191.02</u>	<u>1,601.64</u>
Appropriations:/ विनियोजन			
a. Transfer to General Reserve / सामान्य आरक्षित में स्थानांतरण		-	-
b. Transfer to Special Reserve u/s 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961 / आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित में स्थानांतरण		-	-
c. Transfer to Reserve Fund u/s 24 of National Bank for Financing Infrastructure and Development Act 2021 / राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 24 के अधीन आरक्षित में स्थानांतरण		438.20	320.33
d. Others (to be specified) / अन्य (विनिर्दिष्ट की जाए)		-	-

		March 31, 2025 (FY 2025) (Audited)	March 31, 2024 (FY 2024) (Audited)
e. Surplus in Profit and Loss account carried forward/ लाभ और हानि खाते में अधिअतिशेष को अग्रेषित किया गया		<u>1,752.82</u>	<u>1,281.31</u>
Earnings Per Share (Face Value Rs. 10) / प्रति शेयर आय (अंकित मूल्य Rs. 10)			
a. Basic/ आधार		1.10	0.80
b. Diluted/ मंदित		1.10	0.80

As per our report of even date / सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

For C N K & Associates LLP
/ कृते सी एन के & एसोसिएट्स एलएलपी

Chartered Accountants
/ सनदी लेखाकार
FRN/ फर्म पंजीकरण संख्या
101961W/ W100036

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

Manish Sampat
/ मनीष संपत
Partner
/ साझेदार
M.No./ सदस्यता संख्या 101684

T. N. Manoharan
/ टी.एन. मनोहरन
(Director)
/ (निदेशक)
DIN: 01186248

Rajkiran Rai G
/ राज किरण राय जि
Managing Director)
/ (प्रबंध संचालक)
DIN: 07427647

Monika Kalia
/ मोनिका कालिया
(DMD-CFO)
/ (डीएमडी-सीएफओ)
DIN:08579733

Place: Mumbai/
स्थान — मुंबई
Date: 30 April, 2025
दिनांक: 30 अप्रैल, 2025

Samuel Joseph Jebaraj
/ शमूल जोसफ जेबराज
(DMD-L&PF)
/ (डीएमडी-एल एंड पीएफ)
DIN: 02262530

B. S. Venkatesha
/ बी. एस. वेंकटेशा
(DMD-CRO)
/ (डीएमडी-सीआरओ)
DIN: 08489577

Behzad Bhesania
/ बेहज़ाद भेसानिया
(EVP-Head Finance)
/ (विभाग प्रमुख, वित्त)

Schedule XVIII: Interest and Discount / अनुसूची-18: ब्याज और बट्टा

(Rs. in Crores) / (राशि रु करोड़ में)

	Year Ended	
	March 31, 2025 (FY 2025)	March 31, 2024 (FY 2024)
	(Audited)	(Audited)
1. Interest and discount income on loans and advances / ऋण और अग्रिम पर ब्याज और छूट आय	3,882.72	1,276.10
2. Interest and discount income on investments / विनिधान पर ब्याज और छूट आय	122.80	118.85
3. Interest on balances with and due from banks / बैंकों से देय और अतिशेष राशि पर ब्याज	967.74	1,100.83
4. Other interest income / अन्य ब्याज आय	-	-
Total/ कुल	4,973.26	2,495.78

Schedule XIX: Net gain/(loss) on sale of investments / अनुसूची-19: विनिधान की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)

(Rs. in Crores) / (राशि रु करोड़ में)

	Year Ended	
	March 31, 2025 (FY 2025)	March 31, 2024 (FY 2024)
	(Audited)	(Audited)
1. Profit on sale of Investments Less (Loss on sale of investments) / कम विनिधान की बिक्री पर लाभ: (विनिधान की बिक्री पर हानि)	57.15	0.56
Total/ कुल	57.15	0.56

Schedule XX: Other income/ अनुसूची-20: अन्य आय

(Rs. in Crores) / (राशि रु करोड़ में)

	Year Ended	
	March 31, 2025 (FY 2025)	March 31, 2024 (FY 2024)
	(Audited)	(Audited)
1. Upfront and processing Fees/ अग्रिम और प्रसंस्करण शुल्क	168.39	101.08
2. Income earned by way of dividends on investments / विनिधान पर लाभांश के रूप में अर्जित आय	-	-
3. Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries, Associates and joint ventures / सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय	-	-
4. Foreign exchange gains/(loss) (other than considered as finance costs) / विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि) (वित्त लागत के अतिरिक्त)	-	-
5. Other income (major items specified below) / अन्य आय (प्रमुख नीचे निर्दिष्ट है)	0.69	0.83
Total (1+2+3+4+5) / कुल (1+2+3+4+5)	169.08	101.91

Schedule XXI : Finance Costs/ अनुसूची-21: वित्त लागत

(Rs. in Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	Year Ended	
	March 31, 2025 (FY 2025)	March 31, 2024 (FY 2024)
	(Audited)	(Audited)
1. Interest on deposits/ निक्षेप पर ब्याज	-	-
2. Interest on borrowings/ उधार पर ब्याज	769.11	14.16
3. Interest on debt securities/ ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज	1,984.02	789.60
4. Other interest expenses (major items specified below) / अन्य ब्याज खर्च (प्रमुख नीचे निर्दिष्ट है)	(28.16)	1.24
Increase/ (Decrease) in FV of Hedge Bonds (Net) / हेज्ड बांड के अंकित मूल्य में वृद्धि/कमी (शुद्ध)	670.88	152.80
Increase / (Decrease) in Fair Value of IRS / TRS (Net)/ आईआरएस/टीआरएस (नेट) के उचित मूल्य में वृद्धि/(कमी)	(684.64)	(129.81)
Interest on IRS/TRS (Net) / ब्याज -आईआरएस/टीआरएस/(कमी)	76.14	16.16
Grant Benefits / अनुदान लाभ	(90.54)	(37.91)
Total/ कुल	2,724.97	805.00

Schedule XXII: Provision on financial assets/ अनुसूची-22: वित्तीय आस्तियों पर प्रावधान

(Rs. in Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	Year Ended	
	March 31, 2025 (FY 2025)	March 31, 2024 (FY 2024)
	(Audited)	(Audited)
1. Provision for non-performing assets/ अनर्जक आस्तियों के लिए उपबंध	-	-
2. Provision for standard loans/ मानक ऋण के लिए उपबंध	101.25	102.36
3. Provisions/ reversal for diminution in value of investments/ लंबी अवधि के विनिधान के मूल्य में कमी के उपबंध/ उलट	-	(0.77)
4. Provisions / Reversals on other financial assets/ अन्य वित्तीय आस्तियों पर उपबंध/उलटाव	-	-
Total/ कुल	101.25	101.59

Schedule XXIII: Employee benefits/ अनुसूची-23: कर्मचारी लाभ

(Rs. in Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	Year Ended	
	March 31, 2025 (FY 2025)	March 31, 2024 (FY 2024)
	(Audited)	(Audited)
1. Salaries and wages including bonus on permanent employees / स्थायी कर्मचारियों पर बोनस सहित वेतन और पारिश्रमिक	80.53	13.50
2. Salaries and wages including bonus on deputed employees / प्रतिनियुक्त कर्मचारियों पर बोनस सहित वेतन एवं पारिश्रमिक	8.74	22.08
3. Contribution to Provident Fund and other funds/ भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	2.70	0.53
4. Staff Welfare expenses / कर्मचारी कल्याण व्यय	3.26	0.14

	Year Ended	
	March 31, 2025 (FY 2025)	March 31, 2024 (FY 2024)
	(Audited)	(Audited)
5. Others (to be specified) / अन्य (प्रमुख नीचे निर्दिष्ट है)	4.13	0.76
Total/ कुल	99.36	37.01

Schedule XXIV: Other expenses/ अनुसूची-24: अन्य खर्चे

(Rs. in Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	Year Ended	
	March 31, 2025 (FY 2025)	March 31, 2024 (FY 2024)
	(Audited)	(Audited)
1. Rent, Rates and Taxes/ किराया, दरें और कर	25.56	20.16
2. Electricity and other utilities/ बिजली और अन्य सुविधाएं	0.28	0.06
3. Printing and Stationery/ प्रिंटिंग और स्टेशनरी	0.19	0.03
4. Communication cost/ संचार लागत	0.07	0.06
5. Advertisement and publicity/ विज्ञापन और प्रचार	1.05	1.14
6. Directors' fees, allowances, and expenses / निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्चे	4.19	2.46
7. Auditor's fees and expenses/ लेखापरीक्षक की फीस और व्यय	0.60	0.58
8. Legal and professional charges/ कानूनी और पेशेवर शुल्क	11.40	13.81
9. Repairs and maintenance/ मरम्मत और रखरखाव	0.23	0.01
10. Insurance/ बीमा	2.99	0.14
11. Other Expenditure (major items specified below) / अन्य व्यय (प्रमुख नीचे निर्दिष्ट है)	33.18	12.82
<i>Software related expenses / सॉफ्टवेयर से संबंधित खर्च</i>	<i>10.97</i>	<i>6.71</i>
<i>Ancillary Borrowing Cost e.g. NCD Issue Expense Amortised; Rating fees etc./ सहायक उधारी लागत जैसे एनसीडी जारी करने का खर्च समाप्त; रेटिंग शुल्क आदि</i>	<i>3.41</i>	<i>1.13</i>
<i>Subscriptions / सदस्यता</i>	<i>4.34</i>	<i>1.46</i>
<i>Travelling & Halting Expenses/ यात्रा और रुकने का खर्च</i>	<i>5.84</i>	<i>1.52</i>
<i>Annual day and Customer Meet / वार्षिक दिवस और ग्राहक बैठक</i>	<i>2.62</i>	<i>0.40</i>
<i>Others/ अन्य</i>	<i>6.00</i>	<i>1.60</i>
Total/ कुल	79.74	51.27

National Bank for Financing Infrastructure and Development

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

Cash Flow Statement for the Year ended March 31, 2025 /

मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष लिए नकदी प्रवाह विवरण

(Rs. in Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	March 31, 2025 (FY 2025) (Audited)	March 31, 2024 (FY 2024) (Audited)
A. Cash Flow from Operating Activities/ प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
Profit Before Tax and Extra Ordinary Items/ कर और असाधारण वस्तुओं से पहले लाभ	<u>2191.02</u>	<u>1,601.64</u>
Adjustments / समायोजन:	7.77	90.58
Grant benefit (लाभ मान्यता)	(90.54)	(37.91)
(Profit)/Loss on sale of Fixed Assets (Net) (स्थिर संपत्तियों की बिक्री पर लाभ)/हानि (शुद्ध)	-	-
Depreciation/Amortisation and Revaluation Loss / मूल्यहास/परिशोधन और पुनर्मूल्यांकन हानि	10.85	3.92
Provision for Standard and Restructured Assets and Investments / मानक और पुनर्गठित परिसंपत्तियों और निवेशों के लिए प्रावधान	101.25	102.35
Net (Gain)/Loss on Fair Value Changes / उचित मूल्य परिवर्तनों पर शुद्ध (लाभ)/हानि	(13.79)	22.99
(Profit) / Loss on revaluation of Investments / (लाभ)/निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	-	(0.77)
Adjustments for (increase) / decrease in operating assets / परिचालन संपत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन:	(24,698.75)	(27,602.23)
Investments/ निवेश	(1,498.82)	4,339.83
Advances/ अग्रिम	(21,277.72)	(25,588.65)
Other Non-Financial Assets/अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियाँ	(20.33)	(15.34)
Other Financial Assets/अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	78.18	(1,023.07)
Fixed Deposits with Banks / बैंकों के साथ निश्चित जमा	(1,980.06)	(5,315.00)
Adjustments for increase/ (decrease) in operating liabilities / परिचालन देनदारियों में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन:	7,900.73	6,057.68
Other liabilities and provisions/अन्य देनदारियाँ और प्रावधान	1,515.81	1,308.16
Deposits/ जमा	-	-
Borrowings/ उधारी	6,384.92	4,749.52
Net Cash used in/generated from Operating activities / परिचालन गतिविधियों में प्रयुक्त/उत्पन्न शुद्ध नकदी	(14,599.23)	(19,852.33)
Purchase (net of sale) of fixed assets/अचल संपत्तियों की खरीद (बिक्री का शुद्ध)	(7.35)	(26.45)
Increase/Decrease in HTM Investments/ एचटीएम निवेश में वृद्धि/कमी	(2,720.73)	(100.00)
Net cash (used in) / raised from Investing activities/ शुद्ध नकदी (प्रयुक्त)/निवेश गतिविधियों से जुटाई गई	(2,728.08)	(126.45)
Issue of Equity Shares/ इक्विटी शेयर जारी करना	-	-
Debenture Proceeds (other than Tier II) / ऋणपत्र आगम (टियर II के अलावा)	16,850.80	19,516.00
Long Term Borrowings (forming part of capital) / दीर्घकालिक उधार (पूंजी का हिस्सा)		-
Interest on Grant Money / अनुदान राशि पर ब्याज	456.62	422.53

	March 31, 2025 (FY 2025) (Audited)	March 31, 2024 (FY 2024) (Audited)
Net cash (used in)/ raised from Financing activities / शुद्ध नकदी (इसमें प्रयुक्त)/वित्तपोषण गतिविधियों से जुटाई गई	17,307.42	19,938.53
NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS / नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (A+B+C)	(19.89)	(40.25)
OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS / नकद एवं नकद समकक्ष खोलना	23.54	63.79
CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS / बंद नकद एवं नकद समकक्ष	3.65	23.54

As per our report of even date / सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

For C N K & Associates LLP
/ कृते सी एन के & एसोसिएट्स एलएलपी
Chartered Accountants
/ सनदी लेखाकार
FRN./ फर्म पंजीकरण संख्या
101961W/ W100036

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

Manish Sampat
/ मनीष संपत
Partner
/ साझेदार
M.No./ सदस्यता संख्या 101684

T. N. Manoharan
/ टी.एन. मनोहरन
(Director)
/ (निदेशक)
DIN: 01186248

Rajkiran Rai G
/ राज किरण राय जि
(Managing Director)
/ (प्रबंध संचालक)
DIN: 07427647

Monika Kalia
/ मोनिका कालिया
(DMD-CFO)
/ (डीएमडी-सीएफओ)
DIN:08579733

Place: Mumbai/
स्थान – मुंबई
Date: 30 April, 2025
दिनांक: 30 अप्रैल, 2025

Samuel Joseph Jebaraj
/ शमूएल जोसफ जेबराज
(DMD-L&PF)
/ (डीएमडी-एल एंड पीएफ)
DIN: 02262530

B. S. Venkatesha
/ बी. एस. वेंकटेशा
(DMD-CRO)
/ (डीएमडी-सीआरओ)
DIN: 08489577

Behzad Bhesania
/ बेहजाद भेसानिया
(EVP-Head Finance)
/ (विभाग प्रमुख, वित्त)

Schedule XXV: Significant Accounting Policies and Notes to Accounts/अनुसूची XXV: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और खातों पर टिप्पणियाँ

1. **Institution Profile/ संस्थागत प्रोफाइल:** The National Bank for Financing Infrastructure and Development (“the Institution”) has been set up under National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021, passed by the Parliament on 28th March 2021 to support the development of long term non-recourse infrastructure financing in India including development of the bonds and derivatives markets necessary for infrastructure financing and to carry on the business of financing infrastructure and for matters connected therewith or incidental thereto.

The developmental objective of the Institution includes co-ordination with the Central and State Governments, regulators, financial institutions, institutional investors and such other relevant stakeholders, in India or outside India, to facilitate building and improving the relevant institutions to support the development of long-term non-recourse infrastructure financing in India including the domestic bonds and derivatives markets.

The financial objective of the Institution is to lend or invest, directly or indirectly, and seek to attract investment from private sector investors and institutional investors, in infrastructure projects located in India, or partly in India and partly outside India, with a view to foster sustainable economic development in India.

RBI vide its letter dated March 09, 2022, has advised that National Bank for Financing Infrastructure and Development shall be regulated and supervised as an All India Financial Institution (AIFI) under Sections 45L and 45 N of the Reserve Bank of India Act, 1934. National Bank for Financing Infrastructure and Development is the fifth AIFI after EXIM Bank, NABARD, NHB and SIDBI.

28 मार्च 2021 को संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के माध्यम से राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक भारत में लंबे समय तक नॉन-रिकॉर्स इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तीय निधि का विकास समर्थन करने के लिए, भारत में बॉन्ड और डेरिवेटिव बाजारों के विकास को सहायक बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तीय वित्त का व्यापार करने के लिए या इससे संबंधित मुद्दों के साथ या उनसे संबंधित मुद्दों के लिए स्थापना की गई है।

संस्थान का विकासात्मक उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों, नियामकों, वित्तीय संस्थानों, संस्थागत निवेशकों और ऐसे अन्य प्रासंगिक हितधारकों के साथ भारत या भारत के बाहर समन्वय करना होगा, ताकि दीर्घकालिक गैर-पुनर्भुगतान अवसंरचना वित्तपोषण के विकास का समर्थन करने के लिए प्रासंगिक संस्थानों के निर्माण और सुधार को सुगम बनाना होगा, जिसमें देशीय बॉन्ड और व्युत्पन्न बाजार शामिल हैं।

संस्थान का वित्तीय उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना होगा और निजी क्षेत्र के निवेशकों और संस्थागत निवेशकों से भारत में स्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में, या आंशिक रूप से भारत में और आंशिक रूप से भारत के बाहर निवेश को आकर्षित करना होगा, ताकि भारत में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 25 के संदर्भ में संस्थान की तुलन पत्र और खातों की तैयारी, तुलन पत्र और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक के लाभ और हानि का विवरण और एनएबीएफआईडी सामान्य विनियम की

धारा 4 (जे) दिनांक 02 मार्च, 2022 त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय विवरणों की जांच से संबंधित और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित किया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 09 मार्च, 2022 के पत्र के माध्यम से सलाह दी है कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल और 45एन के तहत एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) के रूप में विनियमित और पर्यवेक्षण किया जाएगा। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी के बाद भारत में पांचवां एआईएफआई है।

2. Implementation of Ind-AS/ भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) कार्यान्वयन:

Financial statements of National Bank for Financing Infrastructure and Development has been prepared under Accounting Standard General Accepted Accounting Principles. This is in line as earlier prescribed by RBI for All India Financial Institutions (AIFIs), implementation of Indian Accounting Standards (Ind AS) for AIFIs has been deferred. Upon future prescription of adoption of Ind AS by RBI for AIFIs, the appropriate forms applicable to Ind AS shall be adopted by National Bank for Financing Infrastructure and Development

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक के वित्तीय विवरणों को लेखांकन मानक सामान्यीकृत लेखांकन सिद्धांतों के तहत तैयार किया जाएगा। यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सभी भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) के लिए पहले निर्धारित के अनुरूप है, एआईएफआई के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड एस) के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया गया है। भविष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एआईएफआई के लिए इंड एस को अपनाने के लिए भविष्य के निर्देश पर, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक द्वारा इंड एस पर लागू होने वाले उपयुक्त प्रारूपों को अपनाया जाएगा।

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES/ महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

3.1 BASIS OF PREPARATION/ तैयारी का आधार

The financial statements has been prepared to comply in all material respects of the relevant provisions of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021 and the rules and regulations thereof, the applicable guidelines as issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time; applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices generally prevalent in the All-India Financial Institutions in India. The financial statements have been prepared under the historical cost convention on an accrual basis, unless otherwise stated. The accounting policies have been consistently applied by the National Bank for Financing Infrastructure and Development and are consistent with those used in the previous year unless otherwise stated. The Financial statements are prepared in accordance with Rule 9 of National Bank for Financing Infrastructure and Development General (Amendment) Rules, 2022.

वित्तीय विवरणों को राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 तथा उसके अधीन बनाए गए संबंधित प्रावधान और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी लागू लेखा मानकों, तथा भारत की अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं में सामान्यतः प्रचलित प्रथाओं के अनुसार सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तैयार किया जाएगा। जब तक अन्यथा न कहा गया हो, वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत पद्धति पर उपार्जन आधार पर तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक द्वारा लेखा नीतियाँ लगातार अपनाई गई हैं और जब तक अन्यथा न कहा गया हो, ये नीतियाँ पिछले वर्ष के अनुरूप ही हैं। वित्तीय विवरण राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास बैंक सामान्य (संशोधन) नियम, 2022 के नियम 9 के अनुसार तैयार किए गए हैं।

USE OF ESTIMATES/ अनुमानों का उपयोग

The preparation of financial statements is in conformity with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities as of the date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from these estimates. The impact of any revision to accounting estimates is recognized prospectively from the period of change in accordance with the requirements of the respective accounting standards.

वित्तीय विवरणों की तैयारी सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (GAAP) के अनुरूप की जाएगी और इसमें प्रबंधन द्वारा ऐसे अनुमान और धारणाएँ करना आवश्यक होगा जो संपत्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की गई राशियों और संभावित दायित्वों के प्रकटीकरण को, तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए आय और व्यय को प्रभावित कर सकते हैं। प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान और धारणाएँ यथोचित और विवेकपूर्ण हैं। हालांकि, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमान में किसी भी संशोधन का प्रभाव उस परिवर्तन की अवधि से भावी रूप से मान्यता प्राप्त होता है, जैसा कि संबंधित लेखा मानकों की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है।

3.2 REVENUE RECOGNITION/ राजस्व की मान्यता:

Revenue is recognized when the requirements as to contractual performance have been satisfied, it is probable that the economic benefits will flow to the institution, the revenue can be reliably measured and there is certainty of collection.

राजस्व की मान्यता उस समय की जाती है जब संविदात्मक प्रदर्शन की आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं, यह संभावित होता है कि आर्थिक लाभ संस्था को प्राप्त होंगे, और राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है और संग्रह की निश्चितता है।

3.2.1 INCOME/ आय:

- Income in the Profit & Loss Account is shown gross i.e. before provisions as per RBI guidelines and other provisions as per institution's internal policy.
- Interest income is accounted for on accrual basis, except in the case of non-performing assets

where it is recognized upon realization.

- iii. Commission on Letter of Guarantee/Letter of Credit are recognized on accrual basis proportionately over the period.
- iv. Fee Income, Including Commission, Commitment charges, Service charges, and Royalty income are accounted when they become due, or on completion of the agreed service / milestone and acceptance thereto as agreed with the counterparty.

Note: fee income include fees related to lending activities such as loan processing fee, project appraisal fee, structuring fee, arranger fee, syndication fee etc. and fees related to non-lending activities such as advisory fees.

- v. Premium / discount on instruments is recognized over the tenure of the instrument.
- vi. Dividend on shares held in industrial concerns and financial institutions is recognized as income when the right to receive the dividend is established.
- vii. Recovery in non-performing assets (NPA) is to be appropriated in the following manner:
 - a) If the hierarchy of appropriation is given in the facility agreement, the same shall be followed.
 - b) In the absence of a clear agreement between the bank / the consortium of lenders and the borrower, for the purpose of appropriation of recoveries in NPAs (i.e. towards principal or interest due), the institution shall exercise the right of appropriation of recoveries in a uniform and consistent manner.

The interest, principal or charges that fall due on the same date, appropriation should be done as per the following hierarchy –

- a) cost & charges (including Penal charges)
- b) overdue interest up to the date of NPA,
- c) overdue principal, up to the date of NPA,
- d) Interest
- e) Principal

Interest realised on NPAs will be taken to the income account provided the credits towards interest are not out of fresh / additional credit facilities sanctioned to the borrower concerned.

- viii. Gain / loss on sale of loans and advances through direct assignment is recognized in line with the extant RBI guidelines.
- ix. Amounts recovered against debts written-off in earlier years are recognized as income in the Profit & Loss account.
- x. Any profit or loss on the sale of investments in HTM would be recognised in the Profit and Loss Account. The profit on sale of investments in HTM would be appropriated below the line from the Profit and Loss Account to the 'Capital Reserve Account'. The amount so appropriated would be net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserve.
- xi. Amount lying as unclaimed liabilities (other than statutory liabilities) for a period of more than seven years are return back in respective heads in the Statement of the Profit & Loss.

- i. लाभ और हानि खाते में आय को सकल रूप में दर्शाया गया है, अर्थात् RBI के दिशा-निर्देशों और संस्था की आंतरिक नीति के अनुसार किए गए प्रावधानों से पहले।
- ii. ब्याज आय को उपार्जन आधार पर लेखांकित किया जाता है, सिवाय उन अनर्जक परिसंपत्तियों (NPA) के मामलों में, जहाँ उसे प्राप्ति के समय मान्यता दी जाती है।
- iii. गारंटी पत्र / क्रेडिट पत्र पर कमीशन को उपार्जन आधार पर, संबंधित अवधि के दौरान समानुपातिक रूप से मान्यता दी जाती है।
- iv. फीस आय, जिसमें कमीशन, प्रतिबद्धता शुल्क, सेवा शुल्क और रॉयल्टी आय शामिल हैं, को उस समय लेखांकित किया जाता है जब वह देय हो जाती है या जब सहमत सेवा / मील का पत्थर पूर्ण हो जाता है और प्रतिपक्ष द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। टिप्पणी: फीस आय में ऋण गतिविधियों से संबंधित शुल्क जैसे ऋण प्रसंस्करण शुल्क, परियोजना मूल्यांकन शुल्क, संरचना शुल्क, अरेंजर शुल्क, सिंडिकेशन शुल्क आदि और गैर-ऋण गतिविधियों से संबंधित शुल्क जैसे परामर्श शुल्क शामिल होंगे।
- v. उपकरणों पर प्रीमियम / छूट को उपकरण की अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है।
- vi. उद्योगों और वित्तीय संस्थाओं में निवेशित शेयरों पर लाभांश को उस समय आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।
- vii. एनपीए में वसूली को निम्नलिखित क्रम में समायोजित किया जाएगा:
 - a) यदि सुविधा अनुबंध में समायोजन का क्रम निर्धारित है, तो उसी का पालन किया जाएगा।
 - b) यदि बैंक / ऋणदाताओं के संघ और उधारकर्ता के बीच वसूली की समायोजन हेतु कोई स्पष्ट समझौता नहीं है (जैसे कि मूलधन या ब्याज), तो संस्था इस मामले में समान और सुसंगत तरीके से वसूली समायोजन का अधिकार प्रयोग करेगी। एक ही तिथि पर देय ब्याज, मूलधन या शुल्क के मामलों में समायोजन का क्रम इस प्रकार होगा:
 - a) लागत और शुल्क (दंडात्मक शुल्क सहित)
 - b) एनपीए की तिथि तक बकाया ब्याज
 - c) एनपीए की तिथि तक बकाया मूलधन
 - d) ब्याज
 - e) मूलधन
 NPA पर प्राप्त ब्याज को आय खाते में तभी शामिल किया जाएगा जब वह ब्याज संबंधित उधारकर्ता को स्वीकृत किसी नए / अतिरिक्त ऋण से नहीं आता हो।
- viii. प्रत्यक्ष असाइनमेंट के माध्यम से ऋणों और अग्रिमों की बिक्री पर लाभ / हानि की मान्यता प्रचलित RBI दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है।
- ix. पूर्व वर्षों में लिखे गए ऋणों के विरुद्ध की गई वसूली को लाभ और हानि खाते में आय के रूप में मान्यता दी जाती है।
- x. HTM निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। HTM में निवेशों की बिक्री से हुए लाभ को कर और वैधानिक रिजर्व में स्थानांतरण के लिए आवश्यक राशि की कटौती के बाद लाभ और हानि खाते से 'पूजी आरक्षित खाता' में स्थानांतरित किया जाता है।
- xi. सात वर्षों से अधिक अवधि से लंबित अप्राप्त दायित्वों (वैधानिक दायित्वों को छोड़कर) की राशि को लाभ एवं हानि के विवरण में वापस के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.2.2 EXPENDITURE/ व्यय:

- i. All expenditures are recognised for on accrual basis.
- ii. Discount on Bonds and Commercial papers issued are amortized over the tenure of Bonds and Commercial Paper. The expenses relating to issue of Bonds are amortized over the tenure of the Bonds.
- iii. Borrowing cost includes interest cost and other ancillary cost incurred in connection therewith. Such Interest cost and ancillary cost are charged to Statement of Profit & Loss in the year in which it is incurred.
- iv. Fee expense are charged to the Statement of Profit & Loss when they become due, or on completion of the agreed service / milestone and acceptance thereto as agreed with the counterparty or where the Bank is reasonably certain of the ultimate liability as the case may be.
- v. Fee payout on asset proposed to be down sold (syndication) are provided for upfront at the time of identifying the asset for down sell.
- vi. Pre-paid expenses are amortised over the period of the service / subscription. However, an expense upto Rs. 5,00,000/- are directly charged to Statement of Profit & Loss in the year in which it is incurred.
 - i. सभी व्यय को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाएगी।
 - ii. जारी किए गए बांड और वाणिज्यिक पत्रों पर छूट को उनकी अवधि के दौरान आवर्ती किया जाता है। बांडों की निर्गम से संबंधित व्यय को भी बांड की अवधि के दौरान आवर्ती किया जाएगा।
 - iii. उधारी लागत में ब्याज लागत और उससे संबंधित अन्य सहायक खर्च शामिल होते हैं। ऐसी ब्याज लागत और सहायक खर्च उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में चार्ज किए जाते हैं, जिसमें वे व्यय किए जाते हैं।
 - iv. फीस से संबंधित व्यय को लाभ और हानि खाते में उस समय चार्ज किया जाता है जब वह देय हो, या सहमत सेवा / मील का पत्थर पूरा हो जाए और प्रतिपक्ष से स्वीकृति प्राप्त हो जाए, या जहाँ बैंक को अंतिम देयता की यथोचित संभावना हो।
 - v. ऐसी परिसंपत्तियों पर फीस भुगतान जो डाउन सेल (सिंडिकेशन) के लिए प्रस्तावित हैं, उनकी पहचान के समय अग्रिम रूप से प्रावधान किया जाएगा।
 - vi. पूर्व-भुगतान किए गए व्यय को सेवा / सदस्यता की अवधि के दौरान आवर्ती किया जाएगा। हालांकि, ₹5,00,000/- तक का व्यय उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में सीधे चार्ज किया जाएगा, जिसमें वह व्यय किया गया हो।

3.2.3 INVESTMENTS/ निवेश:

Investments will be classified and valued as per RBI guidelines for AIFI reference no RBI/2015-16/104: DBR.NO.FID.FIC.3/01.02.00/2015-16 dated July 01,2015.

The significant Accounting, classification and valuation principles for Investments are listed below: In terms of extant guidelines of the Reserve Bank of India on investment classification and valuation, the entire investment portfolio is categorized as “Held to Maturity”, “Available for Sale” and “Held for Trading”. Investments are valued in accordance with RBI guidelines.

Held to Maturity: Investments acquired with the intention to hold till maturity are categorized

under Held to Maturity. Such investments are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity. Investments in subsidiaries are classified as Held to Maturity. Diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries is provided for each investment individually.

Held for Trading: Investments acquired for resale within 90 days with the intention to take advantage of the short-term price/interest rate movements are categorized under Held for Trading. The investments in this category are revalued scrip- wise and net appreciation /depreciation is recognized in the profit & loss account, with corresponding change in the book value of the individual scrips. In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available.

Available for Sale: Investments which do not fall within the above two categories are categorized under Available for Sale. The individual scrip under this category is revalued and net depreciation is recognized in the profit & loss account. Net appreciation under AFS classification is ignored. The book value of individual scrip is not changed after the revaluation. An investment is classified as Held to Maturity, Available For Sale or Held For Trading at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with RBI guidelines.

- i. The investments under each category are further classified as:
 - a) Securities of Central and State Governments
 - b) Shares of banks and financial institutions
 - c) Bonds, debentures and other securities of banks and financial institutions
 - d) Units of Mutual Funds and Other units
 - e) Shares, bonds, debentures, and other securities of other entities/
 - f) Investment in Subsidiaries, associate, and joint ventures
 - g) Others (if any, shall be specified)
- ii. Treasury Bills, Commercial Papers, and Certificates of Deposit,
 - a) If quoted, then valued at Market price and
 - b) If unquoted, then same will be valued at carrying cost.
- iii. The quoted Government Securities are valued at market prices and unquoted / non-traded government securities are valued at prices declared by Financial Benchmark India Pvt. Ltd. (FBIL).
- iv. Recording purchase and sale transactions in Investments is done following 'Settlement Date' accounting.
- v. The debentures / bonds / shares deemed to be in the nature of advance, are subject to the usual prudential norms applicable to loans & advances.
- vi. Cost of investments is determined on the weighted average cost method.
- vii. Brokerage, commission, etc. paid at the time of acquisition/ sale are recognized in the profit & loss account.
- viii. Broken period interest paid / received on debt investment is treated as interest expenses / income and is excluded from cost / sale consideration.
- ix. The units of mutual funds are valued at the latest repurchase price/net asset value declared by the mutual fund. Unquoted equity shares are valued at the break-up value, if the latest balance

sheet is available, or at Rs.1, as per RBI guidelines.

- x. The unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied for valuation will be as per the relevant rates published by FBIL. Investments are classified as performing and non-performing based on guidelines issued by RBI from time to time.
- xi. The transfer of a security from one category to another is accounted for as per the RBI guidelines.

निवेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार वर्गीकृत और मूल्यांकित किया जाएगा, जैसा कि RBI/2015-16/104: DBR.NO.FID.FIC.3/01.02.00/2015-16, दिनांक 1 जुलाई 2015 में वर्णित है।

निवेशों के वर्गीकरण और मूल्यांकन के महत्वपूर्ण लेखांकन सिद्धांत निम्नलिखित हैं: भारतीय रिज़र्व बैंक के निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन पर वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, सम्पूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को "हेल्ड टू मैच्योरिटी (Held to Maturity)", "एवेलेबल फॉर सेल (Available for Sale)" और "हेल्ड फॉर ट्रेडिंग (Held for Trading)" श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

- **हेल्ड टू मैच्योरिटी:** वे निवेश जो परिपक्वता तक रखने का इरादा रखते हुए अधिग्रहित किए गए हैं, उन्हें "हेल्ड टू मैच्योरिटी" श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे निवेशों को अधिग्रहण लागत पर रखा जाएगा, जब तक कि यह फेस वैल्यू से अधिक न हो, इस स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता तक की अवधि में आवर्ती किया जाएगा। सहायक कंपनियों में निवेशों को "हेल्ड टू मैच्योरिटी" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सहायक कंपनियों में निवेशों की मूल्यहास को व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक निवेश के लिए परिभाषित किया जाएगा, सिवाय जब वह अस्थायी नहीं हो।
- **हेल्ड फॉर ट्रेडिंग:** वे निवेश जो 90 दिनों के भीतर फिर से बेचने के उद्देश्य से अधिग्रहित किए गए हैं, "हेल्ड फॉर ट्रेडिंग" श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी में निवेशों को प्रत्येक सिक्योरिटी के आधार पर पुनः मूल्यांकित किया जाएगा और शुद्ध मूल्यवृद्धि या मूल्यहास को लाभ और हानि खाते में पहचाना जाएगा, जिसमें व्यक्तिगत सिक्योरिटीज के पुस्तक मूल्य में संबंधित परिवर्तन किया जाएगा। व्यापारित/सूचीबद्ध निवेशों के लिए, बाजार मूल्य को व्यापार/उद्धृत मूल्य से लिया जाएगा।
- **एवेलेबल फॉर सेल:** वे निवेश जो उपरोक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते, "एवेलेबल फॉर सेल" के तहत वर्गीकृत किए जाते हैं। इस श्रेणी के निवेशों को पुनः मूल्यांकित किया जाता है और शुद्ध मूल्यहास को लाभ और हानि खाते में पहचाना जाता है। इस श्रेणी में मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। प्रत्येक सिक्योरिटी की पुस्तक मूल्य को पुनः मूल्यांकन के बाद परिवर्तित नहीं किया जाता है। निवेश को "हेल्ड टू मैच्योरिटी", "एवेलेबल फॉर सेल" या "हेल्ड फॉर ट्रेडिंग" के रूप में खरीदी के समय वर्गीकृत किया जाता है और उसके बाद श्रेणियों के बीच परिवर्तन को RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार दर्ज किया जाता है।

i. प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को निम्नलिखित प्रकारों में और वर्गीकृत किया जाएगा:

- a) केंद्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिभूतियाँ
- b) बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयर
- c) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बांड, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियाँ
- d) म्यूचुअल फंड और अन्य इकाइयों के यूनिट्स
- e) अन्य संस्थाओं के शेयर, बांड, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियाँ
- f) सहायक कंपनियों, सहायक और संयुक्त उपक्रमों में निवेश
- g) अन्य (यदि हो, तो विशेष रूप से उल्लेखित किया जाएगा)

ii. ट्रेजरी बिल्स, वाणिज्यिक पत्र और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स:

- a) यदि सूचीबद्ध हैं, तो बाजार मूल्य पर मूल्यांकित किए जाएंगे।
- b) यदि सूचीबद्ध नहीं हैं, तो उन्हें प्राप्ति लागत (carrying cost) पर मूल्यांकित किया जाएगा।
- iii. सूचीबद्ध सरकारी प्रतिभूतियाँ बाजार मूल्य पर मूल्यांकित की जाएंगी और सूचीबद्ध न होने वाली / गैर-व्यापारित सरकारी प्रतिभूतियाँ वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा घोषित मूल्य पर मूल्यांकित की जाएंगी।
- iv. निवेशों में खरीद और बिक्री लेन-देन 'सेटलमेंट डेट' लेखांकन के अनुसार की जाती है।
- v. डिबेंचर / बांड / शेयर जो अग्रिम के रूप में माने जाते हैं, उन पर ऋण और उधारी नियमों के अनुसार सामान्य प्रूडेंशियल मानदंड लागू होते हैं।
- vi. निवेशों की लागत का निर्धारण बेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड से किया जाता है।
- vii. खरीदी / बिक्री के समय भुगतान किए गए ब्रोकर शुल्क, कमीशन आदि को लाभ और हानि खाते में पहचाना जाता है।
- viii. ऋण निवेशों पर टूटे हुए अवधि का ब्याज (broken period interest) खर्च / आय के रूप में पहचाना जाता है और इसे लागत / बिक्री मूल्य से बाहर रखा जाता है।
- ix. म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को म्यूचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य / शुद्ध संपत्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। सूचीबद्ध न होने वाले इक्विटी शेयरों को तब मूल्यांकित किया जाता है जब नवीनतम बैलेंस शीट उपलब्ध हो, या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ₹1 पर मूल्यांकित किया जाता है।
- x. गैर- सूचीबद्ध निश्चित आय प्रतिभूतियाँ (सिवाय सरकारी प्रतिभूतियों के) यील्ड टू मैच्योरिटी (YTM) आधार पर मूल्यांकित की जाती हैं, जिसमें केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों की समान परिपक्वता के लिए YTM दरों पर उचित मार्क-अप शामिल होता है। ऐसा मार्क-अप और YTM दरों का उपयोग FBIL द्वारा प्रकाशित प्रासंगिक दरों के अनुसार किया जाएगा। निवेशों को आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदर्शनकारी और गैर- प्रदर्शनकारी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- xi. किसी सुरक्षा का एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में परिवर्तन RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार दर्ज किया जाएगा।

3.3 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS/ विदेशी मुद्रा लेनदेन:

Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS-11 on "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates", issued by the ICAI.

Foreign currency transactions are recorded in the books of account in respective foreign currencies at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts is calculated at the contracted rates of exchange and in respect of guarantees; acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing exchange rates notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India ('FEDAI'). Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at closing exchange rates notified by FEDAI and the resulting gains / losses are recognised in the profit and loss account. The revaluation difference on foreign currency and LoC is adjusted and recorded in a special account opened and maintained for managing exchange risk.

The derivative contracts entered into for trading purposes are marked to market and the resulting gain or loss is accounted for in the profit and loss account. Any receivables under derivative contracts which remain overdue for more than 90 days and mark-to-market gains on other derivative contracts with the same counterparties are reversed through profit and loss account.

विदेशी मुद्रा से संबंधित लेन-देन का लेखांकन ICAI द्वारा जारी "विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव" पर AS-11 के अनुसार किया जाता है। विदेशी मुद्रा लेन-देन को खाता पुस्तकों में संबंधित विदेशी मुद्राओं में उस दिन की विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है जिस

दिन लेन-देन हुआ हो। प्रगति में जारी फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स के संदर्भ में संभावित देनदारी की गणना अनुबंधित विनिमय दरों पर की जाती है और गारंटी, स्वीकार्यताएँ, अभिपुष्टियाँ और अन्य दायित्वों के संदर्भ में यह गणना विदेशी मुद्रा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ('FEDAI') द्वारा अधिसूचित समापन विनिमय दरों पर की जाती है। मौद्रिक विदेशी मुद्रा संपत्तियाँ और दायित्व समापन विनिमय दरों पर FEDAI द्वारा अनुवादित की जाती हैं और परिणामस्वरूप लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। विदेशी मुद्रा और LoC पर पुनर्मूल्यांकन अंतर को समायोजित किया जाता है और विनिमय जोखिम प्रबंधन हेतु एक विशेष खाता में दर्ज किया जाता है जो खोला और बनाए रखा जाता है। वह डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो व्यापार उद्देश्यों के लिए किए गए हैं, उन्हें मार्क-टू-मार्केट किया जाता है और resulting लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत कोई भी प्राप्ति जो 90 दिनों से अधिक समय तक लंबित रहती है और अन्य डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के मार्क-टू-मार्केट लाभ जो समान पक्षकारों के साथ हैं, उन्हें लाभ और हानि खाते के माध्यम से उलट दिया जाता है।

3.4 ACCOUNTING FOR HEDGES / DERIVATIVES / हेज/डेरिवेटिव का लेखांकन:

Hedges executed by the bank are accounted for in line with the Board approved policy drawn in line with the applicable accounting standards and guidance notes thereto, having regard to the terms and conditions of the agreement.

The Bank has adopted requirements of the Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts (Revised 2021) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The Bank presents its derivative assets and liabilities as separate line items. The Bank do make adjustments to the carrying value of its liability in compliance with the hedge accounting requirements of the said Guidance Note.

बैंक द्वारा किए गए हेज को बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार और लागू लेखांकन मानकों एवं मार्गदर्शन नोट्स के अनुसार लेखबद्ध किया जाएगा, जिसमें समझौते की शर्तों और स्थितियों का ध्यान रखा जाएगा।

बैंक ने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी "डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट (संशोधित 2021)" के आवश्यकताओं को अपनाया है। बैंक अपनी डेरिवेटिव संपत्तियों और दायित्वों को अलग-अलग लाइन आइटम के रूप में प्रस्तुत करता है। बैंक हेज लेखांकन के आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी दायित्व की वहन मूल्य (Carrying value) में समायोजन करता है जैसा कि उक्त मार्गदर्शन नोट में उल्लेखित है।

3.5 LOANS AND ADVANCES/ ऋण और अग्रिम:

- i. Assets representing loan and other assistance portfolios are classified as performing and non-performing based on the RBI guidelines. Non-performing Assets (NPAs) are classified into sub-standard, doubtful and loss assets, based on the guidelines issued by RBI. Provision for non-performing assets is made in accordance with the RBI guidelines.
- ii. The sale of NPA is accounted for as per the guidelines prescribed by RBI. If the sale is at a price below the net book value (NBV), the shortfall is debited to the profit and loss account, and in case of sale for a value higher than NBV, the excess provision is retained and utilized to meet the shortfall / loss on sale of other financial assets.
- iii. In case of restructured / rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI.
- iv. In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing asset if it confirms to the guidelines prescribed by RBI.

- v. Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions made for non- performing advances. Provision on Standard / NPA Restructured assets are part of other liabilities.
 - vi. General provision on Standard Assets is made as per RBI guidelines.
 - vii. Floating provision is made and utilized as per RBI guidelines.
 - viii. An account is considered as restructured, where for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, the Bank grants concessions to the borrower that the Bank would not otherwise consider. The moratorium granted to the borrowers based on RBI guidelines is not accounted as restructuring of loan.
 - ix. Non-performing and restructured loans are upgraded to standard as per the extant RBI guidelines.
- i. ऋण और अन्य सहायता पोर्टफोलियो को आरबीआई दिशानिर्देशों के आधार पर प्रदर्शन करने वाले और प्रदर्शन न करने वाले के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रदर्शन न करने वाली संपत्तियाँ (एनपीए) को आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर उप-मानक, संदेहास्पद और हानि संपत्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रदर्शन न करने वाली संपत्तियों के लिए प्रावधान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।
 - ii. एनपीए की बिक्री का लेखांकन आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य नेट बुक वैल्यू (NBV) से कम है, तो कमी को लाभ और हानि खाते में डेबिट किया जाता है, और यदि बिक्री मूल्य NBV से अधिक है, तो अधिशेष प्रावधान को बनाए रखा जाता है और अन्य वित्तीय संपत्तियों की बिक्री पर कमी / हानि को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है।
 - iii. पुनर्संरचित / पुनर्निर्धारित संपत्तियों के मामले में, प्रावधान आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।
 - iv. एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, खाता को प्रदर्शन करने वाली संपत्ति के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है यदि यह आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप है।
 - v. बैलेंस शीट में दर्ज अग्रिम प्रदर्शन न करने वाले अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधानों के बाद होते हैं। मानक / एनपीए पुनर्संरचित संपत्तियों पर प्रावधान अन्य देनदारियों का हिस्सा होगा।
 - vi. मानक संपत्तियों पर सामान्य प्रावधान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।
 - vii. फ्लोटिंग प्रावधान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं।
 - viii. खाता को पुनर्संरचित माना जाता है, जहाँ उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाइयों से संबंधित आर्थिक या कानूनी कारणों के लिए बैंक उधारकर्ता को ऐसी रियायतें प्रदान करता है जिन्हें बैंक अन्यथा विचार नहीं करेगा। आरबीआई दिशानिर्देशों के आधार पर उधारकर्ताओं को दी गई मोहलत को ऋण पुनर्संरचन के रूप में नहीं गिना जाता है।
 - ix. प्रदर्शन न करने वाले और पुनर्संरचित ऋणों को वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार मानक के रूप में उन्नत किया जाता है।

3.6 EMPLOYEE / STAFF BENEFITS / कर्मचारी / स्टाफ लाभ:

i. Short Term Employee Benefits

Benefits (Short – term) while in service: Liability on account of short-term benefits are determined on an undiscounted basis and recognized over the period of service, which entitles the employees to such benefits.

ii. Defined Contribution Plans

- a. New Pension Scheme is a defined contribution scheme and can be opted voluntarily by employees. Institution pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the institution is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss account.
- b. Provident Fund is a defined contribution scheme administered by the Bank and the contributions are charged to the Profit & Loss Account.

iii. Defined Benefit Plans

- a. Gratuity liability is defined benefit obligations and provided based on the independent actuarial valuation as at the Balance Sheet date as per AS 15 (Revised 2005) - Employee Benefits.
- b. Actuarial gains or losses are recognized in the profit & loss account based on actuarial valuations for the period in which they occur.
- c. As per the leave policy, eligible employees can carry forward certain accumulated leave over the period of employment. The Company treats accumulated leave expected to be carried forward as long-term employee benefit for measurement purposes. The value corresponding to the leave carried forward is charged to Profit & Loss Account and a corresponding liability account have been maintained.

i. लघुकालिक कर्मचारी लाभ

सेवा के दौरान लाभ (लघु-कालिक): लघु-कालिक लाभों के संबंध में देनदारी अप्रतिबद्ध आधार पर निर्धारित की जाती है और सेवा की अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त होती है, जो कर्मचारियों को ऐसे लाभों के लिए पात्र बनाती है।

ii. परिभाषित योगदान योजनाएँ

- a) नई पेंशन योजना एक परिभाषित योगदान योजना है और इसे कर्मचारी स्वेच्छा से अपना सकते हैं। संस्थान पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित योगदान देता है और संस्थान की देनदारी केवल उस निश्चित योगदान तक सीमित रहती है। योगदान को लाभ और हानि खाते में चार्ज किया जाता है।
- b) प्रोविडेंट फंड एक परिभाषित योगदान योजना है जिसे बैंक द्वारा प्रशासित किया जाता है और योगदानों को लाभ और हानि खाते में चार्ज किया जाता है।

iii. परिभाषित लाभ योजनाएँ

- a) ग्रेच्युटी देनदारी एक परिभाषित लाभ दायित्व है और इसे बैलेंस शीट तिथि पर स्वतंत्र ऐक्चुअरी मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है, जैसा कि AS 15 (संशोधित 2005) - कर्मचारी लाभों के अनुसार है।
- b) ऐक्चुअरी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है, जो उस अवधि के ऐक्चुअरी मूल्यांकन पर आधारित होती है जिसमें वे होती हैं।
- c) अवकाश नीति के अनुसार, पात्र कर्मचारी अपनी नौकरी की अवधि के दौरान कुछ संचित अवकाश को अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। कंपनी संचित अवकाश को दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में मापने के उद्देश्य से मानती है। आगे बढ़ाए गए अवकाश के मूल्य को लाभ और हानि खाते में चार्ज किया जाता है और एक संबंधित देनदारी खाता बनाए रखा जाता है।

3.7 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (FIXED ASSETS) / संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(स्थायी संपत्तियाँ):

- i. Fixed Assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation and impairment losses, if any.
- ii. Bank capitalizes item of Fixed Assets (property, plant and equipment) that qualifies for recognition as an asset measured at its cost which includes its purchase price, directly attributable costs of bringing the assets to its working condition, taxes, after deducting trade discounts and rebates. On GST component included in the cost of the item capitalized, Bank is not claiming / will not claim Input Tax Credit.
- iii. Cost of asset includes purchase cost, and all expenditure incurred on the asset before putting to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.
- iv. The bank has fully depreciated an amount up to Rs. 15,000/- through a charge to Statement of Profit & Loss in the year of acquisition.
- v. Depreciation for the full year, is provided on:
 - a) Building @ 5 percent on WDV basis
 - b) Furniture & Fixtures depreciation @ 33.33% Straight Line Method (3 years useful life).
 - c) Office Equipment @ 33.33% Straight Line Method (3 years useful life)
 - d) Electrical Installations: For owned assets @ 33.33% Straight Line Method (3 years useful life).
 - e) IT equipment (viz. Computers, Laptops, Printers etc. and Software) @ 33.33% Straight Line Method (3 years useful life).
 - f) Motor Car - Straight Line Method @ 50 percent (2 years useful life).

Depreciation on additions / new acquisitions is provided pro-rata from the date of capitalisation and pro-rata in the year of sale / disposal. In case of revalued / impaired assets, depreciation is provided over the remaining useful life of the assets with reference to revised asset values.

- vi. Leasehold land, Leasehold premises is amortised over the period of lease.
 - i. स्थायी संपत्तियाँ अधिग्रहण की लागत पर, संचयी मूल्यहास और हानि में कमी (यदि कोई हो) के बाद घोषित की जाती हैं।
 - ii. बैंक उन स्थायी संपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) को पूंजीकृत करता है जो एक संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने के योग्य होती हैं और इसकी लागत में इसे लाने के लिए सीधे संबंधित लागत, करों सहित, इसके खरीद मूल्य को मापते हुए, व्यापारिक छूट और रिबेट्स की कटौती के बाद, मूल्यांकन किया जाता है। जीएसटी घटक जो पूंजीकृत वस्तु की लागत में शामिल होता है, उस पर बैंक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं करता है / नहीं करेगा।
 - iii. संपत्ति की लागत में खरीद लागत और उपयोग में लाने से पहले संपत्ति पर किए गए सभी खर्च शामिल होते हैं। उपयोग में लाए गए संपत्तियों पर किए गए बाद के खर्च को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह उन संपत्तियों से भविष्य में मिलने वाले लाभ या उनके कार्य क्षमता को बढ़ाता है।

- iv. बैंक अधिग्रहण वर्ष में लाभ और हानि खाते में शुल्क के रूप में Rs. 15,000/- तक की राशि का पूर्ण मूल्यहास करेगा।
- v. पूर्ण वर्ष के लिए मूल्यहास निम्नलिखित पर प्रदान किया जाता है:
 - a) भवन @ 5 प्रतिशत WDV आधार पर
 - b) फर्नीचर और फिटिंग्स मूल्यहास @ 33.33% सीधी रेखा पद्धति (3 वर्षों का उपयोगी जीवन)।
 - c) कार्यालय उपकरण @ 33.33% सीधी रेखा पद्धति (3 वर्षों का उपयोगी जीवन)।
 - d) इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन: स्वामित्व संपत्तियों के लिए @ 33.33% सीधी रेखा पद्धति (3 वर्षों का उपयोगी जीवन)।
 - e) आईटी उपकरण (जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर आदि और सॉफ्टवेयर) @ 33.33% सीधी रेखा पद्धति (3 वर्षों का उपयोगी जीवन)।
 - f) मोटर कार - सीधी रेखा पद्धति @ 50 प्रतिशत (2 वर्षों का उपयोगी जीवन)।

नए अधिग्रहणों / अतिरिक्त संपत्ति पर मूल्यहास पूंजीकरण की तिथि से अनुपात में प्रदान किया जाता है और बिक्री / निस्तारण वर्ष में भी अनुपात में प्रदान किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन की गई / हानि में कमी आई संपत्तियों के मामले में, मूल्यहास संपत्ति के संशोधित मूल्य के संदर्भ में शेष उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

- vi. लीजधारी भूमि, लीजधारी परिसर को लीज की अवधि के दौरान मूल्यहासित किया जाता है।

3.8 IMPAIRMENT OF ASSETS/ संपत्तियों का अवमूल्यन:

The carrying amounts of assets are reviewed at each Balance Sheet date, if there is any indication of impairment based on internal / external factors, to recognize,

- i. the provision for impairment loss, if any required; or
 - ii. the reversal, if any, required for impairment loss recognized in the previous periods.
- Impairment loss is recognized when the carrying amount of an asset exceeds recoverable amount.

संपत्तियों की मूल्यांकन राशि को प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर समीक्षा किया जाता है, यदि आंतरिक / बाह्य कारकों के आधार पर कोई अवमूल्यन का संकेत होता है, तो यह मान्यता दी जाती है:

- i. यदि आवश्यक हो, तो अवमूल्यन हानि के लिए प्रावधान; या
 - ii. यदि आवश्यक हो, तो पूर्वी अवधियों में मान्यता प्राप्त अवमूल्यन हानि की पलटावा।
- अवमूल्यन हानि तब मान्यता प्राप्त होती है जब किसी संपत्ति की मूल्यांकन राशि उसे पुनः प्राप्त करने योग्य राशि से अधिक होती है।

3.9 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS/ प्रावधान,

संभावित देनदारियाँ और संभावित संपत्तियाँ:

- i. In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation because of a past event, and would result in a probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.
- ii. No provision is recognised for:
 - a) any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or
 - b) any present obligation that arises from past events but is not recognised because:

- it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
- a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

i. भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए AS 29, "प्रावधान, संभावित देनदारियाँ और संभावित संपत्तियाँ" के अनुरूप, बैंक प्रावधान केवल तब मान्यता प्राप्त करता है जब उसे किसी अतीत की घटना के कारण वर्तमान दायित्व होता है, और इसके परिणामस्वरूप संसाधनों का संभावित बहिर्वाह होगा जो आर्थिक लाभों को समाहित करते हुए दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक होगा, और जब दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

ii. कोई प्रावधान तब मान्यता प्राप्त नहीं किया जाता है:

a) किसी भी संभावित दायित्व के लिए जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होता है और जिसका अस्तित्व केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य घटनाओं के घटित होने या न होने से पुष्टि किया जाएगा, जो बैंक के नियंत्रण के बाहर पूरी तरह से नहीं होते हैं; या

b) किसी भी वर्तमान दायित्व के लिए जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होता है लेकिन जिसे मान्यता नहीं दी जाती क्योंकि:

- यह संभावना नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों का बहिर्वाह होगा; या
- दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

ऐसी देनदारियाँ संभावित देनदारियों के रूप में दर्ज की जाती हैं। इनका नियमित अंतराल पर मूल्यांकन किया जाता है और केवल उस दायित्व का वह हिस्सा जिसके लिए संसाधनों का बहिर्वाह आर्थिक लाभों के रूप में संभावित है, प्रदान किया जाता है, सिवाय उन अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में जहाँ कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

संभावित संपत्तियाँ वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं होतीं क्योंकि इससे ऐसी आय की मान्यता हो सकती है जो कभी प्राप्त नहीं हो सकती।

3.10 GRANTS AND SUBSIDIES/ अनुदान और सब्सिडी

Grants and subsidies from the Government and other agencies are accounted for as per the applicable accounting standards having regard to the terms and conditions of the agreement and the Board approved policy.

सरकार और अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान और सब्सिडी को लागू लेखा मानकों के अनुसार, समझौते की शर्तों और बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार दर्ज किया जाता है।

3.11 CASH AND CASH EQUIVALENTS/ नकदी और नकदी समकक्ष:

Cash and cash equivalents for the purpose of cash flow statement include cash in hand, balances with RBI, balances with other banks and investment in Mutual Fund with an original maturity of three months or less. The cash flow Statement is prepared by using indirect method prescribed in AS-3 Cash Flow Statement issued by the ICAI.

नकदी और नकदी समकक्ष, जो कि नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य के लिए होते हैं, इनमें हाथ में नकदी, आरबीआई के साथ शेष राशि, अन्य बैंकों के साथ शेष राशि और म्यूचुअल फंड में निवेश शामिल हैं, जिनकी मूल परिपक्वता तीन महीने या उससे कम होती है। नकदी प्रवाह विवरण को ICAI द्वारा जारी AS-3 नकदी प्रवाह विवरण के तहत अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार किया जाता है।

3.12 LEASES (AS-19)/ लीज:

Lease rental payments, including cost escalations, for assets taken on operating lease are recognised as expense in the profit and loss account over lease term in line with AS-19 leases. ऑपरेटिंग लीज पर ली गई संपत्तियों के लिए लीज रेंटल भुगतान, जिसमें लागत वृद्धि भी शामिल है, लीज अवधि के दौरान लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में पहचाना जाता है, जैसा कि AS-19 लीजेस में निर्धारित है।

3.13 EARNINGS PER SHARE (EPS)/ प्रति शेयर आय:

Basic and diluted Earnings per Share is calculated in accordance with AS 20. Earnings per Share is calculated by dividing the net Profit or Loss (after tax) for the year attributable to the Equity shareholders by the weighted average number of Equity shares outstanding during the year. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if contracts to issue Equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per Equity share is calculated by using the weighted average number of Equity shares and dilutive potential Equity shares outstanding as at the year-end.

बुनियादी और विचलित प्रति शेयर आय AS 20 के अनुसार गणना की जाती है। प्रति शेयर आय की गणना नेट लाभ या हानि (कर के बाद) के आधार पर की जाती है, जो साल के लिए एंविटी शेयरधारकों को संबंधित है, और इसे उस वर्ष के दौरान जारी एंविटी शेयरों की औसत संख्या से विभाजित किया जाता है। विचलित प्रति शेयर आय उस संभावित पतला (dilution) होने को दर्शाती है जो तब हो सकता है जब एंविटी शेयर जारी करने या परिवर्तित करने के लिए अनुबंधों का उपयोग किया जाए या उन्हें परिवर्तित किया जाए। विचलित प्रति एंविटी शेयर आय की गणना वर्ष के अंत में उपलब्ध एंविटी शेयरों और संभावित रूप से पतला होने वाले एंविटी शेयरों की औसत संख्या का उपयोग करके की जाती है।

3.14 TAXATION/ कराधान:

The government has notified the National Bank for Financing Infrastructure and Development, established under section 3 of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021 (17 of 2021), for the purposes of section 10(48D) of the Act, which has the effect of granting exemption from Income Tax for for a period of ten consecutive assessment years beginning from the assessment year 2022-2023.

सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक को अधिसूचित किया है, जो राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (17 ऑफ 2021) के धारा 3 के तहत स्थापित किया गया है, इस अधिनियम की धारा 10(48D) के उद्देश्यों के लिए, जो 2022-2023 के मूल्यांकन वर्ष से शुरू होकर दस लगातार मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए है।

3.15 PROVISIONING FOR FRAUD/ धोखाधड़ी के लिए प्रावधान:

The provisioning in respect of all cases of fraud will be done as per RBI guidelines as below:

- Bank will normally provide for the entire amount due to the bank or for which the bank is liable (including in case of deposit accounts), immediately upon a fraud being detected. While computing the provisioning requirement, bank may adjust financial collateral eligible under Basel III Capital Regulations - Capital Charge for Credit Risk (Standardized Approach), if any, available with regard to the accounts declared as fraud account.
- However, to smoothen the effect of such provisioning on quarterly profit and loss, banks

have the option to make the provisions over a period, not exceeding four quarters, commencing from the quarter in which the fraud has been detected.

- iii. Where the bank chooses to provide for the fraud over two to four quarters and this results in the full provisioning being made in more than one financial year, bank has to debit other reserves by the amount remaining un-provided at the end of the financial year by credit to provisions. However, the bank will proportionately reverse the debits to 'other reserves' and complete the provisioning by debiting profit and loss account, in the subsequent quarters of the next fiscal year.
- iv. The Bank will make suitable disclosures regarding the number of frauds reported, amount involved in such frauds, quantum of provision made during the year and quantum of unamortized provision debited from 'other reserves' as at the end of the year.

धोखाधड़ी के सभी मामलों में प्रावधान आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- i. बैंक सामान्य रूप से धोखाधड़ी का पता चलते ही बैंक को देय पूरी राशि या जिसके लिए बैंक जिम्मेदार है (जिसमें जमा खातों का मामला भी शामिल है) के लिए प्रावधान करेगा। प्रावधान की आवश्यकता की गणना करते समय, बैंक बेसल III पूंजी नियमों - क्रेडिट रिस्क (मानकीकृत दृष्टिकोण) के तहत पात्र वित्तीय संपार्श्विक को समायोजित कर सकता है, यदि कोई धोखाधड़ी खाते से संबंधित हो।
- ii. हालांकि, त्रैमासिक लाभ और हानि पर ऐसे प्रावधान के प्रभाव को सुगम बनाने के लिए, बैंकों के पास धोखाधड़ी का पता चलने वाले त्रैमासिक से शुरू होकर अधिकतम चार तिमाहि में प्रावधान बनाने का विकल्प है।
- iii. जहां बैंक धोखाधड़ी के लिए दो से चार तिमाहियों के भीतर प्रावधान करने का चयन करता है और इससे पूर्ण प्रावधान एक से अधिक वित्तीय वर्षों में किया जाता है, तो बैंक को वित्तीय वर्ष के अंत में शेष अपर्याप्त प्रावधान को अन्य रिजर्व से डेबिट करके प्रावधान में क्रेडिट करना होगा। हालांकि, बैंक 'अन्य रिजर्व' से किए गए डेबिट को अनुपातिक रूप से उलट देगा और अगले वित्तीय वर्ष की आगामी तिमाहियों में लाभ और हानि खाता डेबिट करके प्रावधान को पूरा करेगा।
- iv. बैंक धोखाधड़ी की संख्या, धोखाधड़ी में शामिल राशि, वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान का परिमाण और वर्ष के अंत में 'अन्य रिजर्व' से डेबिट किए गए अप्रयुक्त प्रावधान की राशि के बारे में उपयुक्त खुलासा करेगा।

Disclosure in Financial Statements (as per RBI Guidelines) /**वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण - 'खातों पर टिप्पणियां' (आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार)****1.0 Capital Adequacy / पूंजी पर्याप्तता**

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Sr. No.	Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
i)	Common Equity / आम इक्विटी	30,967.10	28 419.39
ii)	Additional Tier 1 capital / अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	-	-
iii)	Total Tier 1 capital (i+ii) / कुल टियर 1 पूंजी (i+ii)*	30,967.10	28 419.39
iv)	Tier 2 capital / टियर 2 पूंजी	242.62	141.37
v)	Total Capital (Tier 1+Tier 2) / कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	31,209.72	28 560.76
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs) / कुल जोखिम भारित संपत्तियां	42,217.11	24 825.59
vii)	Common Equity Ratio (Common Equity as a percentage of RWAs) / सामान्य इक्विटी अनुपात (RWA के प्रतिशत के रूप में सामान्य इक्विटी)	73.35%	114.48%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs) / टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)	73.35%	114.48%
ix)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs) कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो (CRAR) (RWA के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	73.93%	115.05%
x)	Percentage of the shareholding of the Government of India in the AIFI / एआईएफआई में भारत सरकार की हिस्सेदारी का प्रतिशत	100.00%	100.00%
xi)	Amount of equity capital raised/ जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि	-	-
xii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which / जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि; जिसका कि a.) Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) / बेमियादी गैर-संचयी वरीयता शेयर: b.) Perpetual Debt Instruments (PDI)/ सदा ऋण साधन	-	-
xiii)	Amount of Tier 2 capital raised; of which / जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि; जिसका कि a.) Debt capital instruments/ ऋण पूंजी साधन: b.) Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) / सतत संचयी वरीयता शेयर c.) Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS)/ प्रतिदेय गैर-संचयी वरीयता शेयर d.) Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)/ प्रतिदेय संचयी वरीयता शेयर	-	-

*Note: Tier 1 Capital includes Grant amount in line with the RBI communication dated July 06, 2023 addressed to National Bank for Financing Infrastructure and Development /*नोट: टियर 1 पूंजी में 06 जुलाई, 2023 को / राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक को संबोधित भारतीय रिज़र्व बैंक पत्र के अनुसार अनुदान राशि शामिल है।

2. **Free Reserves and Provisions/ मुक्त भंडार और प्रावधान:**

2.1 Provision on Standard Assets/ मानक आस्तियों पर प्रावधान

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
Provisions towards Standard Assets / मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	242.62	141.37

2.2 Floating Provisions/ फ्लोटिंग प्रावधान

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
(a) Opening balance in the floating provisions account / फ्लोटिंग प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	Nil	Nil
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year / लेखा वर्ष में किए गए फ्लोटिंग प्रावधानों की मात्रा		
(c) Amount of drawdown made during the accounting year / लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रॉडाउन की राशि		
(d) Closing balance in the floating provisions account / फ्लोटिंग प्रावधान खाते में अंतिम शेष		

3. **Asset Quality and specific provisions / संपत्ति की गुणवत्ता और विशिष्ट प्रावधान**

3.1 Non-Performing Advances / अनर्जक अग्रिम

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
(i) Net NPAs to Net Advances (%) / नेट एनपीए से नेट एडवांस	Nil	Nil
(ii) Movement of NPAs (Gross) / एनपीए का संचलन (सकल)		
(a) Opening balance / प्रारंभिक शेष		
(b) Additions during the year / वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(c) Reductions during the year / वर्ष के दौरान कटौती		
(d) Closing balance / समापन शेष		
(iii) Movement of Net NPAs / नेट एनपीए का संचलन		
(a) Opening balance / प्रारंभिक शेष		
(b) Additions during the year / वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(c) Reductions during the year / वर्ष के दौरान कटौती		
(d) Closing balance / समापन शेष		
(iv) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets) / एनपीए के प्रावधानों में बदलाव (मानक संपत्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(a) Opening balance / प्रारंभिक शेष		
(b) Provisions during the year / वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
(c) Write off / write back of excess provisions / अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ/राइट बैक करें		
(d) Closing balance/ जमा शेष		

3.2 Non-Performing Investments/ गैर-निष्पादित निवेश

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
(i) Net NPIs to Net Investments (%) / शुद्ध एनपीआई से शुद्ध निवेश		
(ii) Movement of NPIs (Gross) / एनपीआई का संचलन (सकल)		
(a) Opening balance / प्रारंभिक शेष	Nil	Nil
(b) Additions during the year / वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(c) Reductions during the year / वर्ष के दौरान कटौती		
(d) Closing balance / समापन शेष		
(iii) Movement of Net NPIs / शुद्ध एनपीआई का संचलन		
(a) Opening balance / प्रारंभिक शेष	Nil	Nil
(b) Additions during the year / वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(c) Reductions during the year / वर्ष के दौरान कटौती		
(d) Closing balance / समापन शेष		
(iv) Movement of provisions for NPIs / (excluding provisions on standard assets) / एनपीआई के लिए प्रावधानों का संचलन / (मानक संपत्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(a) Opening balance / प्रारंभिक शेष	Nil	Nil
(b) Provisions during the year / वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
(c) Write off / write back of excessprovisions / अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ / राइट बैक करें		
(d) Closing balance / समापन शेष		

3.3 Non-Performing Assets (3.1 + 3.2) / गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (3.1 + 3.2)

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
(i) Net NPAs to Net Assets (Advance + Investment) (%) / शुद्ध संपत्ति (अग्रिम + निवेश) के लिए शुद्ध एनपीए (%)		
(ii) Movement of NPAs (Gross Advances + Gross investments) / एनपीए में उतार-चढ़ाव (सकल अग्रिम + सकल निवेश)		
(a) Opening balance / प्रारंभिक शेष		
(b) Additions during the year / वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(c) Reductions during the year / वर्ष के दौरान कटौती		
(d) Closing balance / समापन शेष	Nil	Nil
(iii) Movement of Net NPAs / नेट एनपीए का संचलन		
(a) Opening balance / प्रारंभिक शेष		
(b) Additions during the year / वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(c) Reductions during the year / वर्ष के दौरान कटौती		
(d) Closing balance / समापन शेष		

(iv) Movement of provisions for NPAs / (excluding provisions on standard assets) / एनपीए के लिए प्रावधानों का संचलन / (मानक संपत्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(a) Opening balance / प्रारंभिक शेष		
(b) Provisions during the year / वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
(c) Write off / write back of excess provisions / अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ/राइट बैक करें		
(d) Closing balance / समापन शेष		

3.4 Particulars of Accounts Restructured / पुनर्गठित खातों का विवरण

No accounts were restructured during FY 2024-25 and FY 2023-24

वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई खाते पुनर्गठित नहीं किए गए

3.5 Movement of Non-performing assets / गैर-निष्पादित संपत्तियों का संचलन

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
Gross NPAs as on opening date of accounting period (Opening Balance)/ लेखा अवधि की आरंभिक तिथि को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	Nil	Nil
Additions / परिवर्धन:- (Fresh NPAs) during the year / वर्ष के दौरान (नए एनपीए)		
Sub-total (A) / उप-योग (ए)		
Less / कम:-		
(i) Upgradations / उन्नयन		
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts) / वसूली (अपग्रेड किए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर)		
(iii) Technical / Prudential Write offs / तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना		
(iv) Write offs other than those under (iii) above/ ऊपर (iii) के तहत बट्टे खाते में डालने वालों को छोड़कर		
Sub-total (B) / उप-योग (बी)		
Gross NPAs as on March 31 (A-B) / 31 मार्च (ए-बी) तक सकल एनपीए		

3.6 Write-offs and recoveries / राइट-ऑफ और वसूली

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
Opening balance of Technical / Prudential written off accounts as at April 1 तकनीकी/विवेकपूर्ण का प्रारंभिक शेष, 1 अप्रैल को	Nil	Nil
Add: Technical / Prudential write offs during the year जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण अपलेखन		
Sub-total (A) / उप-योग (ए)		
Less: Recoveries made from previously technical / prudential written off accounts during the year (B) घटाएं: वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/विवेकपूर्ण अपलेखित खातों से की गई वसूली (बी)		
Closing balance as at March 31 (A-B)		

31 मार्च (ए-बी) के अनुसार अंतिम शेष

3.7 Overseas Assets, NPAs and Revenue / विदेशी संपत्ति, एनपीए और राजस्व

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
Total Assets / कुल संपत्ति	Nil	Nil
Total NPAs / कुल एनपीए		
Total Revenue / कुल मुनाफा		

3.8 Depreciation and provisions on investment / निवेश पर मूल्यहास और प्रावधान

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
(1) Investments / निवेश		
(i) Gross Investments / सकल निवेश	4,319.55	100.00
(a) In India / भारत में	4,319.55	100.00
(b) Outside India / भारत के बाहर	-	-
(ii) Provisions for Depreciation / मूल्यहास के प्रावधान	-	(0.77)
(a) In India / भारत में	-	(0.77)
(b) Outside India / भारत के बाहर	-	-
(iii) Net Investments / शुद्ध निवेश	4,319.55	100.00
(a) In India / भारत में	4,319.55	100.00
(b) Outside India / भारत के बाहर	-	-
(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments / निवेश पर मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधानों का संचलन		
(i) Opening balance / प्रारंभिक शेष	-	0.77
(ii) Add: Provisions during the year / जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-	-
(iii) Appropriation, if any, from Investment Fluctuation Reserve Account during the year / वर्ष के दौरान निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित खाते से विनियोग, यदि कोई हो	-	-
(iv) Less: Write off / write back of excess provisions during the year / घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/वापसी करना	-	(0.77)
(v) Closing balance / अंतिम शेष	-	-

3.9 Provisions and Contingencies / प्रावधान और आकस्मिकताएं

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
Provisions for depreciation on Investment / निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	-	-
Provision towards NPA / एनपीए के लिए प्रावधान	-	-
Provision made towards Income tax / इनकम टैक्स के लिए किया गया प्रावधान	-	-
*Other Provision and Contingencies/ अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं	101.25	102.35

*Note: Other Provision includes Provision for Standard Asset. (*नोट: अन्य प्रावधान में मानक संपत्ति के लिए प्रावधान शामिल है।)

3.10 Provisioning Coverage Ratio (PCR)/ प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर):-

Nil NPAs as on March 31, 2024 and March 31, 2025 /31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2025 को कोई एनपीए नहीं

4. Investment portfolio: constitution and operations / निवेश पोर्टफोलियो: संविधान और संचालन

4.1 Repo Transactions / रेपो लेनदेन

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

	Minimum outstanding during the Year / वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	Maximum outstanding during the Year / वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	Daily Average outstanding during the Year / वर्ष के दौरान बकाया दैनिक औसत	Outstanding as on March 31, 2025 / 31 मार्च 2025 को बकाया
Securities sold underrepo / रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां				
i. Government securities / सरकारी प्रतिभूतियां	Nil	Nil	Nil	Nil
ii. Corporate debt securities / कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ				
Securities purchased under reverse repo/ रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i. Government securities / सरकारी प्रतिभूतियां	Nil	Nil	Nil	Nil
ii. Corporate debt securities / कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ				

4.2 Disclosure of Issuer Composition for Investment in Debt securities / ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए जारीकर्ता संरचना का प्रकटीकरण

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Sr. No.	Issuer/ जारीकर्ता	Amount / राशि	Extent of Private Placement/ निजी प्लेसमेंट की सीमा	Extent of 'Below Investment Grade' Securities/ निवेश ग्रेड से नीचे' प्रतिभूतियों की सीमा	Extent of 'Unrated' Securities/ 'अनरेटेड' प्रतिभूतियों की सीमा	Extent of 'Unlisted' Securities/' असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i)	PSUs (पीएसयू)	100.00	100.00	-	-	-
(ii)	Fis (एफ आई)	-	-	-	-	-

(iii)	Banks (बैंक्स)	1,498.82	-	-	-	-
(iv)	Private Corporates(निजी कॉर्पोरेट्स)	2,645.13	2,645.13	-	-	-
(v)	Subsidiaries / Joint Ventures (सब्सिडियरीज़ संयुक्त कॉर्पोरेशन)	-	-	-	-	-
(vi)	Others (अन्य)	-	-	-	-	-
(vii)	Provision held towards depreciation (ह्रास के लिए रखा गया प्रावधान)			-	-	-
	Total (कुल)	4,243.95	2,745.13	-	-	-

- 4.3 Sale and Transfers to / from HTM Category / बिक्री और एचटीएम श्रेणी से / के लिए स्थानांतरण
During the Financial Year ended March 31, 2025 no sale and transfers to/from HTM category was executed / वित्तीय वर्ष के अंत में 31 मार्च 2025 को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत कोई बिक्री और स्थानांतरण नहीं किया गया।

5. Details of Financial Assets purchased/ sold / खरीदी / बेची गई वित्तीय संपत्तियों का विवरण

- 5.1 Details of Financial Assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction / परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय संपत्तियों का विवरण

A. Details of Sales/ बिक्री का विवरण

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
(i) No. of accounts / खातों की संख्या		
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC/ एससी/आरसी को बेचे गए खातों का सकल मूल्य (प्रावधानों का शुद्ध)		
(iii) Aggregate consideration/ सकल विचार	Nil	Nil
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years / पिछले वर्षों में स्थानांतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल		
(v) Aggregate gain / loss over net book Value / नेट बुक पर सकल लाभ / हानि कीमत		

B. Details of Book Value of Investments in Security Receipts / सुरक्षा प्राप्तियों में निवेश के बही मूल्य का विवरण

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
(i) Backed by NPAs sold by the AIFIs underlying / एआईएफआई द्वारा अंतर्निहित के रूप में बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित		
(ii) Backed by NPAs sold by banks /other financial institutions / non-banking financial companies as underlying / अंतर्निहित के रूप में बैंकों / अन्य वित्तीय संस्थानों / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	Nil	Nil
Total	Nil	Nil

5.2 Details of Non-Performing Financial Assets Purchased / Sold

खरीदी / बेची गई गैर-निष्पादित वित्तीय संपत्तियों का विवरण

A. Details of non-performing financial assets purchased / खरीदी / बेची गई गैर-निष्पादित वित्तीय संपत्तियों का विवरण
(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
1. (a) No. of accounts purchased during the Year / वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding/ कुल बकाया		
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year / इनमें से, वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding/ कुल बकाया		

B. Details of non-performing financial assets sold / बेची गई गैर-निष्पादित वित्तीय संपत्तियों का विवरण:

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
1. No. of accounts sold / बेचे गए खातों की संख्या	Nil	Nil
2. Aggregate outstanding / सकल बकाया		
3. Aggregate consideration received / कुल प्रतिफल प्राप्त हुआ		

5.3 Details of loans transferred / acquired during the year ended March 31, 2025 under the RBI Master Direction on Transfer of Loan Exposure dated September 24, 2021 / 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान आरबीआई के मास्टर दिशा-निर्देश के तहत हस्तांतरित / अधिग्रहित ऋणों का विवरण, जो कि 24 सितंबर, 2021 को जारी किया गया था।

a. Disclosure for Loans not in default, transferred (Down-sell) / डिफॉल्ट में नहीं होने वाले लोन के लिए खुलासा, स्थानांतरित (डाउन-सेल):
(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Details of loans not in default — Transferred: / किसी डिफॉल्ट में नहीं जाने वाले ऋणों का विवरण - स्थानांतरित:	FY 2024-25	FY 2023-24
Aggregate amount of loans transferred (Rs. crore) / संयुक्त ऋण राशियों का हस्तांतरण (रु. करोड़)	2,540	23.8
Weighted average maturity / भारित औसत परिपक्वता	9.02 years	15 years
Retention of Beneficial Economic Interest by originator / उद्भूतकर्ता द्वारा लाभकारी आर्थिक हित की रोकधाम	Nil	Nil
Tangible security coverage / स्पष्ट सुरक्षा कवरेज	1.14x	1x
Rating-wise distribution of rated loans / रेटेड ऋणों का रेटिंग के अनुसार वितरण	A- to AA	A

Note: In addition to the above, facilities amounting to Rs. 1,000 crores transferred through Novation during the year ended March 31, 2025. / नोट: उपरोक्त के अतिरिक्त, वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2025 के दौरान नोवेसन के माध्यम से 1,000 करोड़ रुपये की सुविधाएँ हस्तांतरित की गईं।

b. Disclosure for Loans not in default, acquired / ऋणों के लिए खुलासा जो डिफॉल्ट में नहीं हैं, अधिग्रहित

Details of loans not in default — acquired: किसी डिफॉल्ट में नहीं जाने वाले ऋणों का विवरण - अधिग्रहित:	FY 2024-25	FY 2023-24
Aggregate amount of loans transferred (Rs. crore) / कुल ऋण हस्तांतरित राशि (रु. करोड़)	1,100	4,258
Weighted average maturity / भारित औसत परिपक्वता	12.64 Years	18 Years
Retention of Beneficial Economic Interest by originator / उद्भूतकर्ता द्वारा लाभकारी आर्थिक हित की रोकधाम	Nil	Nil
Tangible security coverage / स्पष्ट सुरक्षा कवरेज	1.37x	1x
Rating-wise distribution of rated loans / रेटेड ऋणों का रेटिंग के अनुसार वितरण	BBB	A- to AAA

- c. Disclosure for Stressed loans transferred or acquired / तनावग्रस्त ऋणों के लिए खुलासा जो स्थानांतरित या अधिग्रहित किए गए - NIL/ शून्य

6. Operating Results

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
(i) Interest Income as a percentage to Working Funds / वर्किंग फंड्स के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	7.10%	8.24%
(ii) Non-interest income as a percentage to Working Funds / वर्किंग फंड्स के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	0.34%	0.68%
(iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds / कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	3.27%	4.93%
(iv) Return on Assets / एसेट्स पर रिटर्न	3.48%	4.63%
(v) Net Profit per employee (Rs in crore) / प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (करोड़ रुपये में)	12.04	20.27

7. Credit Concentration Risk / क्रेडिट एकाग्रता जोखिम

7.1 Capital Market Exposure / पूंजी बाजार एक्सपोजर

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt; इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है;	75.60	Nil
(ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds; शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयर/बॉन्ड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अग्रिम;	Nil	Nil

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security; किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में लिया जाता है	Nil	Nil
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds 'does not fully cover the advances; शेयरों या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपार्श्विक सुरक्षा द्वारा सुरक्षित सीमा तक किसी भी अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम, जहां शेयर / परिवर्तनीय बांड / परिवर्तनीय डिबेंचर / इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा प्राथमिक सुरक्षा 'अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करता है	Nil	Nil
(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers; स्टॉक ब्रोकर्स को सुरक्षित और असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर्स और मार्केट निर्माताओं की तरफ से जारी गारंटी;	Nil	Nil
(vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources; संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बांड / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा के खिलाफ या स्वच्छ आधार पर कंपनियों को स्वीकृत ऋण;	Nil	Nil
(vii) Bridge loans to companies against expected equity flows / issues; प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह/मुद्दों के विरुद्ध कंपनियों को पुल ऋण;	Nil	Nil
(viii) Underwriting commitments taken up by the AIFI in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds; शेयरों या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक मुद्दे के संबंध में एआईएफआई द्वारा हमीदारी प्रतिबद्धताएं	Nil	Nil
(ix) Financing to stockbrokers for margin trading; मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकर्स को वित्तपोषण;	Nil	Nil
(x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए सभी एक्सपोजर (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	Nil	Nil
Total Exposure to Capital Market पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	75.60	Nil

7.2 Exposure to Country risk/ देश के जोखिम के लिए एक्सपोजर

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Risk Category / जोखिम श्रेणी	Exposure (net) as at March 31 / 31 मार्च को एक्सपोजर (शुद्ध)	Provision held as at March 31 / 31 मार्च तक आयोजित प्रावधान	Exposure (net) as at March 31 / 31 मार्च को एक्सपोजर (शुद्ध)	Provision held as at March 31 / 31 मार्च तक आयोजित प्रावधान
	FY 2024-25	FY 2024-25	FY 2023-24	FY 2023-24
Insignificant तुच्छ	Nil	Nil	Nil	Nil
Low/ कम				
Moderate / उदारवादी				
High/ उच्च				
Very High / बहुत ऊँचा				
Restricted/ वर्जित				
Off-credit/ ऑफ-क्रेडिट				
Total/ कुल	Nil	Nil	Nil	Nil

7.3 Prudential Exposure Limits - Single Borrower Limit (SGL) / Group Borrower Limit (GBL) exceeded / प्रूडेंशियल एक्सपोजर लिमिट - सिंगल बॉरोअर लिमिट (एसजीएल) / ग्रुप बॉरोअर लिमिट (जीबीएल) पार हो गई

A. The number and amount of exposures in excess of the prudential exposure limits during the year / वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण जोखिम सीमा से अधिक जोखिम की संख्या और राशि

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Sl. No.	PAN Number	Borrower Name	Industry Code	Industry Name	Sector	Amount Funded	Amount Non-Funded	Exposure as percentage to capital Funds
Nil								

B. Credit exposure as percentage to capital funds (Tier-1 Capital) and as percentage to total assets, in respect of/ निम्नलिखित के संबंध में पूंजीगत निधियों के प्रतिशत के रूप में और कुल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण जोखिम:

Particulars	As % to Total Capital Funds 2024-25	As % to Total Assets 2024-25	As % to Total Capital Funds 2023-24	As % to Total Assets 2023-24
The largest single borrower / सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	16.12%	6.00%	17.58%	9.07%
The largest borrower group / सबसे बड़ा कर्जदार समूह	28.32%	10.54%	19.33%	9.98%
The 20 largest single borrowers /20 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	190.21%	70.79%	153.73%	79.33%
The 20 largest Group borrowers groups / 20 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	261.02%	97.14%	170.17%	87.81%

C. Credit exposure to the five largest industrial sectors (if applicable) as percentage to total loan assets / कुल ऋण आस्तियों के प्रतिशत के रूप में पांच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों (यदि लागू हो) के लिए ऋण जोखिम:

Industrial Sector (as per Harmonized List of Infrastructure) / औद्योगिक क्षेत्र (अवसंरचना की सुसंगत सूची के अनुसार)	Credit exposure as % to total loan asset/ कुल ऋण परिसंप	Credit exposure as % to total loan asset / कुल ऋण परिसंपत्ति के % के रूप में
---	---	---

	ति के % के रूप में ऋण जोखिम	ऋण जोखिम
	FY 2024-25	FY 2023-24
Communication (संचार)		
Data Centres (डेटा केंद्र)	5.22%	0.00%
Telecommunication towers (दूरसंचार टावर)	0.86%	0.50%
Energy (ऊर्जा)		
Transmission and Distribution (संग्रहण और वितरण)	41.38%	45.52%
Electricity Distribution (बिजली वितरण)	1.42%	10.62%
Social and Commercial Infrastructure (सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा)		
Education Institutions (शैक्षिक संस्थान)	0.55%	0.00%
Ropeway and Cable (रोपवे और केबल)	0.22%	0.00%
Hospitals (अस्पताल)	6.32%	0.00%
Sports Infrastructure (खेल संरचना)	0.22%	0.00%
Transport and Logistics (परिवहन और लॉजिस्टिक्स)		
Bulk Material transportation pipelines (बल्क सामग्री परिवहन पाइपलाइन)	0.97%	1.93%
Logistics Infrastructure (लॉजिस्टिक्स अवसंरचना)	0.16%	0.35%
Ports (पोर्ट)	2.28%	3.48%
Railway rolling stock (रेलवे रोलिंग स्टॉक)	0.69%	10.53%
Roads and bridges (सड़कें और पुल)	33.04%	26.87%
Water and Sanitation (जल और स्वच्छता)		
Irrigation (सिंचाई)	3.91%	0.00%
NCD (एनसीडी)	2.76%	0.20%
Total / कुल	100.00%	100.00%

D. Total amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken as also the estimated value of such intangible collateral. / अग्रिमों की कुल राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे कि अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि पर प्रभार लिया गया है और साथ ही ऐसे अमूर्त संपार्श्विक का अनुमानित मूल्य भी लिया गया है।

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
Total Unsecured Advances of the Bank (बैंक के कुल असुरक्षित अग्रिम)	9,675.00	8,000.00
i) Of which amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as corporate/personal guarantees, promissory notes, trust receipts, etc. (किस राशि के अग्रिम बकाया हैं जो कि गैर-सामग्री परिसाधनों जैसे कॉर्पोरेट/व्यक्तिगत गारंटियों, प्रॉमिसरी नोट्स, ट्रस्ट रसीदों आदि के खिलाफ हैं)	Nil	Nil
ii) The estimated value of such intangible securities (as in (i) above). ऐसी अमूर्त प्रतिभाओं का अनुमानित मूल्य (जैसा कि (i) में ऊपर दिया गया है।)	Nil	Nil

E. Factoring exposures/ फैक्टoring एक्सपोजर: Nil

F. Exposures where the FI had exceeded the Prudential Exposure Limits during the year / वे एक्सपोजर जहां FI

ने वर्ष के दौरान प्रूडेंशियल एक्सपोजर सीमा को पार कर लिया था: Nil

7.4 Concentration of borrowings /lines of credit, credit exposures and NPAs (to be shown separately / उधार/क्रेडिट लाइन, क्रेडिट एक्सपोजर और एनपीए का संकेंद्रण (अलग से दिखाया जाना है)

A. Concentration of borrowings and lines of credit/ उधार और ऋण की रेखाओं का संकेंद्रण:

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
Total borrowings from twenty largest lenders /बीस सबसे बड़े उधारदाताओं से कुल उधार	11,934.92	5,500.00
Percentage of borrowings from twenty largest lenders to total borrowings of the AIFI / एआईएफआई के कुल उधारों में बीस सबसे बड़े ऋणदाताओं से उधार का प्रतिशत *	100.00	100.00

* Excluding Debt Securities / कर्ज प्रतिभूतियों को छोड़कर

B. Concentration of credit exposures / क्रेडिट एक्सपोजर की एकाग्रता *

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
Total exposures to twenty largest borrowers / बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के लिए कुल जोखिम	58,901.66	43,731.31
Percentage of exposures to twenty largest borrowers to Total Advances of the AIFI / एआईएफआई के कुल अग्रिमों के लिए बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के जोखिम का प्रतिशत	58.69%	85.53%
Total Exposure to twenty largest borrowers /customers / बीस सबसे बड़े कर्जदारों/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	58,901.66	43,731.31
Percentage of exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the AIFI on borrowers / customers उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर एआईएफआई के कुल एक्सपोजर की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	58.69%	85.53%
In the case of EXIM Bank, percentage of total of top ten country exposures to total exposures / एक्जिम बैंक के मामले में, कुल एक्सपोजर की तुलना में शीर्ष दस देशों के कुल एक्सपोजर का प्रतिशत	NA	NA

*Note -Exposure computed based on credit and investment exposure as prescribed vide RBI Master Circular on Exposure norms for financial institutions: DBR.FID.FIC.No.4/01.02.00/ 2015-16 dated July 01, 2015.

(*नोट - एक्सपोजर का अनुमान ऋण और निवेश एक्सपोजर के आधार पर किया गया है, जैसा कि आरबीआई मास्टर सर्कुलर में वित्तीय संस्थानों के लिए एक्सपोजर मानदंडों पर निर्धारित किया गया है: DBR.FID.FIC.No.4/01.02.00/ 2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015)

C. Sector-wise concentration of exposures and NPAs/ जोखिम और एनपीए का क्षेत्र-वार संकेंद्रण

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Industrial Sector (as per Harmonized List of Infrastructure)	FY 2024-25			FY 2023-24		
	Outstanding Total Advances	Gross NPA	% of Gross NPAs to Total advances in that Sector	Outstanding Total Advances	Gross NPA	% of Gross NPAs to Total advances in that Sector
Communication (संचार)	2,243	-	-	230	-	-
Data Centres (डेटा केंद्र)	1,858	-	-	-	-	-
Telecommunication towers (दूरसंचार टावर)	385	-	-	230	-	-
Energy(ऊर्जा)	36,182	-	-	20,950	-	-
Electricity Generation (बिजली उत्पादन)	35,252	-	-	16,889	-	-
Social and Commercial Infrastructure (सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा)	1,338	-	-	-	-	-
Education Institutions (शैक्षिक संस्थान)	496	-	-	-	-	-
Hospitals (अस्पताल)	594	-	-	-	-	-
Sports Infrastructure (खेल संरचना)	194	-	-	-	-	-
Transport and Logistics (परिवहन और लॉजिस्टिक्स)	17,332	-	-	14,828	-	-
Roads and bridges (सड़कें और पुल)	15,743	-	-	10,309	-	-
NCDs	2,770	-	-	100	-	-

7.5 Unhedged Foreign Currency Exposure / अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर: NA**8. Derivatives/ संज्ञात****8.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap/ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट / इंटरेस्ट रेट स्वैप**

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
i) The notional principal of swap agreements/ अदला-बदली करारों का कल्पित सिद्धांत	Rs. 44,250 Cr (Gross amount) Rs. 26,250 Cr (Received position) Rs. 18,000 Cr (Paid position) / रु 44,250 करोड़ (सकल राशि) रु 26,250 करोड़ (प्राप्त स्थिति) रु 18,000 करोड़ (भुगतान स्थिति)	Rs. 24,500 Cr (Gross amount) Rs. 18000 Cr (Received Position) Rs 6500 Cr (Paid Position) / रु. 24,500 करोड़ (सकल राशि) रु. 18,000 करोड़ (प्राप्त स्थिति) रु. 6,500 करोड़ (भुगतान स्थिति)

ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements./ यदि प्रतिपक्ष समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है तो वह नुकसान होगा	Counterparties have MTM payment and interest on collateral placed as their obligations under the trade. For MTM payment, Variation Margin is exchanged on a daily basis on T+0 or T+1 or T+2 basis. Hence, there will be mismatch to that extent. Further, losses may arise on account of non-exchange of such margin only with the counterparties, with whom, National Bank for Financing Infrastructure and Development is running net positive MTM. As on 31st March 2025, such amount was 41.37 Cr./ प्रतिपक्षों के पास व्यापार के तहत अपनी जिम्मेदारियों के रूप में एमटीएम भुगतान और रखी गई संपत्ति पर ब्याज है। एमटीएम भुगतान के लिए, विविधता मार्जिन का आदान-प्रदान दैनिक आधार पर T+0 या T+1 या T+2 के आधार पर किया जाता है। इसलिए, इस हद तक एक असंगति होगी। इसके अलावा, ऐसे मार्जिन के आदान-प्रदान के न होने के कारण नुकसान हो सकता है केवल उन प्रतिपक्षों के साथ, जिनके साथ, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक सकारात्मक विशुद्ध एमटीएम चला रहा है। 31 मार्च 2025 तक, ऐसी राशि 4.97 करोड़ थी। Interest payable on collateral as on 31st March 2025 was Rs 3.60 Crores./ 31 मार्च 2025 को गिरवी पर देय ब्याज 3.60 करोड़ रुपये था।	Counterparties have MTM payment and interest on collateral placed as their obligations under the trade. For MTM payment, Variation Margin is exchanged on a daily basis on T+1 or T+2 basis. Hence, there will be mismatch to that extent. Further, losses may arise on account of non-exchange of such margin only with the counterparties, with whom, National Bank for Financing Infrastructure and Development is running net positive MTM. As on 31st March 2024, such amount was 41.05 Cr./ प्रतिपक्षियों के पास व्यापार के अंतर्गत अपने दायित्वों के रूप में MTM भुगतान और सुरक्षा पर ब्याज होता है। MTM भुगतान के लिए, हर दिन T+1 या T+2 आधार पर वैरिएशन मार्जिन का आदान-प्रदान किया जाता है। इसलिए, उस हद तक असंगति होगी। इसके अलावा, ऐसे मार्जिन के आदान-प्रदान न होने के कारण हानि उन प्रतिपक्षियों के साथ हो सकती है, जिनके साथ राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक शुद्ध सकारात्मक MTM चला रहा है। 31 मार्च 2024 को, ऐसा राशि 41.05 करोड़ थी। Interest receivable on collateral as on 31st March 2024 was Rs 17.58 Lakh./ 31 मार्च 2024 की स्थिति में गिरवी पर प्राप्त होने वाली ब्याज राशि 17.58 लाख रुपये थी।
iii) Collateral required by the AIFI upon entering into swaps/ स्वैप में प्रवेश करने पर एआईएफआई द्वारा आवश्यक संपार्श्विक	There is no requirement of collateral for entering into the swaps at inception. However, with movements in interest rates, MTM to either party varies. Accordingly, Variation Margin in cash is exchanged between the counterparties which acts as the collateral for the trade. As on 31.03.2025, National Bank for Financing Infrastructure and Development received a margin of Rs 715.07 Cr./ स्वैप्स में प्रवेश करने के लिए आरंभ में कोई संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के साथ, दोनों पक्षों के लिए मार्केट-टू-मार्केट वैल्यू में भिन्नता होती है। इस	There is no requirement of collateral for entering into the swaps at inception. However, with movements in interest rates, MTM to either party varies. Accordingly, Variation Margin in cash is exchanged between the counterparties which acts as the collateral for the trade. As on 31.03.2024, National Bank for Financing Infrastructure and Development placed a margin of Rs 49.45 Cr (gross Margin) and received a margin of Rs 124.87 Cr (Gross margin) as on 31.03.2024./ शुरुआत में स्वैप में प्रवेश करने के लिए कोई जमानत की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के साथ, दोनों पक्षों

	अनुसार, नकद में परिवर्तन मार्जिन का आदान-प्रदान प्रतिस्पर्धी पक्षों के बीच किया जाता है जो व्यापार के लिए संपार्श्विक के रूप में कार्य करता है। 31.03.2025 तक, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक को 715.07 करोड़ रुपये का मार्जिन प्राप्त हुआ।	के लिए मार्केट टू मार्केट (MTM) बदलता है। इसके अनुसार, नकद में वैरिएशन मार्जिन की अदला-बदली होती है जो व्यापार के लिए जमानत के रूप में कार्य करती है। 31.03.2024 के अनुसार, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक ने ₹49.45 करोड़ (सकल मार्जिन) का मार्जिन रखा और 31.03.2024 को ₹124.87 करोड़ (सकल मार्जिन) का मार्जिन प्राप्त किया।
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps/ स्वेप से उत्पन्न होने वाले क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	National Bank for Financing Infrastructure and Development has diversified swap transactions with eight counterparties which mitigates the credit concentration risk. Further, variation margin is exchanged on a daily basis which takes care of any positive MTM arising out of the trade. Accordingly, Concentration of credit risk on account of swaps is Nil. / राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक ने आठ प्रतिपक्षों के साथ स्वेप लेनदेन में विविधता लाई है, जिससे क्रेडिट संकेंद्रण जोखिम को कम किया जा सके। इसके अलावा, दिन-प्रतिदिन विविधता मार्जिन का आदान-प्रदान किया जाता है, जो व्यापार से उत्पन्न सकारात्मक एमटीएम का ध्यान रखता है। तदनुसार, स्वेप के कारण क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण शून्य है।	National Bank for Financing Infrastructure and Development has diversified swap transactions with four counterparties which mitigates the credit concentration risk. Further, variation margin is exchanged on a daily basis which takes care of any positive MTM arising out of the trade. Accordingly, Concentration of credit risk on account of swaps is Nil. / राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक ने चार प्रतिपक्षों के साथ स्वेप लेनदेन में विविधता लाई है, जिससे क्रेडिट संकेंद्रण जोखिम को कम किया गया है। इसके अलावा, दिन-प्रतिदिन विविधता मार्जिन का आदान-प्रदान किया जाता है, जो व्यापार से उत्पन्न सकारात्मक एमटीएम का ध्यान रखता है। तदनुसार, स्वेप के कारण क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण शून्य है।
v) The fair value of the swap book/ स्वेप बही का उचित मूल्य	Net positive Rs 814.47 Cr as on 31st March 2025. / 31 मार्च 2025 तक शुद्ध सकारात्मक 814.47 करोड़ रुपये।	Positive Rs 129.80 Cr as on 31st March 2024. / 31 मार्च 2024 को सकारात्मक 129.80 करोड़ रुपये।

The Nature and terms of the IRS as on 31st March 2025 are set out as below

/ 31 मार्च 2025 के अनुसार IRS की प्रकृति और शर्तें निम्नलिखित हैं:

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

S. No.	Nature	Numbers	Notional Principal	Benchmark	Terms
1	Hedging – OIS Receive Leg हेजिंग - ओआईएस प्राप्त पक्ष/हेजिंग -	46	21,250	O/N MIBOR	Receive Fixed, Pay Floating
2	Hedging – OIS Paid Leg ओआईएस चुकाए गए पक्ष	9	18,000	O/N MIBOR	Pay Fixed, Receive Floating
3	Hedging – TRS Receive Leg हेजिंग - टीआरएस प्राप्त पक्ष	7	5,000	O/N MIBOR	Receive Fixed, Pay Floating

8.2 Exchange Traded Interest Rate Derivative/ एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
-------------	------------	------------

(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrumentwise) / वर्ष के दौरान किए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि (लिखत वार)	Nil	Nil
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March / 31 मार्च को बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि	Nil	Nil
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)/ एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव बकाया और 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं (इंस्ट्रूमेंट वार) की कल्पित मूल राशि	Nil	Nil
(iv)	Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)/ एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव का बाजार मूल्य बकाया और 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं (इंस्ट्रूमेंट वार)	Nil	Nil

8.3 Disclosures on risk exposure in derivative / व्युत्पन्न में जोखिम जोखिम पर प्रकटीकरण:

(i) Qualitative disclosures:

- (a) National Bank for Financing Infrastructure and Development is using derivatives solely for hedging the interest rate risk in banking book arising on account of mismatches in repricing assets and liabilities. National Bank for Financing Infrastructure and Development has not undergone any derivatives transaction for trading purpose during the period under review. / राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक ने अपने बैंकिंग बुक में ब्याज दर के जोखिम से बचाव के लिए केवल डेरिवेटिव्स का उपयोग कर रहा है, जो कि संपत्तियों और देनदारियों की पुनः मूल्य निर्धारण में असमानता के कारण उत्पन्न होता है। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक ने समीक्षा की अवधि के दौरान व्यापार के उद्देश्य के लिए किसी भी डेरिवेटिव लेनदेन में भाग नहीं लिया है।
- (b) National Bank for Financing Infrastructure and Development has put in place internal policies and guidelines approved by the Board for dealing in derivatives. System has been put in place to measure and monitor the MTM and sensitivities of the derivatives transactions. /राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक ने डेरिवेटिव्स में लेनदेन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक नीतियों और दिशा-निर्देशों की स्थापना की है। डेरिवेटिव्स लेनदेन के एमटीएम और संवेदनशीलताओं को मापने और मॉनिटर करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की गई है।
- (c) Internal Control guidelines for hedging are framed and approval from competent authority is taken for all the derivatives transactions before entering deals. National Bank for Financing Infrastructure and Development has also put in place derivative and hedging policy approved by the Board for dealing in derivatives. All the hedging transactions are reported to ALCO and RMC of the Board for evaluating hedge effectiveness and other risk limits and effective measures are taken to ensure their effectiveness. To mitigate credit concentration risk, derivative trades are spread across various counterparties.
- हेजिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और सभी डेरिवेटिव लेनदेन के लिए सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति ली जाती है। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक ने डेरिवेटिव में लेनदेन करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित डेरिवेटिव और हेजिंग नीति भी लागू की है। सभी हेजिंग लेनदेन ALCO और बोर्ड के RMC को रिपोर्ट किए जाते हैं ताकि हेज की प्रभावशीलता और अन्य जोखिम सीमाओं का मूल्यांकन किया जा सके और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाते हैं। क्रेडिट सघनता जोखिम को कम करने के लिए, डेरिवेटिव ट्रेडों को विभिन्न समकक्षों में फैलाया जाता है।
- (d) National Bank for Financing Infrastructure and Development has Board approved Accounting Policy and Hedge Policy in place for these aspects and follows the accrual method for accounting the transactions arising out of derivative deals./राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक के पास इन पहलुओं के लिए बोर्ड द्वारा स्वीकृत लेखांकन नीति और हेज नीति है और यह डेरिवेटिव सौदों से उत्पन्न लेनदेन की लेखांकन के लिए अर्जित विधि का पालन करता है।

(ii) Quantitative disclosures:

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Sr. No	Particular	FY 2024-25		FY 2023-24	
		Currency Derivatives / मुद्रा व्युत्पन्न	Interest rate derivatives / ब्याज दर व्युत्पन्न	Currency Derivatives / मुद्रा व्युत्पन्न	Interest rate derivatives / ब्याज दर व्युत्पन्न
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount)/ व्युत्पन्न (सिद्धांत प्रधान राशि)				
	a) For hedging/ हेजिंग के लिए	-	44,250	-	24,500
	b) For trading/ व्यापार के लिए	-	NIL	-	NIL
(ii)	Marked to Market Positions/ मार्केट टू मार्केट स्थिति				
	a) Asset (+)/संपत्ति (+)	-	823.05	-	176.91
	b) Liability (-)/देनदारी (-)	-	-8.58	-	-47.1
(iii)	Credit Exposure/ क्रेडिट एक्सपोजर	-	814.47	-	716.91
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)/ ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन (100*PV01) का संभावित प्रभाव	-	-	-	-
	a) on Hedging Derivatives / हेजिंग व्युत्पन्नो पर	-	1,846.50	-	1,415.62
	b) on Trading Derivatives / व्यापारिक व्युत्पन्नो पर	-	-	-	-
(v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year*/ वर्ष के दौरान 100*PV01 के अधिकतम और न्यूनतम मान	-	-	-	-
	on hedging/ हेजिंग पर				
	Maximum	-	1,887.04	-	1,436.00
	Minimum		1,288.58		17.52
	b) on trading/ व्यापार पर	-		-	-

*Note: Since, the PVBP is calculated on a quarterly basis, the maximum and the minimum values are taken from a monthly basis./ नोट: चूंकि PVBP की गणना तिमाही आधार पर की जाती है, इसलिए अधिकतम और न्यूनतम मानों को मासिक आधार पर लिया गया है।

9. Disclosure of Letters of Comfort (LoCs)/ लेटर ऑफ कम्फर्ट (LoCs) का प्रकटीकरण

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
-------------	------------	------------

Letter of Comfort (LoCs) – issued during the year / लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) - वर्ष के दौरान जारी किया गया	-	-
Assessed financial impact / आकलन वित्तीय प्रभाव	-	-
Assessed cumulative financial obligation under LoC's – past and outstanding/ एलओसी के तहत निर्धारित संचयी वित्तीय दायित्व - अतीत और बकाया	-	-
Cumulative outstanding LoCs	-	-

10. Asset Liability Management/ परिसंपत्ति देयता प्रबंधन:**F.Y. 2024-25 / वित्तीय वर्ष 2024-25**

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

	1 to 14 days	15 to 28 days	29 days to 3 month	Over 3 Month & up to 6 month	Over 6 Month & up to 1 year	Over 1 year & up to 3 years	Over 3 Years & up to 5 years	Over 5 years	Total
Fixed Deposits with Banks/ बैंकों में निश्चित जमा	1,432.51	1,431.28	2,981.00	3,750.08	4,276.04	6,305.00	-	-	20,175.91
Advances/ अग्रिम	30.03	4.29	241.16	331.20	633.88	4,357.08	6,711.41	44,311.06	56,620.10
Investments/ निवेश	499.89	-	328.13	682.63	11.83	42.18	862.16	1,892.72	4,319.55
Borrowings and Debt Securities/ उधारी और ऋण प्रतिभूतियाँ	710.00	-	55.56	55.56	278.11	2,679.94	4,586.11	39,936.44	48,301.72
Foreign Currency assets/ विदेशी मुद्रा संपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foreign Currency liabilities/ विदेशी मुद्रा देनदारियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

F.Y. 2023-24 / वित्तीय वर्ष 2023-24

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

	1 to14 days	15 to28 days	29 daysto 3 month	Over 3 month& up to 6 month	Over 6 Month& up to1 year	Over 1 year & up to 3 years	Over 3 years& up to 5 years	Over5 years	Total
Fixed Deposits with Banks/ बैंकों में निश्चित जमा	2415.10	1750.00	1500.00	0.00	12550.64	0.00	0.00	0.00	18215.74
Advances/ अग्रिम	0.00	0.00	160.02	187.58	350.92	2324.29	4541.49	27778.08	35342.38
Investments / निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Borrowings and Debt Securities/ उधारी और ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.97	1871.83	22610.20	25066.00
Foreign Currency assets/ विदेशी मुद्रा संपत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Foreign Currency liabilities/ विदेशी मुद्रा देनदारियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11. Draw Down from Reserve / रिजर्व से ड्रा डाउन:

No draw-downs were made from reserves during FY 2023-24 and 2024-25.

12. Business Ratios/ व्यापार अनुपात

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
Return on Equity / लाभांश	9.11%	5.83%
Return on Average Assets / संपत्ति पर वापसी	3.48%	4.63%
Net Profit Per Employee *(Rs in crore) / प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (करोड़ रुपये में)	12.04	20.27

* including employees on deputation

13. Disclosure of Penalties imposed by RBI/ आरबीआई द्वारा लगाए गए जुर्माने का खुलासा: Nil**14. Disclosure of Complaint/ शिकायत का खुलासा:**

Sr. No.	Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
a)	No. of complaints pending at the beginning of the year / वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	Nil	Nil
b)	No. of complaints received during the year / वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	Nil	Nil
c)	No. of complaints redressed during the year / वर्ष के दौरान निवारित शिकायतों की संख्या	Nil	Nil
d)	No. of complaints pending at the end of the year / वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	Nil	Nil

15. Off-Balance Sheet SPVs Sponsored/ तुलन-पत्र से इतर एसपीवी प्रायोजित: Nil

16. Disclosure as per specific accounting standards/ विशिष्ट लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

16.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies / अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व की अवधि के मदें और लेखांकन नीतियों में बदलाव:

No changes made having financial impact for FY 2024-25 vis-à-vis FY 2023-24 / वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 2023-24 के लिए कोई वित्तीय प्रभाव डालने वाले परिवर्तन नहीं किए गए हैं।

16.2 EMPLOYEE / STAFF BENEFITS (AS 15 - REVISED) / कर्मचारी / स्टाफ लाभ (एस 15 - संशोधित)

a. Short Term Employee Benefits / अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

(i) Benefits (Short – term) while in service: Liability on account of Short term benefits are determined on an undiscounted basis and recognized over the period of service, which entitles the employees to such benefits. / सेवा के दौरान लाभ (अल्पकालिक): अल्पकालिक लाभों के कारण देनदारियाँ अविश्लेषणित आधार पर निर्धारित की जाती हैं और सेवा की अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त होती हैं, जिसके लिए कर्मचारियों को ऐसे लाभों का अधिकार होता है।

b. Defined Contribution Plans / परिभाषित योगदान योजनाएँ

(i) New Pension Scheme is a defined contribution scheme and can be opted voluntarily by employees. Institution pays fixed contribution at pre-determined rate and the obligation of the institution is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss account. / नया पेंशन योजना एक निर्धारित योगदान योजना है और इसे कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छा से चुना जा सकता है। संस्थान द्वारा पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित योगदान किया जाता है और संस्थान की जिम्मेदारी ऐसे निश्चित योगदान तक सीमित रहती है। योगदान को लाभ और हानि खाते में चार्ज किया जाता है।

(ii) Provident Fund is a defined contribution scheme administered by the Bank and the contributions are charged to the Profit & Loss Account. / भविष्य निधि एक निश्चित योगदान योजना है जिसे बैंक द्वारा संचालित किया जाता है और योगदान को लाभ और हानि खाते में लिया जाता है।

c. Defined Benefit Plans / निश्चित लाभ योजनाएँ

(i) Gratuity liability is defined benefit obligations and provided based on the independent actuarial valuation as at the Balance Sheet date as per AS 15 (Revised 2005) - Employee Benefits. / बैलेंस शीट की दिनांक के अनुसार स्वतंत्र एक्टुअरियल मूल्यांकन के आधार पर AS 15 (संशोधित 2005) - कर्मचारी लाभ के अनुसार प्रदान किया गया है।

(ii) Actuarial gains or losses are recognized in the profit & loss account based on actuarial valuations for the period in which they occur. / एक्टुअरियल लाभ या हानि को उस अवधि के लिए एक्टुअरियल मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि खाता में मान्यता प्राप्त होती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Funded status of the plan / योजना की वित्त पोषण स्थिति	
Particulars	FY 2024-25
Present value of unfunded obligations / अवितरित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	0.95
Present value of funded obligations / पूंजीकृत दायित्वों का वर्तमान मूल्य	-
Fair value of plan assets / योजनाओं की संपत्तियों का निष्पक्ष मूल्य	-
Net Liability (Asset) / नेट देनदारी (संपत्ति)	0.95

Profit and loss account for the period / अवधि के लिए लाभ और हानि खाता	
Particulars	FY 2024-25
Current service cost / वर्तमान सेवा लागत	0.69
Interest on obligation / बाध्यता पर ब्याज	0.02
Expected return on plan assets / योजना संपत्तियों पर अपेक्षित वापसी	-
Net actuarial loss/(gain) / शुद्ध अभियांत्रिक हानि/(लाभ)	(0.03)
Recognised Past Service Cost-Vested / पहचानित पूर्व सेवा लागत-धारणीय	-
Recognised Past Service Cost-Unvested / पहचानित अतीत सेवा लागत-निष्क्रिय	-
Loss/(gain) on curtailments and settlement / कटौती और निपटान पर हानि/(लाभ)	-
Total included in 'Employee Benefit Expense' / कर्मचारी लाभ व्यय में कुल शामिल है	0.68

Loss/(gain) on obligation / प्रति बंधन पर हानि/(लाभ)	(0.03)
Loss/(gain) on assets / Loss/(gain) on assets	-
Net actuarial loss/(gain) / नेट अभ्यस्त हानि/(लाभ)	(0.03)

Reconciliation of defined benefit obligation / परिभाषित लाभ दायित्व का सामंजस्य	
Particulars	FY 2024-25
Opening Defined Benefit Obligation / प्रारंभिक लाभ परिभाषा दायित्व	0.27
Transfer in/(out) obligation / प्रवर्तन में/(से) स्थानांतरण उत्तरदायित्व	-
Current service cost / वर्तमान सेवा लागत	0.69
Interest cost / ब्याज की लागत	0.02
Actuarial loss (gain) / अक्चुअरियल हानि (लाभ)	(0.03)
Past service cost / अतीत सेवा लागत	-
Loss (gain) on curtailments / कटौती पर हानि (लाभ)	-
Liabilities extinguished on settlements / निपटान पर देनदारियों का समाप्त होना	-
Liabilities assumed in an amalgamation in the nature of purchase खरीद के रूप में विलय में ग्रहण की गई देनदारियाँ	-

Exchange differences on foreign plans / विदेशी योजनाओं पर विनिमय भिन्नताएँ	-
Benefit paid from fund / फंड से भुगतान किए गए लाभ	-
Benefits paid by company / कंपनी द्वारा भुगतान किए गए लाभ	-
Closing Defined Benefit Obligation / परिभाषित लाभ दायित्व का समापन	0.95

Reconciliation of net defined benefit liability / नेट निर्धारित लाभ दायित्व का मिलान	
Particulars	FY 2024-25
Net opening provision in books of accounts / खाता पुस्तकों में नेट उद्घाटन प्रावधान	0.27
Transfer in/(out) obligation / स्थानांतरण (इन)/ (आउट) दायित्व	-
Transfer (in)/out plan assets / स्थानांतरण (इन)/आउट योजना संपत्तियाँ	-
Employee Benefit Expense / कर्मचारी लाभ व्यय	0.68
	0.95
Benefits paid by the Company / कंपनी द्वारा भुगतान किए गए लाभ	-
Contributions to plan assets / योजना संपत्तियों में योगदान	-
Closing provision in books of accounts / खाता पुस्तकों में समापन प्रावधान	0.95

Principle actuarial assumptions / प्रमुख धारा-बीमा पूर्वानुमान	
Particulars	FY 2024-25
Discount Rate / छूट दर	6.65% p.a.
Expected Return on Plan Assets / योजना संपत्तियों पर प्रत्याशित रिटर्न	Not Applicable
Salary Growth Rate / वेतन वृद्धि दर	10.00% p.a.
Withdrawal Rates / त्याग दर	Age 25 & Below : 10 % p.a.
	25 to 35 : 10 % p.a.
	35 to 45 : 10 % p.a.
	45 to 55 : 10 % p.a.
	55 & above : 10 % p.a.

Table of experience adjustments / अनुभव समायोजन का तालिका	
Particulars	FY 2024-25
Defined Benefit Obligation / निर्धारित लाभ दायित्व	0.95
Plan Assets / योजना संपत्तियाँ	-
Surplus/(Deficit) / अधिशेष/(घाटा)	(0.95)
Experience adjustments on plan liabilities / योजना दायित्वों पर अनुभव समायोजन	(0.03)
Actuarial loss/(gain) due to change in financial assumptions वित्तीय अनुमान में परिवर्तन के कारण ऐक्चुअरियल हानि/(लाभ)	-

Actuarial loss/ (gain) due to change in demographic assumption जनसांख्यिकीय अनुमान में परिवर्तन के कारण ऐक्चुअरियल हानि/(लाभ)	-
Experience adjustments on plan assets / योजना संपत्तियों पर अनुभव समायोजन	-
Net actuarial loss/ (gain) for the year / वर्ष के लिए नेट ऐक्चुअरियल हानि/(लाभ)	(0.03)

16.3 Accounting Standard 17 – Segment Reporting:

National Bank for Financing Infrastructure and Development provides finance to infrastructure sector only and therefore no primary business segments are identified for reporting for the purposes of compliance with Accounting Standard 17 on Segment Reporting.

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक केवल बुनियादी ढांचा क्षेत्र को वित्त प्रदान करता है और इसलिए खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्यों के लिए लेखांकन मानक 17 के अनुपालन के लिए कोई प्रमुख व्यापार खंडों की पहचान नहीं की जाती है।

16.4 Accounting Standard 18 – Related Party Disclosure / लेखांकन मानक 18 – संबंधित पार्टी प्रकटीकरण:

As per AS-18 Related Party Disclosures issued by the ICAI, the related parties are disclosed below:
ICAI द्वारा जारी किए गए AS-18 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण के अनुसार, संबंधित पार्टियाँ निम्नलिखित रूप में प्रकटीत की जाती

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Key Managerial Personnel मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	Remuneration and allowances in FY 24-25 / वित्तीय वर्ष 24-25 में पारिश्रमिक और भत्ते	Remuneration and allowances in FY 23-24 / वित्तीय वर्ष 23-24 में पारिश्रमिक और भत्ते
(i) Mr. Rajkiran Rai G , Managing Director / श्री राजकिरण राय जी, प्रबंध निदेशक	13.05	11.44
(ii) Mr. B. S. Venkatesha, Deputy Managing Director, Chief Risk Officer / श्री बी. एस. वेंकटेश, उप प्रबंध निदेशक, मुख्य जोखिम अधिकारी		
(iii) Ms. Monika Kalia, Deputy Managing Director, Chief Financial Officer / श्रीमती मोनिका कालिया, उप प्रबंध निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी		
(iv) Mr. Samuel Joseph Jebaraj, Deputy Managing Director – Lending and Project Finance / श्री सामुएल जोसेफ जेबराज, उप प्रबंध निदेशक – उधारी और परियोजना वित्त		
(v) Ms Aishwarya Mhatre, Company Secretary श्रीमती ऐश्वर्या माथरे, कंपनी सचिव		

17. Leases (AS-19) / लीज (एएस-19)

Lease rental payments, including cost escalations, for assets taken on operating lease are recognised as an expense in the profit and loss account over the lease term in line with the AS-19 leases. / ऑपरेटिंग लीज पर लिए गए संपत्तियों के लिए लीज रेंटल भुगतान, जिसमें लागत वृद्धि शामिल है, को एएस-19 लीज के अनुसार लीज अवधि के दौरान लाभ और हानि खाते में खर्च के रूप में पहचाना जाता है।

“Leases” – Premises taken on Operating Lease (AS 19) / “लीज” – ऑपरेटिंग लीज पर लिए गए परिसर (एएस 19)

The data of Liability of Premises taken on Non-Cancellable operating lease is as under:

गैर-रद्दीकरणीय ऑपरेटिंग लीज पर लिए गए परिसर की देनदारी का डेटा निम्नलिखित है:

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
Not later than 1 year / 1 वर्ष से अधिक नहीं	15.74	13.87
Later than 1 year and not later than 5 year / 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से अधिक नहीं	40.64	56.38
Later than 5 years / 5 वर्ष से अधिक	-	-
Total / कुल	56.38	70.25

18. Earnings Per Share (AS-20)

Basic and diluted Earnings per Share is calculated in accordance with AS 20. Earnings per Share is calculated by dividing the net Profit or Loss (after tax) for the year attributable to the Equity shareholders by the weighted average number of Equity shares outstanding during the year. Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if contracts to issue Equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per Equity share is calculated by using the weighted average number of Equity shares and dilutive potential Equity shares outstanding as at the year-end.

बेसिक और डाइल्यूटेड प्रति शेयर आय की गणना एस 20 के अनुसार की जाती है। प्रति शेयर आय की गणना वर्ष के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ या हानि को उस वर्ष के दौरान समग्र रूप से बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। डाइल्यूटेड प्रति शेयर आय संभावित समायोजन को दर्शाती है जो तब हो सकता है जब ईक्विटी शेयर जारी करने के लिए अनुबंधों का पालन किया जाए या वर्ष के दौरान उन्हें परिवर्तित किया जाए। डाइल्यूटेड प्रति ईक्विटी शेयर आय की गणना वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों और संभावित डाइल्यूटिव ईक्विटी शेयरों की औसत संख्या का उपयोग करके की जाती है।

The computation of earnings per share is given below / प्रति शेयर आय की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जाती है:

(Rs. in Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
Number of Equity shares at the beginning of the year / वर्ष की शुरुआत में ईक्विटी शेयरों की संख्या	20,00,00,00,000	20,00,00,00,000
Number of Equity shares issued during the year / वर्ष के दौरान जारी किए गए ईक्विटी शेयरों की संख्या	-	-
Number of Equity shares outstanding at the end of the year / वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की संख्या	20,00,00,00,000	20,00,00,00,000
Weighted Average Number of Equity Shares used in computing Basic Earnings per share / बेसिक प्रति शेयर आय की गणना में उपयोग किए गए ईक्विटी शेयरों की औसत संख्या	20,00,00,00,000	20,00,00,00,000
Weighted Average Number of Shares used in computing diluted Earnings per share / डाइल्यूटेड प्रति शेयर आय की गणना में उपयोग किए गए शेयरों की औसत संख्या	20,00,00,00,000	20,00,00,00,000
Net Profit / (Loss) Rs in Crore / शुद्ध लाभ / (हानि) रुपये में करोड़ों	2191.02	1601.64
Basic Earnings per share (Rs) / बेसिक प्रति शेयर आय (रुपये में)	1.10	0.80
Diluted Earnings per share (Rs) / डाइल्यूटेड प्रति शेयर आय (रुपये में)	1.10	0.80
Face Value per share (Rs) / प्रति शेयर का अंकित मूल्य (रुपये में)	10	10

19. National Bank for Financing Infrastructure and Development has received a Grant of Rs 5,000 crore from Government of India during quarter ended March 31, 2022 and same is being utilized in accordance with Board approved guidelines. In line with RBI letter dated July 06, 2023 addressed to National Bank for Financing Infrastructure and Development, said grant forms part of its Tier I capital. Further, the said Grant is invested in earmarked fixed deposit with Banks, the interest (net of grant benefit) is accumulated as part of Capital Reserve.

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक को भारत सरकार से 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही में 5,000 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है और इसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के 6 जुलाई 2023 के पत्र के अनुसार, यह अनुदान राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक की टियर I पूंजी का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, कहा गया अनुदान बैंकों के साथ विशेष रूप से तय की गई निश्चित जमा में निवेशित है, ब्याज (अनुदान लाभ के शुद्ध) पूंजी आरक्षित का हिस्सा के रूप में जमा होता है।

20. No penalty has been imposed by RBI or any other regulator during the financial year ended March 31, 2025 / वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त होने तक, भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य नियामक द्वारा कोई दंड नहीं लगाया गया है।
21. The figures of the previous year have been regrouped /rearranged wherever considered necessary / पिछले वर्ष की संख्याओं को जहां आवश्यक समझा गया, वहां पुनः समूहबद्ध/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

For C N K & Associates LLP
/ कृते सी एन के & एसोसिएट्स एलएलपी

Chartered Accountants
/ सनदी लेखाकार

FRN./ फर्म पंजीकरण संख्या
101961W/ W100036

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

Manish Sampat
/ मनीष संपत

Partner
/ साझेदार

M.No./ सदस्यता संख्या 101684

T. N. Manoharan
/ टी.एन. मनोहरन

(Director)
/ (निदेशक)

DIN: 01186248

Rajkiran Rai G
/ राज किरण राय जि

(Managing Director)
/ (प्रबंध संचालक)

DIN: 07427647

Monika Kalia
/ मोनिका कालिया

(DMD-CFO)
/ (डीएमडी-सीएफओ)

DIN:08579733

Place: Mumbai/
स्थान — मुंबई

Date: 30 April, 2025
दिनांक: 30 अप्रैल, 2025

Samuel Joseph Jebaraj
/ शमूएल जोसफ जेबराज

(DMD-L&PF)
/ (डीएमडी-एल एंड पीएफ)

DIN: 02262530

B. S. Venkatesha
/ बी. एस. वेंकटेशा

(DMD-CRO)
/ (डीएमडी-सीआरओ)

DIN: 08489577

Behzad Bhesania
/ बेहज़ाद भेसानिया

(EVP-Head Finance)
/ (विभाग प्रमुख, वित्त)
